

महायोजना - 2031 अयोध्या

भाग - क

SUSTAINABLE & SMART CITY



TOURISM DESTINATION



GLOBAL SPIRITUAL CAPITAL

Spirituality

Where do I find meaning?
How do I feel connected?
How should I live?

Religion

What practices, rites,
or rituals should I follow?
What is right and wrong?
What is true and false?

belief
comfort
reflection
ethics
awe



अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या, उत्तर प्रदेश
नगर एवं ग्राम नियोजन खण्ड, अयोध्या
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.



अयोध्या महायोजना – 2031

प्राक्कथन

अयोध्या नगर देश के धार्मिक नगरों में एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रखता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान राम का पवित्र जन्म स्थान है। यह लखनऊ से 130 किमी पूर्व में और गोरखपुर से 134 किमी दूर स्थित है। अयोध्या सड़क मार्ग के द्वारा अन्य स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य राजमार्ग पर स्थित है, जो लखनऊ से गोरखपुर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 27 पर स्थित है एवं यह राजमार्ग अयोध्या नगर से होकर गुजरता है। अयोध्या नगर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास विभाग के शासनादेश संख्या 2816 / 37-3-45 एन. के. वि. / 78 लखनऊ, दिनांक 17.12.1979 द्वारा फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया।

अयोध्या नगर की प्रथम महायोजना-2001 को शासनादेश संख्या 5638 / 37-3-84-47एन. के. वी. / 81 दिनांक 05.12.1984 द्वारा स्वीकृत किया गया, जो तद्दिनांक से प्रभावी है। अयोध्या महायोजना-2001 को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की 31 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.1999 में लिया गया। अयोध्या महायोजना-2001 के अन्तर्गत दर्शित कृषि भूमि एवं विस्तारित क्षेत्र के ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित महायोजना-2021 तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया जिसपर शासन द्वारा आंशिक संशोधन का निर्देश देते हुए महायोजना को पुनः प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया। महायोजना 2021 शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई तथा लागू नहीं है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत जी.आइ.एस. आधारित महायोजना-2031 तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल विभाग एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पदेन नोडल अधिकारी नामित किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा ई-निविदा के माध्यम से स्टेसालिट सिस्टम्स लिमिटेड, कोलकाता को कन्सल्टेंट चयनित किया गया। चयनित कंसल्टेंट द्वारा नगर के नियोजित विकास की रूपरेखा निर्धारित करते हुए संशोधित महायोजना-2031 (प्रारूप) की संरचना की गई जिसमें आवास तथा नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का आंकलन करके भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये।

अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) को शासकीय समिति की बैठक दिनांक 25/10/2021 में प्रस्तुत किया गया। शासकीय समिति की बैठक दिनांक 25/10/2021 में दिये गये सुझावों को समावेशित करते हुए अयोध्या महायोजना -2031 (प्रारूप) को प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29/11/2021 में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड की बैठक दिनांक 29/11/2021 द्वारा अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) पर जनसामान्य से आपत्ति / सुझाव प्राप्त किए जाने के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अयोध्या महायोजना-2031 (प्रारूप) पर दिनांक 08/12/2021 से दिनांक 22/01/2022 तक की अवधि में जनसामान्य / हितबद्ध व्यक्तियों / संस्थाओं / विभागों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये गये। महायोजना-2031 (प्रारूप) पर कुल 1193 आपत्ति / सुझाव प्राप्त हुए। आपत्तिकर्ताओं / सुझाव देने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर शासन द्वारा उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 05/04/2022 से दिनांक 12/04/2022 तक सुना गया तथा विभिन्न स्थलों के निरीक्षण एवं प्राप्त आपत्तियों के जांचोपरान्त समिति की संस्तुतियाँ प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17/05/2022 में प्रस्तुत की गईं। बोर्ड द्वारा समिति की संस्तुतियों के

अनुरूप आंशिक संशोधन के साथ महायोजना-2031 को पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11/07/2022 में महायोजना को पुनः संशोधित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया । इसके उपरांत प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड की बैठक दिनांक 15/07/2022 में विस्तृत विचार – विमर्श के उपरान्त 81वीं बोर्ड बैठक के प्रासंगिक सुझावों का समायोजन कर अनुमोदित करते हुए शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अयोध्या महायोजना –2031 को तैयार किये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , उ०प्र० , लखनऊ एवं उनके अधीनस्थ अयोध्या संभागीय नियोजन खण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास प्रशंसनीय हैं तथा इस महायोजना को अन्तिम रूप देने में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त राजकीय , अर्द्धराजकीय , स्थानीय कार्यालयों से सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं नगर के प्रबुद्ध नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या महायोजना-2031 शासन की अपेक्षाओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर के भावी विकास को सही दिशा प्रदान करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।



(विशाल सिंह)

उपाध्यक्ष

अयोध्या विकास प्राधिकरण , अयोध्या

विषयसूची

चित्रों की सूची	11
तालिकाओं की सूची	12
ग्राफ की सूची	15
चार्ट की सूची	16
मानचित्रों की सूची	17
1 उद्भव एवं विकास	18
1.1 स्थिति	18
1.2 एतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास	21
1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संपर्क	22
1.4 भौगोलिक स्थिति	23
1.5 जलवायु	23
1.6 मेला एवं त्योहार	24
2 महायोजना की आवश्यकता	26
2.1 विकास क्षेत्र	26
2.2 नगरीय विकास	26
2.3 अयोध्या महायोजना –2001	28
2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता	28
3 वर्तमान अध्ययन	29
3.1 जनसंख्या	29
3.2 लिंगानुपात	32
3.3 साक्षरता दर	33
3.4 कार्यशील जनसंख्या	34
3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण	36
3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण	37
3.6.1 मुख्य कामगार	37
3.6.2 सीमांत कामगार	40
3.7 पारिवारिक संरचना	42
3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण	45
3.9 प्राथमिक क्रिया	45

3.10	द्वितीयक क्रिया	50
3.11	तृतीयक क्रिया	51
3.12	भौतिक अवसंरचना	54
3.12.1	जलापूर्ति	54
3.12.2	जलनिकासी	56
3.12.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	57
3.12.4	बिजली	59
3.12.5	डाक और संचार	60
3.12.6	अन्य सुविधाएं	71
3.13	सामाजिक आधारभूत संरचना	71
3.13.1	शिक्षण सुविधाएं	71
3.13.2	स्वास्थ्य सुविधाएं	73
3.13.3	मनोरंजन की सुविधा	76
3.13.4	धार्मिक महत्व के स्थल	79
3.13.5	सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाएं	80
3.13.6	अग्निशमन	81
4	पर्यटन प्रोफाइल	84
4.1	अयोध्या में पर्यटन	87
4.2	पर्यटन गतिविधियाँ	93
4.3	पर्यटक प्रवाह	95
4.4	अयोध्या की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण	97
4.5	पर्यटन नीति	98
4.6	अयोध्या पर्यटन विभाग की प्रस्तावित / निर्माणाधीन परियोजनाएं	99
5	पर्यावरण रूपरेखा	101
5.1	जलीय संरचना	101
5.2	शहर में प्रदूषण स्तर	102
5.3	आपदा प्रबंधन	105
6	वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना-2001 का तुलनात्मक अध्ययन	106
6.1	वर्तमान भू-उपयोग	106
6.2	महायोजना-2001 से विचलन की स्थिति	110
7	नियोजन की समस्यायें	113

8	महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य	115
8.1	दृष्टि	116
8.2	उद्देश्य	116
9	आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण	118
9.1	जनसंख्या प्रक्षेपण	118
9.2	जनसंख्या घनत्व	120
9.3	जनसंख्या वृद्धि दर	121
9.4	प्रवासन	122
9.5	आवास प्रक्षेपण	123
9.6	अयोध्या विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता	124
9.7	वर्षा जल निकासी	125
9.8	सीवेज	125
9.9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	125
9.10	बिजली	126
9.10.1	बिजली के लिए प्रक्षेपण	126
9.11	डाकघर और संचार के लिए आवश्यकताएँ	127
9.11.1	अयोध्या विकास क्षेत्र में डाकघर और संचार के लिए अनुमान	127
9.12	शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता	127
9.12.1	अयोध्या में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान	128
9.13	स्वास्थ्य सुविधाएं	128
9.13.1	अयोध्या विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण	129
9.14	मनोरंजक सुविधाएं	129
9.14.1	अयोध्या विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण	130
9.15	सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं	130
9.15.1	अयोध्या विकास क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण	130
9.16	फायर स्टेशन	131
9.16.1	अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण	131
10	भू-उपयोग प्रस्ताव	132
10.1	विकास क्षेत्र की विकास दिशा	132
10.2	भू-उपयोग और ज़ोनिंग	132
10.2.1	आवासीय	134

10.2.2	निर्मित क्षेत्र	135
10.2.3	व्यवसायिक	135
10.2.4	औद्योगिक	137
10.2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें	137
10.2.6	यातायात एवं परिवहन	138
10.2.7	पार्क एवं खुले स्थल	139
10.2.8	हरित पट्टी	139
10.2.9	हाईवे फैसिलिटी ज़ोन	139
10.2.10	ग्रामीण आबादी	140
10.2.11	प्रतिबंधित ज़ोन	140
10.2.12	विविध	141
10.2.13	फसाड संबंधी दिशानिर्देश	143
10.2.14	आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	149
10.2.15	भूमिगत जल निकासी	149
10.2.16	वर्षा के पानी का निकास	150
10.2.17	नदी केंद्रित विकास	150
10.2.18	फुटपाथ	152
10.2.19	हेरिटेज	153
10.2.20	पर्यटन विकास	154
10.2.21	पर्यटक व्याख्या केंद्र (टीआईसी) और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (CCC):	156
10.2.22	परिक्रमा मार्ग	158
10.2.23	आध्यात्मिक केंद्र	158
10.2.24	भव्य तोरण द्वार	159
10.2.25	कुंडों, मंदिरों और घाटों की पुनर्स्थापना	159
10.2.26	सोलर सिटी	164
10.2.27	सौंदर्यीकरण और सुधार	164

10.2.26.1	पुलों का सौंदर्यीकरण	164
10.2.26.2	मौजूदा पार्कों का सौंदर्यीकरण	164
10.2.26.3	रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण	165
10.2.26.4	सड़कों और परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण	165
10.3	शासकीय नीतियों का अनुपालन	167
10.3.1	आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति	167
10.3.2	उ० प्र० पर्यटन नीति	167
10.3.3	सौर ऊर्जा नीति	167
10.3.4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति	167
10.3.5	फिल्म नीति	167
10.3.6	सूचना प्रौद्योगिकी नीति	168
10.3.7	आपदा प्रबंधन नीति	168
10.3.8	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति	168
10.4	नियोजन खण्ड	168
10.5	चरणबद्ध विकास	168
10.6	स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण	169
11	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स	180
11.1	परिचय	180
11.1.1	ज़ोनिंग के उद्देश्य	180
11.1.2	ज़ोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं	180
11.1.3	विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ :	181
11.1.4	फ्लोटिंग उपयोग	181
11.1.5	प्रभाव शुल्क	182
11.1.6	अनुज्ञा की प्रक्रिया	182
11.1.7	अन्य अपेक्षाएं	183
11.1.8	परिभाषाएं	183
11.2	भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं	184
11.2.1	आवासीय	184
11.2.2	वाणिज्यिक	184

11.2.3 औद्योगिक	185
11.2.4 कार्यालय	186
11.2.5 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	187
11.2.6 यातायात और परिवहन	191
11.2.7 पार्क, खेल / खुले स्थल	192
11.2.8 कृषि	193
11.2.9 अस्थायी क्रियाएं	193
11.3 प्रमुख भू-उपयोग जोनेस में सशर्त अनुमान्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध	194
11.4 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता	195
11.5 भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण	200

चित्रों की सूची

चित्र 1-1 राम की पैड़ी-अयोध्या	19
चित्र 1-2 गुलाब बाड़ी	19
चित्र 1-3 सरयू नदी.....	19
चित्र 1-4 राम घाट	20
चित्र 1-5 देवकाली , अयोध्या	20
चित्र 1-6 गो प्रतार घाट.....	20
चित्र 1-7 राज सदन	20
चित्र 3-1 मंडी , अयोध्या.....	49
चित्र 4-1 कनक भवन	89
चित्र 4-2 तुलसी उद्यान	92
चित्र 4-3 गुप्तार घाट	93
चित्र 5-1 सरयू नदी.....	101
चित्र 10-1 गिरजा कुण्ड.....	161
चित्र 10-2 दंत धावन कुण्ड	161
चित्र 10-3 वर्तमान घाट.....	162
चित्र 10-4 राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण.....	162
चित्र 10-5 गौप्रतार घाट (गुप्तार घाट) का सौंदर्यीकरण	162
चित्र 10-6 हनुमान गढ़ी.....	163
चित्र 10-7 कनक भवन का जीर्णोद्धार.....	163
चित्र 10-8 रामघाट हाल्ट.....	165

तालिकाओं की सूची

तालिका 1-1 जलवायु तालिका.....	23
तालिका 1-2 वर्षा आँकड़े.....	23
तालिका 3-1 अयोध्या नगर की दशकीय जनसंख्या.....	29
तालिका 3-2 बाल जनसंख्या (0-6)	30
तालिका 3-3 जन्म व मृत्यु दर.....	31
तालिका 3-4 लिंग अनुपात	32
तालिका 3-5 साक्षरता दर	33
तालिका 3-6 कार्यबल भागीदारी.....	34
तालिका 3-7 कार्यबल भागीदारी का रुझान.....	35
तालिका 3-8 कार्यबल श्रेणी	36
तालिका 3-9 मुख्य कामगार	38
तालिका 3-10 सीमांत कामगार	40
तालिका 3-11 परिवार का आकार.....	43
तालिका 3-12 मलिन बस्ती आँकड़े	44
तालिका 3-13 कृषि सामग्री उत्पाद.....	48
तालिका 3-14 पशु पालन उत्पाद.....	49
तालिका 3-15 उद्योगों की संख्या	50
तालिका 3-16 उद्योगों के प्रकार	50
तालिका 3-17 वाणिज्यिक दुकानें	51
तालिका 3-18 होटल व रेस्टोरेंट आँकड़े.....	52
तालिका 3-19 मौजूदा जलापूर्ति स्थिति.....	54
तालिका 3-20 मौजूद जलापूर्ति मात्रा	54
तालिका 3-21 ओवरहेड टैंक जानकारी	55
तालिका 3-22 वर्षा जल निकासी आँकड़े	56
तालिका 3-23 स्वच्छता डाटा	56
तालिका 3-24 सीवेज डाटा	57
तालिका 3-25 वाहनों का प्रकार.....	58
तालिका 3-26 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए URDPFI मानदंड	58

तालिका 3-27 विद्युत के आँकड़े.....	59
तालिका 3-28 विद्युत कनेक्शन	59
तालिका 3-29 विद्युत क्षेत्र	59
तालिका 3-30 डाक एवं संचार.....	60
तालिका 3-31 डाक और संचार के मानक.....	60
तालिका 3-32 पंजीकृत वाहन.....	61
तालिका 3-33 सड़क की लंबाई एवं फुटपाथ.....	69
तालिका 3-34 अयोध्या की मौजूदा सड़कें	69
तालिका 3-35 अयोध्या रेलवे स्टेशन	71
तालिका 3-36 अन्य सुविधाएं.....	71
तालिका 3-37 वर्तमान में अयोध्या शहर में स्कूल	72
तालिका 3-38 अयोध्या में मौजूदा उच्च शैक्षणिक सुविधाएं	72
तालिका 3-39 माध्यमिक शिक्षा के मानदंड	72
तालिका 3-40 उच्च शिक्षा के मानक.....	73
तालिका 3-41 अयोध्या नगर की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं.....	74
तालिका 3-42 अयोध्या में प्रचलित रोग	75
तालिका 3-43 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक.....	75
तालिका 3-44 खुले स्थान व पार्क.....	76
तालिका 3-45 अयोध्या शहर में मौजूदा मनोरंज गतिविधियां.....	78
तालिका 3-46 शहर में खुले क्षेत्रों के लिए मानदंड.....	78
तालिका 3-47 धार्मिक क्षेत्रों के लिए मानदंड.....	80
तालिका 3-48 अयोध्या शहर में मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं.....	81
तालिका 3-49 सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड.....	81
तालिका 3-50 आगजनी की घटनाओं की संख्या	82
तालिका 3-51 अग्नि शमन स्टेशनों के लिए मानदंड.....	83
तालिका 4-1 भारत में पर्यटकों की संख्या.....	84
तालिका 4-2 उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आमद.....	95
तालिका 4-3 अयोध्या में पर्यटकों की आमद.....	95
तालिका 4-4 अयोध्या में अनुमानित पर्यटक प्रवाह.....	97

तालिका 5-1 अयोध्या में सरयू जल की गुणवत्ता.....	101
तालिका 5-2 अयोध्या में वायु प्रदूषण.....	102
तालिका 5-3 ध्वनि प्रदूषण श्रेणी.....	103
तालिका 5-4 अयोध्या में ध्वनि प्रदूषण का स्तर.....	103
तालिका 5-5 जलवायु गुणवत्ता के मानदंड.....	104
तालिका 5-6 सरयू नदी के जल की गुणवत्ता.....	105
तालिका 6-1 वर्तमान भू-उपयोग 2020.....	107
तालिका 6-2 प्रस्तावित भू-उपयोग - 2001.....	109
तालिका 6-3 विचलन.....	111
तालिका 9-1 अयोध्या विकास क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का प्रक्षेपण.....	118
तालिका 9-2 गाँवों का जनसंख्या प्रक्षेपण.....	119
तालिका 9-3 अयोध्या विकास क्षेत्र का जनसंख्या प्रक्षेपण.....	120
तालिका 9-4 जनसंख्या वृद्धि दर.....	121
तालिका 9-5 महिला बनाम पुरुष प्रवासी.....	122
तालिका 9-6 प्रवासन का कारण.....	122
तालिका 9-7 अयोध्या विकास क्षेत्र में मौजूदा आवास की कमी.....	123
तालिका 9-8 अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए प्रक्षेपित जल आपूर्ति आवश्यकता.....	124
तालिका 9-9 अयोध्या विकास क्षेत्र में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पादन.....	126
तालिका 9-10 अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए बिजली की मांग.....	126
तालिका 9-11 अयोध्या में डाक घर और संचार की मांग.....	127
तालिका 9-12 अयोध्या विकास क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान.....	128
तालिका 9-13 अयोध्या विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण.....	129
तालिका 9-14 अयोध्या विकास क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता.....	130
तालिका 9-15 अयोध्या विकास क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सुविधाएं.....	130
तालिका 9-16 अयोध्या विकास कसेटर में अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता.....	131
तालिका 10-1 प्रस्तावित भू-उपयोग 2031.....	133

ग्राफ की सूची

ग्राफ 1-1 मासिक वर्षा आँकड़े	24
ग्राफ 3-1 अयोध्या नगर निगम की दशकीय जनसंख्या	29
ग्राफ 3-2 अयोध्या की ग्रामीण जनसंख्या	31
ग्राफ 3-3 जन्म व मृत्यु दर	32
ग्राफ 3-4 अयोध्या का लिंग अनुपात	33
ग्राफ 3-5 मुख्य पुरुष कामगार 2001 एवं 2011	39
ग्राफ 3-6 मुख्य महिला कामगार 2001 एवं 2011	39
ग्राफ 3-7 सीमांत पुरुष कामगार 2001 व 2011	41
ग्राफ 3-8 सीमांत महिला कामगार 2001 व 2011	41
ग्राफ 3-9 पंजीकृत वाहनों की संख्या	63
ग्राफ 3-10 आरंभ और गंतव्य विधि जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) से नियावां रोड	64
ग्राफ 3-11 आरंभ और गंतव्य विधि नियावाँ से अयोध्या	65
ग्राफ 3-12 आरंभ और गंतव्य विधि राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी	65
ग्राफ 3-13 आरंभ और गंतव्य विधि महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से चौक मार्ग	66
ग्राफ 3-14 आगजनी की घटनाओं की संख्या	82
ग्राफ 4-1 घरेलू पर्यटकों की संख्या	85
ग्राफ 4-2 विदेशी पर्यटकों की संख्या	85
ग्राफ 4-3 घरेलू पर्यटक	96
ग्राफ 4-4 अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक	96
ग्राफ 4-5 घरेलू पर्यटकों का प्रक्षेपण	98
ग्राफ 4-6 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का प्रक्षेपण	98
ग्राफ 9-1 जनसंख्या वृद्धि दर	121
ग्राफ 9-2 प्रवासी	122

चार्ट की सूची

चार्ट 3-1 अयोध्या पुरुष बनाम महिला	30
चार्ट 3-2 साक्षरता दर - अयोध्या	34
चार्ट 3-3 साक्षरता दर - पुरुष बनाम महिला	34
चार्ट 3-4 कार्यबल - अयोध्या	35
चार्ट 3-5 कामगार एवं गैर कामगार	35
चार्ट 3-6 मुख्य एवं सीमांत कामगार	36
चार्ट 3-7 महिला बनाम पुरुष कार्यबल	36
चार्ट 3-8 मुख्य कामगार	38
चार्ट 3-9 सीमांत कामगार	40
चार्ट 3-10 कार्य का प्रकार	42
चार्ट 3-11 मासिक आय	42
चार्ट 3-12 घरों की दशा	43
चार्ट 3-13 स्वामित्व स्थिति	43
चार्ट 3-14 मलिन बस्ती की दशा	44
चार्ट 3-15 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि	46
चार्ट 3-16 कृषि भूमि स्वामित्व	47
चार्ट 3-17 सींचित भूमि	47
चार्ट 3-18 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि	47
चार्ट 3-19 फसल बोने का प्रकार	48
चार्ट 3-20 कुल सींचित क्षेत्र	48
चार्ट 3-21 जलापूर्ति स्रोत	55
चार्ट 3-22 स्वच्छता सुविधा	57
चार्ट 3-23 यात्रा का तरीका	68
चार्ट 3-24 वाहनों का स्वामित्व	68
चार्ट 6-1 वर्तमान भू-उपयोग 2020	107
चार्ट 9-1 प्रवासन के कारण	123
चार्ट 10-1 प्रस्तावित भू-उपयोग 2031	134

मानचित्रों की सूची


मानचित्र 1-1 अयोध्या की स्थिति.....	18
मानचित्र 2-1 नगरीय विकास प्रणाली.....	26
मानचित्र 3-1 ट्रेफिक घनत्व एवं दिशा.....	67
मानचित्र 6-1 मौजूदा भू-उपयोग.....	106
मानचित्र 6-2 अयोध्या महायोजना 2001.....	108
मानचित्र 6-3 महायोजना-2001 से विचलन की स्थिति.....	110
मानचित्र 10-1 वर्तमान कुण्डों की स्थानीय स्थिति.....	160

1 उद्भव एवं विकास

1.1 स्थिति

अयोध्या नगर अयोध्या जिले उ०प्र० के पूर्वांचल में अक्षांश 26°47'59.08" उत्तर और देशांतर 82° 12'18.59" पूर्व पर स्थित है। अयोध्या नगर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यह भारत के सात सबसे पवित्र नगरों में से एक है। अयोध्या, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्राचीन नगर है, जो भगवान श्री राम का जन्मस्थान है और सरयू नदी के तट पर स्थित है।

अयोध्या नगर की देश व प्रदेश के मुख्य नगरों तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से पर्याप्त संबद्धता है। राष्ट्रीय राजमार्ग – 27 नगर से होकर गुजरता है। उद्योगों में चीनी प्रसंस्करण और तिलहन मिलिंग शामिल है, और यह कृषि उपज का एक व्यापार केंद्र है। एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय और कई संग्रहालय स्थित हैं।



मानचित्र 1-1 अयोध्या की स्थिति

अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ तीर्थयात्रा के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यधिक पूजनीय सरयू के अनुसार, यह विष्णु के मस्तक का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के तीर्थों में प्रमुख हैं। अयोध्या मंदिरों का शहर है। नदी के किनारे, स्नान घाट और कई मंदिर हैं। प्रमुख घाट गुपतारघाट, रामघाट, गोलाघाट, लक्ष्मणघाट, जानकीघाट, राजघाट और राम की पैड़ी है। अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर राम जन्मभूमि, कनक भवन हनुमान गढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, कालेनाथ मंदिर और मणिपर्वत हैं। कुछ जैन मंदिर, मस्जिदें और मकबरे भी हैं। अयोध्या बौद्ध धर्म से भी जुड़ा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अयोध्या में सोलह ग्रीष्मकाल बिताए थे।



Source: Primary Survey

चित्र 1-1 राम की पैड़ी-अयोध्या

अयोध्या, जो भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है, हिंदू तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस शहर में डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थान हैं। अयोध्या में अन्य दर्शनीय स्थल यथा, गुलाब बाड़ी, दशरथ महल, सीता रसोई, तुलसी स्मारक म्यूज़ियम, बहु-बेगम मकबरा, राजा मंदिर, रामकथा पार्क आदि विद्यमान हैं।



Source: Primary Survey

चित्र 1-2 गुलाब बाड़ी





Source: Primary Survey

चित्र 1-3 सरयू नदी



चित्र 1-4 राम घाट

चित्र 1-5 देवकाली , अयोध्या



चित्र 1-6 गो प्रतार घाट

चित्र 1-7 राज सदन

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास

अयोध्या, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे 'अयोध्या' का नाम दिया जिसका अर्थ होता है अ-युध्य अर्थात् 'जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे 'कोशल जनपद' भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी/रघुवंशी/अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान् श्री राम ने अवतार लिया। हिन्दुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मन्दिर विराजमान था।

ऐतिहासिक रूप से अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और इसका विवरण प्राचीन हिंदू साहित्य में भी देखा जा सकता है। अयोध्या कोशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। कहा जाता है कि कोशल वंश में लगभग 125 राजा शामिल थे, जिनमें से 90 ने महाभारत के अंत से पहले तक शासन किया था।

बौद्ध काल (5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में श्रावस्ती इस राज्य का प्रमुख शहर बन गया। विद्वान आम तौर पर सहमत हैं कि अयोध्या साकेता शहर के समान है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने एक समय निवास किया था। बौद्ध केंद्र के रूप में इसके महत्व का अंदाजा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी बौद्ध भिक्षु फैक्सियन के इस बयान से लगाया जा सकता है कि वहां 100 मठ थे (फैक्सियन का तात्पर्य शायद सटीक संख्या से नहीं था, बल्कि कुछ मठ होने से था)।

पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि वर्तमान अयोध्या की साइट 5 वीं या 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक शहरी बस्ती के रूप में विकसित हो गई थी। साइट को प्राचीन साकेता शहर के स्थान के रूप में पहचाना जाता है, जो संभवतः दो महत्वपूर्ण सड़कों, श्रावस्ती-प्रतिष्ठान उत्तर-दक्षिण सड़क और राजगृह-वाराणसी-श्रावस्ती-तक्षशिला पूर्व-पश्चिम सड़क के जंक्शन पर स्थित एक बाजार के रूप में उभरा। इस अवधि के दौरान, शहर वाणिज्यिक राजधानी और तीर्थ स्थान बन गया। गुप्त काल के दौरान, साकेत को इक्ष्वांकु वंश की राजधानी अयोध्या के पौराणिक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी।

वर्ष 1226 ईसा पूर्व में नवाबों ने कई खूबसूरत इमारतों के साथ अयोध्या की शोभा बढ़ाई, उनमें से गुलाब बाड़ी, मोती महल और बहू बेगम का मकबरा उल्लेखनीय हैं। गुलाब बाड़ी वास्तुकला की एक सुंदर इमारत है, जो एक दीवार से घिरे बगीचे में खड़ी है, दो बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये इमारतें अपनी समेकित स्थापत्य शैली के लिए विशेष रूप से दिलचस्प हैं। शुजा-उद-दौला की पत्नी प्रसिद्ध बहू बेगम थीं, जिन्होंने 1743 में नवाब से शादी की थी और उनका निवास मोती-महल था। जवाहरबाग में मोती महल के पास उनका मकबरा है, जहां उन्हें 1816 में उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। इसे अवध में अपनी तरह की बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है, जिसे उनके मुख्य सलाहकार द्वारा तीन लाख रुपये की लागत से बनाया गया था। दरब अली खान बेगम के मकबरे के ऊपर से शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। बहू बेगम मर्यादा धारण करने वाली महान विशिष्ट और पदवी महिला थीं। अयोध्या की अधिकांश इस्लामी इमारतों का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1816 में बहू बेगम की मृत्यु की तारीख से अवध के विलय तक, अयोध्या शहर धीरे-धीरे क्षय में गिर गया। नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने के साथ ही अयोध्या की महिमा पर ग्रहण लग गया। अयोध्या बीज से तेल निकालने के लिए चीनी रिफाइनरियों और मिलों का स्थान है। प्राचीन काल में अयोध्या में बस्तियाँ रामकोट, वशिष्ठ कुंड, चक्र तीर्थ और निर्मोचन घाट क्षेत्र तक सीमित



Copyright: The British Library Board
Details of an 18th century painting of Ayodhya.

थीं। हालाँकि, मुस्लिम सम्राटों के शासनकाल के दौरान, अयोध्या का विकास गोलाघाट, लक्ष्मण किला, स्वर्गदावर, तुलसी चौराहा, हनुमान गढ़ी और कटरा तक बढ़ा।

ब्रिटिश काल में अयोध्या को रामगंज, श्रृंगार हाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, प्रमोद वन, तुलसी बाग, छोटी छावनी आदि तक विकसित किया गया था।

आजादी के बाद भी अयोध्या में कोई बड़ा विकास नहीं देखा गया। अयोध्या में विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी और स्थिर गति से विकसित हुई। रामचरित मानस, जानकी महल, श्री राम चिकित्सालय, साकेत महाविद्यालय, वाल्मीकि, वाल्मीकि भवन, साकेत पथिक निवास जैसे क्षेत्रों में विकास देखा गया और 1965 में सरयू नदी पर पुल का विकास किया गया।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संपर्क

अयोध्या लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अयोध्या लखनऊ से लगभग 135 किमी, वाराणसी से 200 किमी, प्रयागराज से 170 किमी, गोरखपुर से 134 किमी और दिल्ली से लगभग 636 किमी दूर है।

अयोध्या मंडल में 5 जिले (अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर) शामिल हैं। अयोध्या नगर को देश व प्रदेश के विभिन्न शहरों से सम्बद्ध किए जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है।

1.4 भौगोलिक स्थिति

अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 अयोध्या शहर से होकर गुजरता है।

अयोध्या का तलरूप कछारी मिट्टी, रेत, बजरी से बना है। पहाड़ पठार और अन्य भौगोलिक उभार नहीं है क्योंकि यह सरयू के मैदान में है। नगर की सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अयोध्या 93 मीटर की ऊंचाई पर है। पीने योग्य पानी 30 मीटर गहराई पर उपलब्ध है। अच्छी मिट्टी 1.5 मीटर से 2.0 मीटर गहराई पर उपलब्ध है जिसमें एसबीसी लगभग 19 टन/वर्गमीटर है। शहर के तीन जलाशयों में बारिश का पानी जमा होता है। सरयू नदी हर दशक में अपना मार्ग बदलती है, जिससे जलमग्न क्षेत्र की स्थिति बदलती रहती है। नदी बारहमासी है, साल भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है।

1.5 जलवायु

अयोध्या में शीतोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक वर्षा ऋतु, जुलाई से अक्टूबर तथा शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु लंबी, शुष्क और गर्म होती है, जो मार्च के अंत से जून के मध्य तक चलती है, औसत दैनिक तापमान 32 सेल्सियस के आस-पास होता है। इसके बाद मानसून का मौसम आता है जो अक्टूबर तक रहता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,067 मिमी (42.0 इंच) होती है। तापमान 28 सेल्सियस के आसपास रहती है। सर्दी नवंबर की शुरुआत में शुरू होती है और जनवरी के अंत तक चलती है, इसके बाद फरवरी और मार्च की शुरुआत में एक छोटा वसंतकाल होता है। औसत तापमान कम होता है, 16 सेल्सियस के करीब, लेकिन रातें ठंडी हो सकती है, जो मध्य भारत की विशिष्टता है।


तालिका 1-1 जलवायु तालिका

क्रमांक	नगर का नाम	वर्षा (मिमी में)	तापमान (सेंटीग्रेड में)	
			अधिकतम	न्यूनतम
1	अयोध्या	903.5	46	7

स्रोत : जनगणना 2011

तालिका 1-2 वर्षा आँकड़े

महीना	Jan '20	Feb '20	Mar '20	Apr '20	May '20	Jun '20	Jul '20	Aug '20	Sep '20	Oct '20	Nov '20	Dec '20
वर्षा (मिमी)	54.9	9.7	48.6	21.6	14.9	184.3	457.3	284.1	181.3	0	2.6	0



ग्राफ 1-1 मासिक वर्षा आँकड़े

Source: *Meteoblue wheather.com*

1.6 मेला एवं त्योहार

1.6.1 राम लीला

माना जाता है कि राम लीला अर्थात भगवान राम की कथा का मंचन महान संत तुलसीदास द्वारा शुरू किया गया था। उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस राम लीला के मंचन का आधार है। कुछ स्थानों पर, राम लीला सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में विजयदशमी पर्व और भगवान राम के जन्मदिन राम नवमी के साथ भी सम्पन्न होती है।

रामलीला आज भी 7 से 31 दिनों की कथा के साथ प्रस्तुत की जाती है। राम लीला का मंचन उत्सव का वातावरण पैदा करता है और धार्मिक संस्कारों के अनुपालन को संभव बनाता है। यह पोशाक, गहने, मास्क, मुकुट, मेकेअप जैसे शिल्पों का समृद्ध प्रदर्शन दिखलाती है। इस त्योहार के दौरान 1.5 लाख से 2.0 लाख लोग शहर में आते हैं।

राम लीला की चार मुख्य शैलियाँ हैं: मूलकथा से जुड़ी झाँकी या झाँकी प्रतियोगिता की प्रधानता वाली शैली; बहु-स्थानीय मंचन वाली संवाद-आधारित शैली; ऑपरेटिव शैली जो क्षेत्र के लोक संगीत नाट्य के संगीत तत्वों से समृद्ध होती है और मंडली पेशेवर नाट्य मंडलियों द्वारा मंचित प्रदर्शन।

अयोध्या मंडली रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। प्रदर्शन संवाद आधारित होता है और मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन को गीतों और कथक नृत्यों और आकर्षक सजावट से उच्च स्तरीय बनाया जाता है।

1.6.2 राम नवमी मेला

अयोध्या अप्रैल के महीने में राम नवमी महोत्सव का आयोजन होता है। कनक भवन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान की पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस त्योहार के दौरान 1.0 लाख से 2.0 लाख लोग शहर में आते हैं।

1.6.3 श्रावण झूला मेला

यह मेला देवताओं की क्रीड़ाप्रियता का उत्सव है। श्रावण की दूसरे पक्ष के तीसरे दिन, देवताओं (विशेषकर राम, लक्ष्मण और सीता की) की छवियों को मंदिरों में झूलों में सजाया जाता है। उन्हें मणि पर्वत पर भी ले जाया जाता है, जहां मूर्तियों को पेड़ों की शाखाओं से लटके झूलों में झूलाया जाता है। बाद में सभी देवी- देवताओं को मंदिरों में वापस ले जाया जाता है। यह मेला श्रावण मास के अंत तक चलता है। इस त्योहार के दौरान 15 दिनों में 4 लाख से 5 लाख लोग शहर में आते हैं।

1.6.4 परिक्रमा

अयोध्या भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जहां हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा चौदह कोसी एवं पंच कोसी परिक्रमा की जाती है। ये महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की परिक्रमाएं हैं और अलग-अलग अवधि की हैं, सबसे छोटी 'अंतरग्रही परिक्रमा' होती है जिसे एक दिन के भीतर पूरा करना होता है। सरयू में डुबकी लगाने के बाद, भक्त नागेश्वरनाथ मंदिर से परिक्रमा शुरू करते हैं और राम घाट, सीता कुंड, मणिपर्वत और ब्रह्म कुंड से होते हुए अंत में कनक भवन में समाप्त करते हैं।

चौदहकोसी परिक्रमा वर्ष में एक बार अभयनवमी के अवसर पर की जाती है। यह 28 मील के चक्रवार पथ में 24 घंटे के भीतर सम्पन्न की जाती है। इस दिन लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। चौरासीकोसी परिक्रमा पथ, पथ का प्रमुख भाग अयोध्या विकास क्षेत्र के बाहर पड़ता है। यह 168 मील है और इसे करने में 15 से 20 दिन लगते हैं।

2 महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

अयोध्या नगर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास विभाग के शासनादेश संख्या 2816 / 37-3-45 एन. के. वि. / 78 लखनऊ, दिनांक 17.12.1979 द्वारा फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया।

अयोध्या नगर की प्रथम महायोजना-2001 को शासनादेश संख्या 5638 / 37-3-84-47एन. के. वी. / 81 दिनांक 05.12.1984 द्वारा स्वीकृत किया गया, जो तद्दिनांक से प्रभावी है।


अधिसूचना सं० 4490/11-5-85-99-डी०ए० -78 दिनांक 02/11/1985 द्वारा नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा 65 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये अयोध्या-फैजाबाद विकास क्षेत्र का गठन किया गया जिसका क्षेत्रफल 133.67 वर्ग किमी है।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 430/आठ-10-20-15 ई /2011 दिनांक 15 दिसंबर 2020 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र में नगर निगम अयोध्या, नगर पंचायत क्षेत्र भदरसा जिला अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज जिला गोण्डा तथा जिला अयोध्या, जिला गोण्डा एवं जिला बस्ती के 343 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 873.37 वर्ग किलो मीटर है। पूर्व अधिसूचित विकास क्षेत्र 133.67 वर्ग किलो मीटर की जी.आई.एस. आधारित महायोजना को भाग-क के रूप में तैयार किया गया है तथा शेष 739.7 वर्ग किलो मीटर विकास क्षेत्र की जी.आई.एस. आधारित महायोजना भाग-ख के रूप में तैयार किया जाएगा।

2.2 नगरीय विकास

शहर का अधिकतर विस्तार अयोध्या-आजमगढ़, अयोध्या-प्रयागराज, अयोध्या-रायबरेली और अयोध्या-लखनऊ जैसे मुख्य मार्गों के किनारे हुआ है। शहर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ और गोरखपुर को इस नगर से जोड़ता है। नगर के अंदर विकास की संतृप्तता के कारण इस नगर का विकास अन्य नगरों से सम्बद्ध मुख्य मार्गों के किनारे हो रहा है। इन क्षेत्रों में विकास की संभावनायें सर्वाधिक हैं। दशकवार विकास की दिशा निम्नवत् है :-

GROWTH PATTERN OF TOWN



2.2.1 अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग

इस सड़क के साथ विकास गतिविधियां इस सड़क पर स्थित हवाई अड्डे के कारण औसत हैं। पुराने विकास को छोड़कर, प्रतिबंधों के कारण नए विकास को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.2.2 अयोध्या-प्रयागराज मार्ग

हायर सेकेंडरी स्कूल, चीनी मिल, कार्ड बोर्ड फैक्ट्री और कृषि फार्म आदि की उपस्थिति के कारण इस सड़क के किनारे शहर का विकास हुआ है।

2.2.3 अयोध्या-रायबरेली मार्ग

कृषि उत्पादन बाजार, औद्योगिक क्षेत्र के कारण इस सड़क के किनारे विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं।

2.2.4 अयोध्या-लखनऊ मार्ग

इस सड़क के साथ किनारे सर्वाधिक विकास हो रहा है और औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास प्रमुखतः इसी सड़क के किनारे हुआ है।

2.3 अयोध्या महायोजना -2001

अयोध्या नगर के सुनियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2816/37-3-45एन.के.वी/78 लखनऊ दिनांक 17 दिसंबर, 1979 द्वारा फैजाबाद नगर पालिका परिषद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषद का क्षेत्र एवं उससे संलग्न 65 राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुये अयोध्या विनियमित क्षेत्र घोषित किया था। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अधीन उपरोक्त अयोध्या विनियमित क्षेत्र को अधिसूचना संख्या 4490/11-5-85-99 डी.ए./78 लखनऊ, दिनांक 02 नवंबर, 1985 द्वारा अयोध्या विकास क्षेत्र घोषित किया गया।

अयोध्या नगर की महायोजना - 2001 को शासनादेश संख्या 5638 / 37-3-84-47एन . के . वी . / 81 लखनऊ दिनांक 05.12.1984 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया , वर्तमान में प्रभावी है ।

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगर का धार्मिक पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या की पहली महायोजना 1983 में तैयार की गयी थी। जुड़वां शहरों में अपने धार्मिक महत्व के कारण विशेष अवसरों पर बड़ी संख्या में पर्यटक दोनों नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। यह पर्यटक आगमन हर साल आसपास के क्षेत्रों में भू-उपयोग को प्रभावित करता है।

पहली महायोजना वर्ष 1983 में तैयार की गयी थी और 1984 में लागू की गयी थी। महायोजना 1983-2001 की अवधि के लिए तैयार की गयी थी। उल्लेखनीय है कि महायोजना-2001 दो दशक पूर्व कालातीत हो चुकी है जो वर्तमान में लागू है। इस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि एवं पर्यटकों के आमद में वृद्धि आदि के कारण आवासीय, व्यावसायिक, धार्मिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सामुदायिक सुविधाओं से संबंधित क्रियाओं के विस्तार के फलस्वरूप महायोजना भू-उपयोगों के विरुद्ध अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास बढ़ने लगा। साथ ही साथ अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने लगी। यातायात प्रणाली पर दबाव बढ़ने के कारण ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या आदि समस्याएँ उत्पन्न होने लगीं।

राम मंदिर निर्माण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रारंभ होने के फलस्वरूप अयोध्या नगर भविष्य में विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित होने की क्षमता रखता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों यथा जनसंख्या के अनुसार विभिन्न क्रियाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं की मांग को पूरा करने, अयोध्या नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं नगर के नियोजित विकास हेतु महायोजना के पुनरीक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है।

3 वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 200 लाख निवासी हैं, यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,812,341 है जिसमें से पुरुष और महिला क्रमशः 52% (104,480,510) और 48% (95,331,831) हैं।


3.1.1 अयोध्या विकास क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार, अयोध्या की कुल नगरीय जनसंख्या 2,21,118 है, जिसमें 53.06% (1,17,325) पुरुष हैं और 46.94% (1,03,793) महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 52.5% (12,472) बालक और 47.5% (11,285) बालिका 0-6 साल की उम्र के बीच हैं। अयोध्या शहर की दशकीय जनसंख्या नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है:

तालिका 3-1 अयोध्या नगर की दशकीय जनसंख्या

	1961	1971	1981	1991	2001	2011
अयोध्या	83177	102835	132373	165079	194122	221118


स्रोत:- भारत की जनगणना



ग्राफ 3-1 अयोध्या नगर निगम की दशकीय जनसंख्या

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि शहर की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से घट रही है और 2011 में यह 14% थी। इस प्रकार नगर की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को पुनर्जीवित करना होगा।

वर्तमान पुरुष बनाम महिला जनसंख्या



चार्ट 3-1 अयोध्या पुरुष बनाम महिला

अयोध्या शहर में शून्य-6 साल के बच्चों की आबादी 5976 है जो कुल आबादी का 10.74% है। नीचे दी गई तालिका बच्चों की जनसंख्या (0-6) को दर्शाती है।

तालिका 3-2 बाल जनसंख्या (0-6)

नगर	जनसंख्या (0-6)		
	कुल	बालक	बालिका
अयोध्या	5976	3162	2814


स्रोत:- जनगणना 2011

उत्तर प्रदेश राज्य की कुल बाल जनसंख्या केवल 15% है और अयोध्या की बाल जनसंख्या 10.69% है जो राज्य के औसत से बहुत कम है।

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि शहर की बाल जनसंख्या 2001 में 15.4% से घटकर 2011 में 10.7% रह गई है, यह गिरावट छोटे परिवारों के लिए बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाती है। लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब, पीड़ित और अनपढ़ लोगों को और अधिक आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है।

3.1.2 ग्रामीण जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण की सीमा (महायोजना भाग-क) के अंदर अधिसूचित 65 गांवों की आबादी 167216 है। नीचे दिए गए ग्राफ में गांवों की दशकीय आबादी को दर्शाया गया है।



ग्राफ 3-2 अयोध्या की ग्रामीण जनसंख्या

स्रोत:- भारत की जनगणना

3.1.3 जन्म एवं मृत्यु दर


जन्म या मृत्यु पंजीकरण न केवल व्यक्ति के लिए उसके आधिकारिक अस्तित्व के प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि सरकार के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा सटीक, पूर्ण और समय पर महत्वपूर्ण जनसंख्या आदि डेटा के संकलन में किया जाता है। विशेष रूप से यह रिकॉर्ड सरकार द्वारा छोटे क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने में उपयोगी है। इसलिए जैसे ही किसी क्षेत्र में जन्म या मृत्यु होती है, संबंधित लोग अपने क्षेत्र के नगर निगम में जन्म और मृत्यु दर्ज करवाते हैं, तत्संबंधी अभिलेखों का रखरखाव उस क्षेत्र के नगर निगम का दायित्व है। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2015 में जन्म दर का प्रतिशत 22.94 % था जो वर्ष 2019 में घट कर 19.65 % रह गया। वहीं मृत्यु दर 2015 में 5.39 प्रतिशत थी, वर्ष 2019 में बढ़कर 6.99 प्रतिशत हो गई है।

तालिका 3-3 जन्म व मृत्यु दर

क्रमांक	वर्ष	जन्म संख्या	जन्म दर (%)	मृत्यु संख्या	मृत्यु दर (%)
1	2015	5074	22.94702	1193	5.395
2	2016	5034	22.76612	1233	5.576
3	2017	3851	17.41604	1253	5.667
4	2018	3729	16.8643	1082	4.893
5	2019	4347	19.65919	1547	6.996

स्रोत:- नगर निगम अयोध्या 2020

जन्म व मृत्यु दर



ग्राफ 3-3 जन्म व मृत्यु दर

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म दर में जहां निरंतर कमी आ रही है वहीं मृत्यु दर के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

3.2 लिंगानुपात

जनसंख्या का लिंगानुपात जन्म, मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास दर से प्रभावित होता है। लिंगानुपात पुरुष जनसंख्या के सापेक्ष स्त्री जनसंख्या की उपलब्धता पर आधारित होता है।


वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या शहर का लिंग अनुपात 763 है अर्थात 1000 पुरुषों की तुलना में मात्र 763 महिलाएं ही नगरीय क्षेत्र में निवसित हैं। अयोध्या नगर का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या के लिंगानुपात के सापेक्ष काफी कम है।

तालिका 3-4 लिंग अनुपात

नगर	लिंगानुपात		
	1991	2001	2011
अयोध्या	688	701	763
उत्तर प्रदेश शहरी	879	912	894

Source: Census of India 2011

लिंग अनुपात



ग्राफ 3-4 अयोध्या का लिंग अनुपात

वर्ष 1991 में अयोध्या नगर का लिंगानुपात मात्र 688 था जो वर्ष 2001 में 701 एवं वर्ष 2011 में बढ़कर 763 हो गया है। इससे स्पष्ट होता है की अयोध्या नगर के लिंग अनुपात में निरंतर सुधार हुआ है। इसे महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कुछ हद तक महिलाओं की स्थिति में सुधार और महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसरों की उपलब्धता को इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है एवं इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है।


3.3 साक्षरता दर

साक्षरता दर सामाजिक-आर्थिक प्रगति की कुंजी है। साक्षरता व्यक्ति के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण घटक है जो उसे अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से समझने और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने में योग्य बनाती है। शिक्षा और साक्षरता का उच्च स्तर अधिक जागरूकता पैदा करता है और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार में भी योगदान करता है। अयोध्या शहर की साक्षरता दर 73.6% है जबकि अयोध्या जिले की 84.03% एवं राज्य की औसत साक्षरता दर 68.68% है।


तालिका 3-5 साक्षरता दर

क्रमांक	नगर का नाम	साक्षरों की संख्या			निरक्षरों की संख्या			साक्षरता दर (%)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें
1	अयोध्या नगर निगम	162902	90332	72570	58216	26993	31223	73.6%	41%	33%

स्रोत:- जनगणना 2011



चार्ट 3-2 साक्षरता दर - अयोध्या



चार्ट 3-3 साक्षरता दर - पुरुष बनाम महिला

2011 की जनगणना के अनुसार, अयोध्या शहर में पुरुषों की साक्षरता दर 78 % एवं महिला साक्षरता दर 70.05 % है।

3.4 कार्यशील जनसंख्या


3.4.1 भागीदारिता दर

किसी भी शहर का आर्थिक विकास उसकी कार्यशील जनसंख्या की भागीदारी पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या नगर की कुल 31 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। अयोध्या नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या 69,499 है जिसमें पुरुष कार्यशील जनसंख्या 57,047 एवं महिला कार्यशील जनसंख्या 12,452 है।


तालिका 3-6 कार्यबल भागीदारी

क्रमांक	नगर का नाम	कुल कामगार			गैर – कामगार		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	अयोध्या	69,499	57,047	12,452	1,51,619	60,278	91,341

स्रोत : जनगणना 2011



चार्ट 3-4 कार्यबल - अयोध्या



चार्ट 3-5 कामगार एवं गैर कामगार

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है की अयोध्या नगर में गैर कामगार जनसंख्या (68.56 प्रतिशत) काफी अधिक है। इसे शहर के भीतर रोजगार के अवसरों की कमी से भी जोड़ा जा सकता है। कुल गैर कामगार जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 27 प्रतिशत एवं महिलाओं का प्रतिशत 41 प्रतिशत है।

3.4.2 कार्यशील जनसंख्या में महिला एवं पुरुषों की भागीदारी

शहर में कार्यशील जनसंख्या की भागीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए वर्षवार विश्लेषण एवं तुलना आवश्यक है। निम्नांकित तालिका में भारत की जनगणना के अनुसार 1991 से 2011 तक के श्रमिकों की संख्या दर्शायी गई है :-

तालिका 3-7 कार्यबल भागीदारी का रुझान

क्रमांक	1991			2001			2011		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	42601	39741	2833	51681	45541	6140	69499	57047	12452

स्रोत : जनगणना 2011

ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि 2011 में श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या मात्र 31% है जो 2001 के 27% से अधिक है। यह स्थिति प्रवासन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। 2001-2011 के दौरान पुरुषों की कार्य भागीदारी दर 23% से मामूली रूप से बढ़कर 26% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान महिलाओं के मामले में यह 3% से 6% तक वृद्धि प्रदर्शित करता है।

शहर में और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर की आवश्यकता है। स्टार्टअप अथवा लघु उद्योग श्रमिकों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे शहर में कार्य भागीदारी दर बढ़ सकती है।

3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कामगारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है :-

1. मुख्य कामगार
2. सीमांत कामगार
3. गैर कामगार

मुख्य कामगार के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या छह महीने) या उससे अधिक के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए हैं। सीमांत श्रमिक वे हैं जिन्होंने गणना से पहले के वर्ष में किसी समय काम किया था, लेकिन वर्ष के एक बड़े हिस्से में कोई काम नहीं किया। अर्थात्, जिन्होंने 183 दिनों (या छह महीने) से कम समय तक काम किया और काम के लिए अन्य स्थान पर प्रवास भी किया। गैर-श्रमिक वे हैं जिन्होंने गणना की तारीख से पहले के वर्ष में कभी भी कोई काम नहीं किया था। इन श्रेणियों को फिर चार उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-


1. कृषक
2. कृषि मजदूर
3. घरेलू उद्योग के श्रमिक
4. अन्य श्रमिक

तालिका 3-8 कार्यबल श्रेणी


क्रमांक	नगर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	अयोध्या	53,993	46,632	7,361	15,506	10,415	5,091

स्रोत : जनगणना 2011

Main & Marginal Worker



Male vs Female



चार्ट 3-6 मुख्य एवं सीमांत कामगार

चार्ट 3-7 महिला बनाम पुरुष कार्यबल

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि अयोध्या शहर की कुल कार्यशील जनसंख्या का 78 प्रतिशत मुख्य कामगार हैं एवं 22 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। मुख्य कामगार जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी मात्र 11 प्रतिशत एवं सीमांत कामगार की 22 प्रतिशत जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 7 प्रतिशत है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मुख्य कामगार के सापेक्ष सीमांत कामगारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है।

3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण

कृषक :- जनगणना के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो सरकारी भूमि अथवा निजी भूमि अथवा किसी संस्था की भूमि पर सहभागिता अथवा मुद्रा विनिमय अथवा किसी अन्य आर्थिक लाभ हेतु कृषि क्रिया में संलग्न हैं को कृषक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। कृषक द्वारा खेती में प्रभावी प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है।

कृषि मजदूर :- वह व्यक्ति जो पैसे या वस्तु या वेतन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर काम करता है, उसे कृषि मजदूर माना जाता है। उसे कृषि में कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि वह मजदूरी के लिए ही दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कार्य करता है। कृषि मजदूर को उस जमीन पर पट्टे या अनुबंध संबंधी कोई अधिकार नहीं होता जिस पर वह काम करता है।

घरेलू उद्योग श्रमिक :- घरेलू उद्योग को परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास स्थान पर या गाँव के अंदर और शहरी क्षेत्र में केवल उस आवास के परिसर के भीतर संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ परिवार रहता है। घरेलू उद्योग में श्रमिकों की बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य होते हैं। उद्योग पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं संचालित किया जाता है, क्योंकि पंजीकृत कारखाने में बिजली के साथ-साथ अधिकतम 10 व्यक्ति या बिना बिजली के अधिकतम 20 व्यक्ति कार्य करते हैं एवं भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी घरेलू उद्योग का मुख्य मानदंड परिवार के एक या अधिक सदस्यों की भागीदारी है। यदि उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर स्थित नहीं है, तब भी परिवार के सदस्यों के ही काम करने की अधिक संभावना होती है, भले ही उद्योग गाँव की सीमा के भीतर कहीं भी स्थित हो। शहरी क्षेत्रों में घरेलू उद्योग उस घर के परिसर तक ही सीमित होना चाहिए।

अन्य कामगार :- ऊपर परिभाषित कृषकों, कृषि मजदूरों अथवा घरेलू उद्योगों के कामगारों के अलावा दूसरे कामगार, अन्य कामगार कहलाते हैं। सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य में संलग्न व्यक्ति, पुजारी, मनोरंजन कलाकार आदि इसके उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं।

3.6.1 मुख्य कामगार


अयोध्या के मुख्य और सीमांत कामगारों का प्रतिशत क्रमशः 26 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। जिसमें मुख्य कामगार के अंतर्गत 53993 व्यक्ति सम्मिलित हैं। मुख्य कामगार जनसंख्या में 90 प्रतिशत

जनसंख्या अन्य कामगार ,तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (5 प्रतिशत) , कृषि मजदूर (3 प्रतिशत) एवं कृषक (2 प्रतिशत) हैं ।

तालिका 3-9 मुख्य कामगार


क्रमांक	शहर का नाम	मुख्य कामगार				
		कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग कामगार	अन्य कामगार	योग
1	अयोध्या	1039	1286	2900	48769	53993

स्रोत: जनगणना 2011




चार्ट 3-8 मुख्य कामगार

2001 व 2011 में मुख्य कामगारों की तुलना (पुरुष)



ग्राफ 3-5 मुख्य पुरुष कामगार 2001 एवं 2011

2001 व 2011 में मुख्य महिला कामगारों की तुलना



ग्राफ 3-6 मुख्य महिला कामगार 2001 एवं 2011

उपरोक्त ग्राफ संख्या 4.12 से स्पष्ट है की मुख्यकामगार में महिला जनसंख्या की भागीदारी वर्ष 2000 का सापेक्ष वर्ष 2011 में 8 प्रतिशत से बढ़ कर 12 प्रतिशत हो गई है ।

3.6.2 सीमांत कामगार


अयोध्या में सीमांत कामगारों का प्रतिशत 5 प्रतिशत है जिसमे 15506 व्यक्ति सम्मिलित हैं। सीमांत कामगारों में अन्य कामगारों की जनसंख्या का प्रतिशत 85 प्रतिशत, तदोपरांत क्रमशः घरेलू उद्योग कामगार (8 प्रतिशत) , कृषि मजदूर (6 प्रतिशत) एवं कृषक (1 प्रतिशत) हैं ।

तालिका 3-10 सीमांत कामगार


क्रमांक	शहर का नाम	सीमांत कामगार				
		कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग कामगार	अन्य कामगार	योग
1	अयोध्या	177	903	1240	13186	15506

स्रोत: जनगणना 2011


सीमांत कामगार



चार्ट 3-9 सीमांत कामगार




ग्राफ 3-7 सीमांत पुरुष कामगार 2001 व 2011




ग्राफ 3-8 सीमांत महिला कामगार 2001 व 2011

कार्य का प्रकार



चार्ट 3-10 कार्य का प्रकार

मासिक आय



चार्ट 3-11 मासिक आय

स्रोत: जनगणना 2011

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि नगर में 48 प्रतिशत जनसंख्या नौकरियों में, 35 प्रतिशत जनसंख्या व्यवसाय / व्यापार में, 11 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कार्यों में तथा 6 प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। उपरोक्त जनसंख्या का मासिक वेतन के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 64 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की औसत आय रु. 25000/- से कम है एवं 34 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की औसत मासिक आय रु. 25000/- से अधिक है। विकास क्षेत्र के भीतर आर्थिक अवसरों का विकास किए जाने की आवश्यकता है। अयोध्या के व्यावसायिक ढांचे से पता चलता है कि काम करने का रुझान सरकारी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है जो एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि पर्यटन नगर होने के कारण पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ पर्यटन शहर और लोगों को प्रदान किए गए अवसरों को चुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

3.7 पारिवारिक संरचना


पारिवारिक संरचना का स्वरूप स्थानीय एवं क्षेत्रीय विशेषता पर आधारित होता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, रोजगार के अवसर मुख्य कारक के रूप में कार्य करते हैं। तालिका सं० 3-11 के अनुसार अयोध्या नगर में कुल 10026 परिवार निवासित हैं जिनकी पारिवारिक संरचना में 6 से 8 सदस्यों वाले परिवार का वर्चस्व है। अयोध्या नगर में पारिवारिक संरचना में 6 से 8 सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत 32.9 प्रतिशत, 5 सदस्यों वाले परिवार का प्रतिशत 19 प्रतिशत, 4 सदस्यों वाले परिवार का प्रतिशत 16.8 प्रतिशत एवं 9 से अधिक सदस्यों वाले परिवार का प्रतिशत 14.1 प्रतिशत है। अर्थात् 82.8 प्रतिशत परिवारों में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 4 एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या 9 से अधिक है जो की वर्तमान परिदृश्य में एक ज्वलंत बिन्दु है एवं परिवार के संरचना के नियोजन की अत्यंत आवश्यकता है।

तालिका 3-11 परिवार का आकार

वर्ष	शहरी	परिवार की संख्या	जनसंख्या	परिवार का आकार						
				1	2	3	4	5	6-8	9+
2011	शहरी	10026	2, 21,118	3	5.6	8.6	16.8	19	32.9	14.1


स्रोत: जनगणना 2011

मकानों की दशा



चार्ट 3-12 घरों की दशा

स्वामित्व स्थिति



चार्ट 3-13 स्वामित्व स्थिति

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त चार्ट के विश्लेषण से ज्ञात होता है की अयोध्या नगर में 63 प्रतिशत घरों की स्थिति अच्छी दशा में है जबकि 33 प्रतिशत घर निवास योग्य हैं एवं 4 प्रतिशत घर जीर्ण शीर्ण दशा में हैं जबकि घरों के स्वामित्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है की 84 प्रतिशत जनसंख्या स्वयं के घरों में निवसित है , 14 प्रतिशत जनसंख्या किराये के घरों में निवसित है एवं 2 प्रतिशत परिवारों के पास कोई स्थायी घर नहीं है ।

3.7.1 मलिन बस्ती

मलिन बस्ती शब्द का प्रयोग अक्सर शहरों के भीतर अनौपचारिक बस्तियों के लिए किया जाता है जहाँ निवास करने के लिए आवश्यक अवस्थापनाओं का अभाव होता है एवं रहने की स्थिति दयनीय होती है । ये अक्सर उच्च घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं । मलिन बसतियों में निवास योग्य कमरों का आकार काफी कम होता है । मलिन बस्ती वर्तमान तीव्र शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास की परिणीति है । झुग्गी-झोपड़ियों के प्रसार का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण पलायन में वृद्धि से उत्प्रेरित तीव्र शहरीकरण एवं अवस्थापनाओं संबंधी सुधारों का विकास ना हो पाना है।

अयोध्या के मुख्य मलिन बस्ती क्षेत्रों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :-


तालिका 3-12 मलिन बस्ती आँकड़े

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	क्या यह अधिसूचित है	घरों की संख्या (लगभग)	मलिन बस्ती की जनसंख्या (अनुमानित)
1	कंधारी बाज़ार	नहीं	512	1850
2	साहब गंज	हां	805	4025
3	वज़ीर गंज	नहीं	732	3660
4	जनौरा	नहीं	642	3210
5	फतेह गंज	नहीं	389	2350
6	रेहिया	हां	411	6850
7	जयसिंहपुर	हां	804	3724
	कुल		4295	25669

स्रोत: जिला जनगणना हैडबुक 2011

जिला जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या नगर में मुख्य 7 मलिन बस्तियां हैं जिनमे से 3 मलिन बस्तियां (साहबगंज, रेहिया एवं जयसिंहपुर) अधिसूचित हैं। अयोध्या नगर की मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या 25669 है, जिसमें 4295 परिवार निवसित हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी मलिन बस्ती रेहिया एवं परिवारों की संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी मलिन बस्ती साहबगंज (805 परिवार) है। मलिन बस्तियों के आवासीय संरचना का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 62 प्रतिशत परिवारों के घरों की दशा अच्छी है, 34 प्रतिशत घर निवास योग्य हैं, जबकि 4 प्रतिशत घर जीर्ण शीर्ण दशा में हैं।

मलिन बस्ती की दशा




चार्ट 3-14 मलिन बस्ती की दशा

3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

आर्थिक क्षेत्रों को मूल रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनफॉर्मल सेक्टर में विभाजित किया गया है।

प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और कच्चे माल तथा बुनियादी माल का उत्पादन करता है जिनका उपयोग उद्योगों या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करने वाला बुनियादी कारक है। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें कच्चे मालों से समान तैयार किया जाना अथवा सीधे उपभोग हेतु वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तृतीयक क्षेत्र अमूर्त प्रकृति का है एवं सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की शिक्षा, चिकित्सा, होटल, वित्त इत्यादि सेवाओं को प्रदान किया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत ऐसी लघु स्तर की/अपंजीकृत व्यवसायिक क्रियाएँ आती हैं जिन्हें व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार्गों के किनारे / खाली स्थलों पर / चौराहों के आस पास / रेलवे स्टेशन, बस अड्डों आदि के आस पास संचालित किया जाता है।

शहर का आर्थिक नियोजन न केवल उपर्युक्त आर्थिक क्षेत्रों पर निर्भर करता है बल्कि यह कार्यबल या रोजगार, व्यावसायिक संरचना और औद्योगिक क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। अयोध्या के मामले में यह सर्वमान्य है कि ऐतिहासिक महत्व के कारण, पर्यटन भी इस नगर की अर्थव्यवस्था के सृजन में बड़ी भूमिका निभाता है।




3.9 प्राथमिक क्रिया

प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध देश के प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कच्चे माल और बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग उद्योगों या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले एक बुनियादी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।


3.9.1 कृषि प्रोफ़ाइल

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है। राज्य की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राज्य में कुल कार्यबल का 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं। देश के खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में राज्य की कृषि की सर्वोपरि भूमिका है। कृषि सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार राज्य में 233.25 लाख किसान हैं। यह किसानों की कड़ी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है कि राज्य खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और आवश्यकता से अधिक की ओर बढ़ रहा है। अतएव, विकास क्षेत्र की सीमा के भीतर कृषि क्षमता जानने के लिए, गांवों में कृषि भूमि की गणना की गई है एवं निम्नवत तालिकानुसार प्रदर्शित किया गया है :-



चार्ट 3-15 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि

उपरोक्त पाई चार्ट से स्पष्ट है की शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 73% है और ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि लगभग 7% है।




चार्ट 3-16 कृषि भूमि स्वामित्व


स्रोत प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

3.9.2 सिंचाई


सिंचाई के साधनों का विकास प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अच्छी फसल प्राप्त करने एवं उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल को पैदा करने में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत मुख्यतः नहर, रजबहा, नाली, कुएं, ट्यूबवेल, टैंक, झील इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही उद्योगों को भी विनिर्माण हेतु जल की आवश्यकता होती है जिनकी पूर्ति नहर इत्यादि साधनों के माध्यम से की जाती है। अगले 35 से 45 वर्षों में विश्व खाद्य उत्पादन को बढ़ी हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए दोगुना करने की आवश्यकता होगी। इस बढ़े हुए खाद्य उत्पादन का 90 प्रतिशत मौजूदा भूमि से आना होगा और इस बढ़े हुए खाद्य उत्पादन का 70 प्रतिशत सिंचित भूमि से प्राप्त करना होगा। सिंचाई के बिना खेती बहुत सीमित हो जाती है और यदि वर्षा 30 सेमी से कम हो जाती है, तो सिंचाई के बिना कृषि असंभव हो जाती है।




चार्ट 3-18 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि



चार्ट 3-17 सिंचित भूमि



चार्ट 3-20 कुल सिंचित क्षेत्र



चार्ट 3-19 फसल बोने का प्रकार

स्रोत जनगणना 2011

3.9.2.1 ए.पी.एम.सी. बाजार

उत्तर प्रदेश में कृषि बाजार यूपीएपीएमसी अधिनियमों के तहत स्थापित और विनियमित हैं। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिचौलियों को खत्म करने और खेत से उपभोक्ता तय पहल को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधन किया है। इसमें किसान सीधे अपनी उपज को उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे।

वर्तमान में अयोध्या जनपद में दो एपीएमसी बाजार हैं, जिनमें से एक अयोध्या नगर में 39.30 एकड़ का एवं एक रुदौली में 8.00 एकड़ का है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह भी देखा गया कि अयोध्या कृषि उत्पादन में समृद्ध है, नीचे दी गई तालिका अयोध्या में प्रति वर्ष कृषि उत्पादन दिखाती है।

तालिका 3-13 कृषि सामग्री उत्पाद

कुल कृषि-वस्तु उत्पादन	मात्रा (क्विंटल में)	मूल्य (रुपये में)
2015-2016	2412663	215,39,09,100
2016-2017	266129000	222,05,82,950
2017-2018	2746310	313,38,24,316
2018-2019	2494966	319,00,84,000
2019-2020	2616387	294,39,95,060

*List of type of commodities are attached in annexure

Source: Nagar Nigam Ayodhya 2020

उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 फलों और सब्जियों को अनाधिसूचित किया है; किसान सीधे अपनी वस्तुओं को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बेच सकते हैं। 46 वस्तुओं के व्यापारियों को मंडी शुल्क अदा करने से मुक्त किया गया है। कोविड 19 के बाद मंडियों में भीड़भाड़ से बचने के लिए यू.पी.ए.पी.एम.सी. अधिनियम में यह नया सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश में सुधारों को लागू करने और कृषि विपणन व्यवसाय करने की सुगमता आसान को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है।



Source: Primary Survey-2020

चित्र 3-1 मंडी , अयोध्या

पशुपालन फसल की खेती का एक अभिन्न अंग है और यह बढ़ी हुई घरेलू आय के माध्यम से घरेलू पोषण सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। छोटे और मध्यम जोत में पशुपालन विशेष रूप से डेयरी और मिश्रित खेती से आय अधिक और अत्यधिक टिकाऊ होती है। भारतीय कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन की आर्थिक सहजीविता है, जिसका आधार मवेशी है। डेयरी पशु फसल अवशेषों और फसलों के उप-उत्पादों को परिवर्तित करके दूध का उत्पादन करते हैं जो अन्यथा बर्बाद हो जाते। डेयरी क्षेत्र नकद आय, मसौदा शक्ति और जैविक खाद के रूप में योगदान देता है।

तालिका 3-14 पशु पालन उत्पाद

पशुपालन उत्पाद	घी की मात्रा (क्विंटल में)	मूल्य (रुपये में)
2015-2016	508	14415500
2016-2017	524	13614100
2017-2018	470	13719800
2018-2019	0	0
2019-2020	0	0

Source: Nagar Nigam Ayodhya 2020

अयोध्या में पशुपालन के माध्यम से घी का उत्पादन किया गया था, लेकिन वर्ष 2019 से इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है, हालांकि शहर में सबसे अधिक मंदिर हैं और हिंदू रीति-रिवाजों में घी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसलिए शहर में मंदिरों के निर्वाह के लिए उत्पादन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और यह स्थानीय समुदायों के लिए आय का एक अन्य स्रोत बन सकता है।

3.10 द्वितीयक क्रिया

3.10.1 विनिर्माण - एम.एस.एम.ई. के बड़े, मध्यम एवं क्लस्टर

तालिका 3-15 उद्योगों की संख्या

अयोध्या	2019	2020
उद्योगों की संख्या	972	1036

स्रोत अयोध्या उद्योगिक विकास 2020

तालिका 3-16 उद्योगों के प्रकार

क्रमांक	उद्योगों के प्रकार	इकाइयों की संख्या		श्रमिकों की संख्या	
		विनिर्माण	सेवाएं	विनिर्माण	सेवाएं
1	बड़ा	NIL	NIL	NIL	NIL
2	मध्यम	1	3	50	1050
3	लघु	57	212	1306	2049
4	सूक्ष्म	330	433	1665	1225
5	खतरनाक	NIL	NIL	NIL	NIL
	कुल	388	648	3021	4324

स्रोत अयोध्या उद्योगिक विकास 2020

अयोध्या विकास क्षेत्र के मुख्य कामगारों में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या 7345 है जो कि कुल मुख्य कामगार जनसंख्या का 13.6 प्रतिशत है। घरेलू उद्योगों के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या 2900 (5.30 प्रतिशत) है। घरेलू उद्योगों के अंतर्गत मुख्य रूप से फोटो फ्रेम का निर्माण, कंठी, माला, प्रसाद, मोती माला इत्यादि का निर्माण किया जाता है। साथ ही कुछ अन्य उद्योग यथा बेकरी कृषि यंत्र निर्माण से संबंधित लघु एवं माध्यम श्रेणी के उद्योग विकास क्षेत्र में स्थापित हैं।

अयोध्या विकास क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का आधिपत्य है जबकि बड़े एवं खतरनाक उद्योगों का अभाव है। लघु उद्योगों के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की 433 इकाईयां स्थापित हैं जिनमें 1225 श्रमिक तथा मध्यम उद्योगों में सेवा क्षेत्र की कुल 212 इकाईयां स्थापित हैं जिनमें 2049 श्रमिक कार्यरत हैं।

लघु उद्योगों के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की 330 इकाईयां स्थापित हैं जिनमें 1665 श्रमिक तथा मध्यम उद्योगों में विनिर्माण क्षेत्र की कुल 57 इकाईयां स्थापित हैं जिनमें 1306 श्रमिक कार्यरत हैं।

3.11 तृतीयक क्रिया

3.11.1 व्यापार (थोक /खुदरा व्यापार)

शहर में थोक व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :-

1. "खुदरा व्यापार" या अन्य "थोक व्यापार"।
2. "निर्माण", "विनिर्माण", "परिवहन", "खान पान स्थल", "आवास", "अस्पताल", "स्कूल", "सरकारी और सार्वजनिक संगठन" में लगे औद्योगिक इकायियों को माल की सप्लाई।
3. मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए माल की सप्लाई, कार्यालय उपयोगी मशीनें और उपकरण, अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सुविधाएं, सौंदर्य सैलून, रेस्तरां और होटल, और औद्योगिक मशीनरी (कृषि मशीनों या उपकरणों को छोड़कर), साथ ही साथ निर्माण सामग्री (लकड़ी, सीमेंट, शीट ग्लास, छत की टाइलें, आदि)
4. "विनिर्माण" में लगी किसी कंपनी द्वारा उत्पादित स्वयं के माल का अपने प्रबंधन के तहत एक अलग स्थान पर थोक व्यापार है। (मुख्य रूप से प्रबंधन मामलों के समग्र नियंत्रण में लगे प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है।)
5. अन्य प्रतिष्ठानों की ओर से माल की बिक्री, या माल की बिक्री के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

खुदरा व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं :-

- (1) लोगों को या घरेलू उपभोग के लिए माल की बिक्री।
- (2) औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को कम मात्रा में माल की बिक्री। "खुदरा व्यापार" को आमतौर पर बेचे जाने वाले मुख्य सामान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है

तालिका 3-17 वाणिज्यिक दुकानें

संख्या	वाणिज्यिक क्षेत्र	दुकानों की संख्या
1	राज्य बस स्टेशन	28
2	जमुनिया बाग	22
3	पुष्पराज के पास	19
4	महिला अस्पताल के पास	36

5	अंगूरी बाग	19
6	मच्छली बाजार	5
7	मुकरजी टोपी	123
8	फैन मंडी चौक	19
9	पानी टैंक चौक	22
10	चौक घंटाघर	14
11	नजूल भूमि	7
12	नगरपालिका भूमि	7
	कुल	321

Source: Nagar Nigam Ayodhya 2020

3.11.1.1 होटल और रेस्टोरेंट

होटल पर्यटन उत्पाद का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। वे अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के मानकों के माध्यम से समग्र पर्यटन अनुभव में योगदान करते हैं। होटलों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के समकालीन मानक प्रदान करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने परिचालन होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है जो निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगी: स्टार श्रेणी के होटल: 5 सितारा डीलक्स, 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा, 2 सितारा और 1 सितारा विरासत श्रेणी होटल: हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज बेसिक

तालिका 3-18 होटल व रेस्टोरेंट आँकड़े

क्रमांक	पता	आवास नाम का पता	आवास का प्रकार	कमरा
1	प्रोफेसर कॉलोनी, अयोध्या	होटल साकेत, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई	होटल	21
2	राम कथा पार्क, अयोध्या	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की एक इकाई राही यात्रा निवास अयोध्या।	होटल	12
3	वैदेही नगर, अयोध्या	होटल कोहिनूर पैलेस	होटल	18
4	स्टेशन रोड, अयोध्या	होटल कृष्णा पैलेस	होटल	91

5	साकेतपुरी योजना, बाईपास चौराहा, देवकाली, अयोध्या के पास	ताराजी रिजॉर्ट होटल और रेस्तरां	होटल	38
6	अशोक सिंघल जी (रामघाट) हाल्ट रेलवे स्टेशन, नायघाट, अयोध्या के पास	रामप्रस्थ होटल और रिसॉर्ट्स	होटल	25
7	मोतीबाग, सुभाष नगर, अयोध्या	आभा होटल	होटल	40
8	महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) देवकाली रोड, इलाहाबाद बैंक के पास	ए पी महल	बिस्तर और नाश्ता / होमस्टेज	5
9	दंत धवन कुंड, अहिराना मार्ग, हनुमान गढ़ी मंदिर, न्यू कॉलोनी, अयोध्या के पास	श्री लॉज होटल	गेस्ट हाउस	10
10	माखापुर, अयोध्या	तिरुपति होटल	होटल	70
11	शंकर गढ़ मार्केट देवकाली बाईपास, अकबरपुर अयोध्या रोड	विंध्यावासिनी गेस्ट हाउस	गेस्ट हाउस	26
12	बस स्टैंड, सिविल लाइन, अयोध्या के पास	शाने अवध होटल प्रा. लिमिटेड	होटल	128
13	नाका बाईपास चौराहा, दीशा कोचिंग, अयोध्या के पास	गुरुदेव पैलेस होटल और लॉन	होटल	20
14	मानस भवन के पास, अयोध्या बाईपास, अयोध्या के पास	सूर्य पैलेस अयोध्या धाम	गेस्ट हाउस	42
15	श्रीगारहाट, अयोध्या	श्री राम पाथिक निवास धर्मशाला	अन्य	20
16	वज़ीर गंज जाप्ती, जनौरा, फैजाबाद	श्रीराम गेस्ट हाउस	गेस्ट हाउस	14
17	परिक्रम मार्ग, अयोध्या	आर जी होटल और रिसॉर्ट्स	होटल	12

छोत नगर निगम अयोध्या

इस प्रकार, वर्तमान में रहने के लिए 592 कमरों वाले केवल 17 होटल हैं और 70 धर्मशालाएँ हैं।

3.12 भौतिक अवसंरचना

बुनियादी भौतिक ढांचे में जल आपूर्ति, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली और परिवहन तथा संचार शामिल हैं।

3.12.1 जलापूर्ति

बेहतर जल संसाधन प्रबंधन गरीबी उन्मूलन, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण समाज, सतत विकास हेतु आवश्यक है पीने के पानी की सुरक्षा और प्रबंधन एक बुनियादी जरूरत है एवं पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति मानव जीवन और जन भलाई के लिए आवश्यक है। पीने का पानी दुनिया भर में लोगों और परिवारों द्वारा विभिन्न तरीकों से लिया जाता है, जिसमें सतह के जल से बर्तन भरने से लेकर पाइप द्वारा जलापूर्ति वाला नल खोलने तक शामिल हैं। हाल के दशकों में, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

3.12.1.1 जलापूर्ति की स्थिति

वर्तमान में जलापूर्ति की उपलब्धता लगभग **39.55 एमएलडी** है और 221118 (अयोध्या) की आबादी के लिए मानकों के अनुसार पानी की आपूर्ति की आवश्यकता 49.68 एमएलडी है। इस प्रकार जलापूर्ति 10.13 एमएलडी का अंतर है। नगरों में नल वाले जल कनेक्शन की संख्या 41718 है और वितरण प्रणाली की लंबाई 254 किमी है। कुल 14 जलापूर्ति टैंकर उपलब्ध हैं और 1939 इंडियन माकड-2 हैंड पंप हैं। अयोध्या नगर में कुल 12 ओवरहेड टंकी है।

तालिका 3-19 मौजूदा जलापूर्ति स्थिति

	नल का जल		हैंड पंप	कुआं / बोरेवेल	टैंक / तालाब	नदियों / नहर	अन्य
	उपचारित स्रोत	अनुपचारित स्रोत					
1	आँकड़े उपलब्ध नहीं	39.55 MLD	1939	आँकड़े उपलब्ध नहीं	14	1	आँकड़े उपलब्ध नहीं

Source: Jalkal Vibhag Ayodhya 2020

तालिका 3-20 मौजूद जलापूर्ति मात्रा


क्रमांक	पानी की आपूर्ति की मात्रा	प्रति दिन आपूर्ति का समय / घंटा	कनेक्शन की संख्या	आच्छादित क्षेत्र	मीटरिंग प्राप्त
1	39.55 MLD	2 घंटे / दिन	41718	-	-

Source: Jalkal Vibhag Ayodhya 2020

तालिका 3-21 ओवरहेड टैंक जानकारी

क्रमांक	क्षेत्र	क्षमता
1	जलकल कॉलोनी कैम्पस	2000 Kilo liter
2	रीडगंज	1000 Kilo liter
3	अश्विनी पुरम	2500 Kilo Liter
4	अंगूरी बाग	2000 Kilo Liter
5	सुरसरी कॉलोनी	25000 Kilo Liter
6	टेढ़ी बाजार	250 Kilo Liter
7	जलकल परिसर	750 Kilo liter
8	नलकुप संख्या .06	1200 Kilo Liter
9	अशफ़ी भवन	1200 Kilo Liter
10	राजद्वार	2200 Kilo Liter
11	झुनकी घाट	250 Kilo Liter
12	काशीराम कॉलोनी	750 Kilo Liter

Source: Jalkal Vibhag Ayodhya– 2020



चार्ट 3-21 जलापूर्ति स्रोत

Source: Primary Survey 2020

उपरोक्त चार्ट प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आँकड़े दिखाते हैं; यह देखा जा सकता है कि प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत भूजल है जो पीने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के साथ 58 प्रतिशत है।

URDPFI दिशानिर्देश और सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल 1999 के अनुसार शहर के लिए वांछित पानी की आपूर्ति की अधिकतम मात्रा 135 एल.पी.सी.डी. है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 70 एल.पी.सी.डी. है।

3.12.2 जलनिकासी

3.12.2.1 वर्षा जल निकासी

वर्षा की अवधि के दौरान वर्षा जल की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है जो जमीन की सतह में नहीं बैठ पाता और इसमें से अधिकांश अतिरिक्त भूमि प्रवाह या सीधे सतह अपवाह बन जाता है। इस प्रवाह की मात्रा और लौकिक विविधताओं के विश्लेषण के लिए कई कारकों का योगदान होता है। इनमें भूमि का भूविज्ञान, स्थलाकृति, भूगोल, वर्षा की तीव्रता और प्रवृत्ति और भूमि उपयोग के प्रकार शामिल हैं। इस तरह के अपवाह का तूफान सीवरों तक पहुंचने का अनुमान, वर्षा की तीव्रता और अवधि, सहायक नदी क्षेत्र की विशेषताओं और इस तरह के प्रवाह को सीवर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय पर निर्भर है। अतएव क्षेत्र में भराव किए बिना प्रवाह को सीवर तक पहुंचने के लिए उचित जल निकासी नेटवर्क की आवश्यकता है।

तालिका 3-22 वर्षा जल निकासी आँकड़े

क्रमांक	शहर	खुली सतह नालियाँ	कवर नालियाँ	भूमिगत सीवेज	अन्य
1	अयोध्या	हां	हां	ना	-

Source: स्रोत जनगणना 2011

प्राथमिक सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अयोध्या में जल निकासी हेतु मात्र खुले और बंद दोनों तरह के नाले हैं परंतु भूमिगत सीवेज सिस्टम का अभाव है। अयोध्या शहर में स्वास्थ्यप्रद स्थिति बनाए रखने और इस पवित्र शहर के सौंदर्यबोध को बढ़ाने के लिए भूमिगत जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता है।


3.12.2.2 स्वच्छता

नगरिया स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने हेतु आवश्यक अवस्थापनाओं की आवश्यकता है। साथ ही साथ आम जन मानस में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। लोगों को यह समझने की जरूरत होती है कि उनकी जीवन शैली और मौजूद विश्वास के क्रम में, बेहतर स्वास्थ्य स्वच्छता प्रथाओं जैसे हाथ धोने (शौच के बाद, बच्चों के मल का निपटान के बाद, और खाना बनाने से पहले हाथ धोने) इत्यादि व्यक्तिगत व्यवहारों विकसित होना आवश्यक है। मल के सुरक्षित निस्तारण के लिए शौचालय के प्रयोग, पीने के पानी और भोजन के सुरक्षित भंडारण पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छता और साफ सफाई क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में जागरूकता बढ़ाने से हानिकारक व्यवहारों को बदलने के लिए प्रायः प्रेरणा बढ़ती है।

तालिका 3-23 स्वच्छता डाटा

क्रमांक	शहर	वाटर क्लॉसेट			गढ़े वाला शौचालय	प्लश / पोर प्लश	अन्य शौचालय	कोई शौचालय नहीं
		पाइपड सीवर सिस्टम	सेप्टिक टैंक	अन्य तंत्र				
	अयोध्या	ना	ना	ना	450	4447	1800	0

स्रोत जनगणना 2011



चार्ट 3-22 स्वच्छता सुविधा

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि अयोध्या खुले में शौच से मुक्त है। अयोध्या नगर के प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि 93 प्रतिशत घरों में अलग शौचालय की सुविधा है एवं 7 प्रतिशत लोग सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं।

3.12.2.3 सीवेज

तालिका 3-24 सीवेज डाटा

क्रमांक	उत्पन्न सीवेज की अनुमानित मात्रा	मात्रा का इलाज किया	सीवेज उपचार संयंत्र की संख्या	निपटान		निपटान औद्योगिक अपशिष्ट जल
				इलाज	अनुपचारित	
1	आँकड़े उपलब्ध नहीं	12 MLD	1	नदी / खुली भूमि		आँकड़े उपलब्ध नहीं

स्रोत: अयोध्या नगर निगम 2020

अयोध्या में 12MLD की क्षमता वाला केवल एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और सर्वेक्षण से यह पाया गया कि वर्तमान की आवश्यकताओं के दृष्टिगत ट्रीटमेंट प्लांट पर्याप्त है।

3.12.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट है। यह विभिन्न जानवरों और मानव वर्ग की विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की कचरा सामग्री होती है, जिसे अवांछित और बेकार समझकर त्याग दिया जाता है। अपशिष्ट का वर्गीकरण जैविक कचरा, अकार्बनिक कचरे एवं खतरनाक कचरे के रूप में किया जा सकता है, जिसमें रेडियोधर्मी, ज्वलनशील, संक्रामक, विषाक्त या गैर विषैले अपशिष्ट शामिल हैं। इसके अलावा, कचरे की उत्पत्ति उसके प्रकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कचरा औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत, या निर्माण और विध्वंस गतिविधि से उत्पन्न हो सकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति को नियंत्रित करना , उनका संग्रहण , प्राकृति के अनुरूप उनको अलग-अलग किया जाना , निस्तारण हेतु उनका संचरण किया जाना इत्यादि के रूप में निरूपित किया जाता है । साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक क्रिया, नगरिया सौन्दर्य इत्यादि से भी संबंधित है । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नियोजन, प्रशासनिक, वित्तीय, अभियंत्रण और कानूनी भी शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के यथोचित ढांचे से शहर का आर्थिक विकास हो सकता है।

3.12.3.1 वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति के महत्वपूर्ण स्रोत आवासीय क्षेत्र हैं जिनमें स्लम बस्तियों, फल और सब्जी बाजार, होटल और रेस्तरां, अस्पताल, नालों की सफाई, इस क्षेत्र का वाणिज्यिक और औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चला कि ठोस अपशिष्ट की मदद से एकत्र किया जाता है और उसे जमथरा घाट में संग्रहण किया जाता है।

3.12.3.1.1 तैनात वाहन का प्रकार

शहर में ठोस कचरे के संग्रह के लिए तैनात वाहनों के प्रकार नीचे दिखाए गए हैं -

तालिका 3-25 वाहनों का प्रकार

क्रमांक	वाहनों का प्रकार	संख्या
1	लोडर	3
2	डम्पर	5
3	ट्रैक्टर	9
4	टाटा एस	16
5	जेसीबी बैक हो लोडर	3
6	मिनी रोबोट लोडर	1
7	सीवर अनुभाग मशीन	2
8	मिनी हाइड्रोलिक लोडर	1
9	टाटा जेटिंग पंप	2
10	डम्पर खुशी	1

स्रोत: अयोध्या नगर निगम 2020

शहरी ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के अनुसार शहरी ठोस अपशिष्ट में औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर, उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित, ठोस या अर्ध-ठोस रूप में नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं। निम्न तालिका भविष्य में नियोजन उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट उत्पत्ति पूर्वानुमान और प्रति व्यक्ति प्रति दिन अपशिष्ट उत्पत्ति के अनुमान को प्रदर्शित करता है।

तालिका 3-26 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए URDPFI मानदंड

क्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट पीढ़ी
1	आवासीय इनकार	0.3 to 0.6 kg/cap/day

2	वाणिज्यिक इनकार	0.1 to 0.2 kg/cap/day
3	स्ट्रीट स्वीपिंग	0.05 to 0.2 kg/cap/day
4	संस्थागत मना	0.05 to 0.2 kg/cap/day

स्रोत : URDPFI Guideline 2014

3.12.4 बिजली

बिजली मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, विकास के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है। नीचे दी गई तालिका शहर के भीतर मौजूदा बिजली की मांग और आपूर्ति को दर्शाती है।

तालिका 3-27 विद्युत के आँकड़े

शक्ति का स्रोत	दूरी (किमी)	कुल बिजली की मांग (MW)	कुल विद्युत आपूर्ति (MW)	कुल खपत (mk wh)
132 KV Darshannagar & 220 KV Sohawal	15 KM	44.62	44.62	33.197

स्रोत:- विद्युत विभाग अयोध्या

शहर में बिजली कनेक्शनों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है -

तालिका 3-28 विद्युत कनेक्शन

प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य
कनेक्शन की संख्या	51844	9860	188	52	410
बिजली की खपत	15343985 KWH	2541529 KWH	144440 KWH	4675 KWH	2100829 KWH

स्रोत:- विद्युत विभाग अयोध्या

2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय बिजली नीति के अनुसार बिजली आपूर्ति की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, अनुशंसित खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 यूनिट या 2.74 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति दिन मांग है जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं।

तालिका 3-29 विद्युत क्षेत्र

कक्षा			क्षेत्र
विद्युत उप स्टेशन	11KVA	15000 आबादी के लिए 1	500 sqm
	33KVA	-	1 acre
	66 KVA	5000 आबादी के लिए 1	1.5 acre
	132 KVA	-	5.0 arce

	220 KVA	500,000 आबादी के लिए 1	10.0 acre
--	---------	------------------------	-----------

स्रोत: उत्तर प्रदेश भवन उपविधि 2018

3.12.5 डाक और संचार

डिजिटल युग की ओर नए चलन ने डिजिटल संचार, सूचना समाज या नेटवर्क समाज की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। डिजिटल युग को एक नई औद्योगिक क्रांति माना जाता है जिसके माध्यम से समाज के हर पहलू बदल में बदलाव आया है। इस बदलाव के एक हिस्से के रूप में, शहरों को दूरसंचार ग्रिड, पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क, वायरलेस और रेडियो सिस्टम, केबल नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम, इंटरनेट, डेटा और वीडियो नेटवर्क की व्यापक सरणियों के लिए अनुमति दी जा रही है। इसलिए, अयोध्या के डिजिटल प्लेटफॉर्म का विश्लेषण करने के लिए डाक और संचार डेटा एकत्र किया जाता है। नीचे दी गई तालिका डाक और संचार के आकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 3-30 डाक एवं संचार

टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	72
टेलीफोन कनेक्शन की संख्या (भूमि रेखा)	3206
सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या	32
मोबाइल कनेक्शन की संख्या	375000
मोबाइल टावरों की संख्या	315
पोस्ट / टेलीग्राफ कार्यालय की संख्या	शून्य
इंटरनेट कनेक्शन की संख्या	2219
वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या	59

स्रोत: ब स न ल ऑफिस अयोध्या

डाक और संचार सुविधाओं की आवश्यक संख्या को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है और मानकों के अनुसार प्रक्षेपणों की गणना की गई है।

तालिका 3-31 डाक और संचार के मानक

कक्षा	उप-वर्ग	संख्या	क्षेत्र
पोस्ट और संचार	टेलिफोन एक्सचेंज	1,00,000 व्यक्तियों के लिए 1	4000 Sqm
	उप डाकघर	10,000 व्यक्तियों के लिए 1	100 Sqm

स्रोत: उत्तर प्रदेश भवन उपविधि 2018

इस प्रकार मानदंडों के अनुसार मौजूदा आबादी के लिए वांछित टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या सात है जबकि अयोध्या में पहले से ही 72 टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाएं हैं। इसके अलावा, मानदंडों के अनुसार वांछित डाकघरों की संख्या 33 है लेकिन शहर में कोई डाकघर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार शहर में डाकघर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

सड़क से जाल का नियोजन और विकास एक सतत प्रक्रिया है। गतिशीलता की जरूरतें और सामुदायिक आकांक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। सड़कों का विकास मांग को समय पर पूरा करने या पूरा करने के लिए होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सड़क प्रणाली की योजना और विकास में परिवहन की मांग को सही ढंग से समझा जाए और उस मांग को पूरा करने के प्रावधान पर्याप्त रूप से किए जाएं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मांग कभी एक समान नहीं होती है।

3.12.5.1 परिवहन

नगरीय भू उपयोग में अत्यधिक विषमता होती है जिसे यातायात एवं परिवहन प्रणाली द्वारा नियोजित किया जाता है एवं शहर को सौष्ठव प्रदान करता है। साथ ही शहरी परिवहन तंत्र का लक्ष्य शहर के भीतर शहरी गतिविधियों की विविधता से उत्पन्न परिवहन मांगों की पूर्ति करना है।

3.12.5.2 पंजीकृत वाहन

नीचे दी गई तालिका अयोध्या शहर में पंजीकृत वाहनों की मौजूदा संख्या को दर्शाती है –


तालिका 3-32 पंजीकृत वाहन

अनुक्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या			
		2016	2017	2018	2019
1	ट्रैक्टर	837	1154	1278	1457
2	बस	107	108	110	93
3	एम्बुलेंस	4	2	4	1
4	जोड़ा हुआ वाहन	2	25	4	1
5	कैम्पर वैन / ट्रेलर	8	12	1	–
6	नकद वैन		–	19	3
7	निर्माण उपकरण वाहन		–	11	11
8	क्रेन वाहन	1	–	1	–
9	अर्थ मूविंग उपकरण	12	21	27	48
10	शैक्षणिक संस्थान बस		–	92	42
11	ई-रिक्शा (पी)	218	881	848	540
12	गाड़ी के साथ ई-रिक्शा (जी)	8	17	11	13
13	खोदक मशीन (वाणिज्यिक)		–	3	–

अनुक्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या			
		2016	2017	2018	2019
14	माल वाहक	757	1448	1711	1128
15	अमान्य सवारी डिब्बा	9	17	30	11
16	मैक्सी कैब	113	142	148	131
17	एम-साइकिल/स्कूटर	28789	36464	38854	40727
18	एम-साइकिल/स्कूटर-साइड कार के साथ	-	-	2	-
19	मोपेड वाहन	539	270	1318	1090
20	मोटर कैब	40	60	38	28
21	मोटर कार	1670	2151	2236	2175
22	मोटर चालित साइकिल		1	1	5
23	ओमनी बस	2	2	3	21
24	निजी सेवा वाहन	-	-	1	
25	तीन पहिया (माल)	77	113	142	141
26	तीन पहिया (यात्री)	262	139	388	672
27	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	-	4	3	-
28	ट्रैक्टर-ट्राली (वाणिज्यिक)	-	-	1	-
29	ट्रेलर (वाणिज्यिक)	8	2	1	-
	कुल वाहन	33463	43033	47286	48338

Source- RTO OFFICE Ayodhya 2020

पंजीकृत वाहनों की संख्या



ग्राफ 3-9 पंजीकृत वाहनों की संख्या

इस प्रकार ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि सभी पंजीकृत वाहनों में से स्कूटर को ज्यादातर पसंद किया जाता है।

3.12.5.3 कार्य संबंधी यात्राएं

शहर में यात्रा की मांग जानने के लिए कार्य विषयक यात्राओं का अध्ययन करना आवश्यक है और यह प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से किया जाता है। गतिशीलता, पहुंच और यात्रा की मांग की गणना के लिए चार प्रमुख जंक्शन जैसे जय प्रकाश नारायण (रिकाबागंज) से महा ऋषि कश्यप (नियावाँ) रोड, महा ऋषि कश्यप (नियावाँ) से अयोध्या, राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी, महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से चौक (चौक मार्ग), सहादतगंज बाईपास से बस अड्डा (सिविल लाइन्स), बेनीगंज से हनुमानगढ़ी, मकबरा रोड से नाका चुंगी तक का चयन किया गया और यातायात प्रवाह का अध्ययन किया गया।

3.12.5.3.1 यातायात सर्वेक्षण

यातायात सर्वेक्षण वर्तमान यातायात संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सड़क विकास और सार्वजनिक परिवहन सुधार सहित कई उपायों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए यातायात सर्वेक्षण पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। शहरी विस्तार और भूमि उपयोग के संक्रमण से यातायात की आवाजाही प्रभावित होती है। सर्वेक्षण पद्धति का चयन सर्वेक्षण क्षेत्र के शहरीकरण को देखते हुए किया जाना चाहिए।


(1) गृह साक्षात्कार सर्वेक्षण (व्यक्ति यात्रा सर्वेक्षण)

(2) यातायात सर्वेक्षण

- सड़क किनारे ओ.डी. सर्वेक्षण
- सड़क के किनारे यातायात गणना
- चौराहा यातायात गणना
- वाहन गति सर्वेक्षण

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि शहर के महत्वपूर्ण जंक्शनों पर यातायात सर्वेक्षण किया गया था, नीचे दी गई तालिकाएं यातायात सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आकड़ों को दर्शाती हैं और तदनुसार विश्लेषण दिखाया गया है।


यातायात सर्वेक्षण के लिए आरंभ और गंतव्य विधि का उपयोग किया गया था।



ग्राफ 3-10 आरंभ और गंतव्य विधि जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) से नियावां रोड

स्रोत प्राथमिक सर्वेक्षण 2020


नियावां से अयोध्या




ग्राफ 3-11 आरंभ और गंतव्य विधि नियावाँ से अयोध्या

स्रोत प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी




ग्राफ 3-12 आरंभ और गंतव्य विधि राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी




ग्राफ 3-13 आरंभ और गंतव्य विधि महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से चौक मार्ग

यातायात सर्वेक्षण से यह पाया गया कि रिकबगंज से नियावां रोड, नियावां रोड से अयोध्या, राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी, महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से चौक, सहादतगंज बाईपास से बस अड्डा, बेनीगंज से हनुमानगढ़ी और मकबरा रोड से नाका चुंगी जैसी सड़कों पर ज्यादातर ट्रैफिक जाम होता है। इन सड़कों का ज्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है और यह लोगों को उनके कार्य स्थलों से जोड़ती है। सड़कों और रेलवे के बीच क्रॉस जंक्शन ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण है। यातायात की समस्या के समाधान के लिए अयोध्या विकास क्षेत्र ने पाँच महत्वपूर्ण सड़कों पर ओवर ब्रिज का प्रस्ताव रखा है। पाँच महत्वपूर्ण स्थान हैं मोदाहा चौराहा, महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) चौराहा, दर्शन नगर फोर लेन ब्रिज के पास, बड़ी बुआ चौराहा और सूर्य कुंड जिनपर दो लेन पुल प्रस्तावित है।




मानचित्र 3-1 ट्रैफिक घनत्व एवं दिशा

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. मोदाहा चौराहा | 4 लेन |
| 2. फतेहगंज चौराहा | 4 lane |
| 3. बाड़ी बुआ चौराहा | 2 lane |
| 4. दर्शन नगर के पास | 4 lane |
| 5. सूर्य कुंड के पास | 2 lane |



चार्ट 3-23 यात्रा का तरीका

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण 2020



चार्ट 3-24 वाहनों का स्वामित्व

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन लोगों द्वारा यात्रा के लिए अधिक किए जाते हैं। साथ ही, प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-रिक्शा का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है।

3.12.5.4 सड़क की लंबाई और फुटपाथ

तालिका 3-33 सड़क की लंबाई एवं फुटपाथ

सर्फेड रोड	अन-सर्फेड रोड	कुल सड़क की लंबाई	पैर पथ	साइकिल ट्रैक
185.38	43.27	228.65		

स्त्रोत: जनगणना 2011

नीचे दी गई तालिका अयोध्या की मौजूदा सड़कों को दर्शाती है

तालिका 3-34 अयोध्या की मौजूदा सड़कें

क्रमांक	सड़क का नाम	सड़क की लंबाई (किमी में)	सड़क की चौड़ाई (मीटर में)	R.O.W (मीटर में)
1	बहराइच अयोध्या आजमगढ़ रोड	3	7	13
2	उतरौला अयोध्या प्रयागराज रोड	0.8	7	13
		1	10	16
		1	14	20
3	शहर बाईपास	2.4	7	13
4	देवकाली जेल रोड	3.2	7	13
5	देवकली बेनीगंज रोड	1.4	5.5	11.5
6	सेंट्रल बैंक से G.G.I.C तक	1	7	13
7	ईदगाह से G.G.I.C मकबरा तक	1.8	7	13
8	अयोध्या शहर क्षेत्र	7	14.8	20.8
		4.2	12	18
		1	10	16
9	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज)से चौक		18.29 to 27.43	27.43
10	चौक से सीतापुर आँख अस्पताल		17.07 to 18.29	18.29
11	चौक से महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) क्रॉसिंग		10.06 to 15.24	15.24
12	जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज)से कसाबबाड़ा		17.68 to 20.12	20.12
13	देवकाली से ए.डी.ए. कॉलोनी वज़ीरगंज		15.24 to 18.29	18.29

14	ए.डी.ए. वज़ीरगंज के लिए कॉलोनी		15.24 to 20.12	20.12
15	वज़ीरगंज महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) रोजगार कार्यालय के लिए		15.24 to 20.12	20.12
16	कसाबबाड़ा के लिए रोजगार कार्यालय		17.68 to 18.29	18.29
17	महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) से नाका		10.06 to 17.68	17.68
18	देवकाली से रीडगंज		20.12 to 24.99	24.99
19	नियावां से गुदड़ी बाजार होते हुए आँख अस्पताल तक		18.29 to 24.99	24.99
20	मात गौड़ से स्वर्गद्वार रोड	0.75	5	5
21	अशर्फी भवन से गोला घाट रोड	1.58	6	10
22	टेढ़ी बाज़ार से अशर्फी भवन रोड	2.58	7	7
23	छोटी छावनी से पोस्ट ऑफिस	0.51	6	6
24	अयोध्या रेलवे फेडर रोड	0.4	7	8
25	टेढ़ी बाज़ार से रानोपाली	0.45	7	11
26	हनुमानगढ़ी से नज़रबाग तिराहा	0.39	5	5
27	हनुमानगढ़ी से सेंट्रल बैंक रोड	0.21	5.75	5.75
28	हनुमानगढ़ी से तप्सी छावनी	0.64	6	6
29	हनुमानगढ़ी से साक्षी गोपाल मंदिर रोड	0.7	7	7
30	कनक भवन से त्रुंडी देव से सुंदरभवन रोड तक	0.69	7	7
31	विद्याकुंड से जैन मंदिर होते हुए अशोक सिंघल जी (रामघाट)	2.1	5	5
32	तप्सी जी क्रॉसिंग से जानकी घाट रोड	0.5	6	6
33	पुरानी एनएच -28 परिगत अयोध्या बाईपास	3	7	14

Source: PWD Department

3.12.5.5 रेलवे

अयोध्या का लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर आदि नगरों से अच्छा संपर्क है साथ ही प्रदेश एवं देश के अन्य नगरों हेतु अयोध्या से ट्रेनें आसानी से उपलब्ध हैं ।

तालिका 3-35 अयोध्या रेलवे स्टेशन

रेल गेज के प्रकार	व्यापक गेज
रेलवे नेटवर्क की लंबाई	124 KM
प्लेटफॉर्म की संख्या	3
यार्ड की संख्या	1
सुविधा / बुनियादी ढांचा	स्टेशन बिल्डिंग, पीएफ शेड, प्रतीक्षा कक्ष, पानी बूथ

Source: Railway Department–Ayodhya Division

3.12.6 अन्य सुविधाएं

अन्य सुविधाओं में, भारत की जनगणना के अनुसार, बैंक और कृषि ऋण समितियां शामिल हैं ।

तालिका 3-36 अन्य सुविधाएं

	बैंकों की संख्या			कृषि क्रेडिट समितियों की संख्या	गैर-कृषि ऋण समितियों की संख्या
	राष्ट्रीयकृत बैंक	निजी वाणिज्य बैंक	सहकारी बैंक		
अयोध्या	17	5	3	15	0

Source: स्रोत जनगणना 2011

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

सामाजिक आदरभूत संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, पुलिस, अग्निशमन, डाक सेवाएं, दूरसंचार और वितरण सेवाएं शामिल हैं ।

3.13.1 शिक्षण सुविधाएं

शिक्षा को व्यक्तित्व विकास में निवेश माना जाता है और इसे विकसित व्यक्तित्व के माध्यम से समाज और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला माना जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अपेक्षित और अपरिहार्य है कि समाज के युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करके उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक जीवन को संतुष्ट किया जा सके। उच्च शिक्षा राज्य के समग्र और नियोजित विकास में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाती है। मौजूदा शिक्षा सुविधाएं नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं:

वर्तमान में अयोध्या शहर में 236 स्कूल हैं, नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के स्कूलों की संख्या दिखाती है:

तालिका 3-37 वर्तमान में अयोध्या शहर में स्कूल

क्रमांक	शहर का नाम	प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक पाठशाला	माध्यमिक विद्यालय	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	इंटर कॉलेज
1	अयोध्या	146	50	24	16	3

Source: स्रोत जनगणना 2011

डिग्री / विश्वविद्यालय कॉलेज की सूची

1. श्री परमहंस डिग्री कॉलेज
2. के.एस.साकेत पी.जी. कॉलेज
3. डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

इस प्रकार, URDPFI दिशानिर्देश के अनुसार 221118 की आबादी के लिए वांछित स्कूलों की कुल संख्या 164 होती है, जिसमें 88 प्राथमिक विद्यालय, 44 उच्चतम प्राथमिक विद्यालय और 29 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। लेकिन अयोध्या में वर्तमान में 236 स्कूल हैं जिन्हें शहर में शैक्षिक सुविधा के लिये पर्याप्त माना जा सकता है।

वर्तमान में शहरों के भीतर 16 उच्च शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। नीचे दी गई तालिका उच्च शैक्षिक सुविधाओं के प्रकार और संख्या को दिखाती है;

तालिका 3-38 अयोध्या में मौजूदा उच्च शैक्षणिक सुविधाएं

अनु क्रमांक	शहर का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	पॉलीटेक्निक	प्रशिक्षण संस्थान	सर्व शिक्षा अभियान सेंटर	विशेष रूप से स्कूल
1	अयोध्या	1	-	2	4	1	2

स्रोत: Urdpfi 2014

तालिका 3-39 माध्यमिक शिक्षा के मानदंड

अनुक्रमांक	वर्ग	छात्र संख्या	जनसंख्या प्रति इकाई	क्षेत्रफल
1	प्री-प्राइमरी नर्सरी स्कूल	-	2500	0.08 Ha
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	500	5000	0.40 Ha
3	सीनियर सेकेंडरी स्कूल	1000	7500	1.80 Ha

Source: URDPFI 2014

तालिका 3-40 उच्च शिक्षा के मानक

अनु क्रमांक	वर्ग	छात्र शक्ति	जनसंख्या प्रति इकाई सेवा की	क्षेत्र
1	महाविद्यालय	1000-1500	1.25 Lakh	5.00 Ha
2	विश्वविद्यालय परिसर	-	-	10.00-60.00 Ha
3	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	1500	10 Lakh	6.00 Ha
4	चिकित्सा महाविद्यालय	-	10 Lakh	15 Ha
5	अन्य पेशेवर कॉलेज	250-1500	10 Lakh	ए) 250 छात्रों = 2.00 हेक्टेयर तक छात्र की ताकत के लिए साइट का क्षेत्र बी) 1000 छात्रों की कुल ताकत के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों या उसके हिस्से के लिए साइट का अतिरिक्त क्षेत्र = 0.50 हेक्टेयर सी) 1000 से 1500 छात्रों = 6.00 हेक्टेयर से कॉलेज की ताकत के लिए साइट का क्षेत्र
6	नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट	-	10 Lakh	संस्थान प्लॉट क्षेत्र = 2000 वर्गमीटर
7	पशु चिकित्सा संस्थान	-	-	भारत सरकार / मंत्रियालाई मानदंडल के अनुरार

Source: URDPFI 2014

साक्षरता के स्तर में व्यापक भिन्नता है और स्कूल में प्रवेश की बढ़ती या घटती दर को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रों के आधार पर भिन्नताओं को समझा जाना चाहिए तथा उनका ध्यान रखना चाहिये।

3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य प्रणालियाँ और नीतियाँ स्वास्थ्य प्रदान करने, उनके उपयोग और स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव के तरीके निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य उसके सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और प्राथमिकता देना है- स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और व्यापक क्षेत्र में कारवाई के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाधन विकसित करना, प्रोत्साहित करना, बहुलवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान आधार बनाना, बेहतर वित्तीय सुरक्षा रणनीतियों का विकास, विनियमन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना।

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं सहित त्रिस्तरीय संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

3.13.2.1 वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं

वर्तमान में अयोध्या में 2 सरकारी और एक सैन्य अस्पताल है।

तालिका 3-41 अयोध्या नगर की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं

अस्पताल का प्रकार	इकाइयों की संख्या	बिस्तरों की संख्या	डॉक्टरों की संख्या	नर्सों की संख्या	पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या	रोगियों की संख्या
अस्पताल	सरकारी / निजी	सरकारी / निजी	सरकारी / निजी	सरकारी / निजी	सरकारी / निजी	सरकारी / निजी
एलोपैथिक	21	114	13	10	72	210714
आयुर्वेदिक						
होम्योपैथिक						
परिवार कल्याण और प्रसूति केंद्र	ना	ना	ना	ना	ना	ना
अन्य	5	12	2		10	55184
डिस्पेंसरी (सभी)	ना	ना	ना	ना	ना	ना
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	ना	ना	ना	ना	ना	ना
निजी अस्पताल	ना	ना	ना	ना	ना	ना
टीबी अस्पताल / क्लिनिक	ना	ना	ना	ना	ना	ना

Source: CMO Ayodhya 2020

3.13.2.2 प्रचलित रोग

तालिका 3-42 अयोध्या में प्रचलित रोग

Year	Malaria	J.E	A.E.S	Dengue	Chikengunia
2015	10	3	6	1	0
2016	28	1	2	39	0
2017	7	5	23	14	0
2018	22	2	29	25	0
2019	26	3	19	226	0

Source: CMO Ayodhya 2020

शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे के मानदंड और मानकों को URDPFI दिशानिर्देशों से लिया जाता है। नीचे दी गई तालिका स्वास्थ्य सुविधाओं के मानदंड दिखाती है:

तालिका 3-43 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक

क्रमांक	वर्ग	बिस्तरों की संख्या	प्रति यूनिट जनसंख्या सेवा	क्षेत्र
1	औषधालय	-	15000	0.08-0.12Ha
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण और प्रसूति केंद्र (23-30 बिस्तर)	25-30 Beds	45000 to 1 lakh	0.20-0.30Ha
3	बहु विशेषज्ञ अस्पताल (एनबीसी)	200 Beds	1 Lakh	9.00 Ha
4	विशेष अस्पताल (एनबीसी)	200 Beds	1 Lakh	3.70 ha
5	जनरल अस्पताल (एनबीसी)	500 Beds	2.5 Lakh	6.00 Ha
6	परिवार कल्याण केंद्र	As per requirements	50000	500 Sqm-800 Sqm
7	इंटरमीडिएट अस्पताल (श्रेणी-ए)	-	1 lakh	1 Ha
8	निदान केंद्र	-	50000	500 Sqm-800 Sqm
9	पशु चिकित्सा अस्पताल	-	5 Lakh	2000 Sqm

Source: URDPFI 2014

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस), 2012 के अनुसार, बिस्तरों की संख्या की गणना निम्न पर आधारित होती है –

- प्रति 50 की आबादी पर 1 प्रवेश की वार्षिक दर
- अस्पताल में भर्ती रहने की औसत अवधि 5 दिन ।

3.13.3 मनोरंजन की सुविधा

स्थानीय अभिकरणों का मुख्य उद्देश्य नगर में नगरीय स्वास्थ्य में वृद्धि, सामुदायिक केंद्रों का विकास, नेबरहुड डेवेलपमेंट, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, पर्यटन का विकास, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि एवं हरित क्षेत्रों का विकास करना है जिससे नगरवासियों के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। इस हेतु स्थानीय अभिकरणों द्वारा उपरोक्त क्रियाओं के साथ-साथ मनोरंजनात्मक सुविधाओं का भी विकास किया जाता है।

जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मनोरंजन सेवाएं और सुविधाएं आवश्यक हैं। सुविधाओं में ऐसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं जो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। कुछ मौलिक मानव आवश्यकताएं हैं जिन्हें संतुष्ट करना होता है; शिक्षा के भी उद्देश्य होते हैं जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता होती है; लोकतांत्रिक समाज के दायित्व भी होते हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है; आधुनिक समाज द्वारा प्रयुक्त तकनीकी प्रगति की भी अपनी कीमत होती है जिसका भुगतान करना होता है; और ऐसे घटक और परिवर्तन हैं जिन्होंने आधुनिक जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता और महत्व की व्यापक आवश्यकता को मान्यता प्रदान की है।

मनोरंजन में भागीदारी चरित्र निर्माण में सहायक है। यह अपराधों की रोकथाम के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में भी कारगर है। क्योंकि मनोरंजन गतिविधिया बच्चों और युवाओं को आकर्षित करता है। जिन समुदायों में स्वास्थ्य मनोरंजन के आकर्षित अवसर प्रचुरता में उपलब्ध होते हैं। उनमें अपराध बढ़ने की संभावना कम होती है।

आर्थिक स्तर, सामाजिक स्थिति, नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर सामाजिक समरसता को कम करता है जिससे नगरवासी विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। इससे पड़ोसी भावना का अभाव और रुचि में आसमानता जन्म लेती है। मनोरंजन ऐसा आधार उपलब्ध कराता है जहां सभागिता, समरसता एवं समन्वय में वृद्धि होती है।

3.13.3.1 अयोध्या में मौजूदा मनोरंजन सुविधाएं

मनोरंजन गतिविधियां अतिरिक्त समय का उपयोग करने के बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं जो दिमाग और शरीर को और लोगों की अतिरिक्त ऊर्जा को रचनात्मक तथा राष्ट्रनिर्माण के कार्यों की ओर उन्मुख करते हैं।

धार्मिक स्थान होने के कारण अयोध्या में कुछ आध्यात्मिक गतिविधिया की जा सकती है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होगा। वर्तमान में शहर में 48 पार्क उपलब्ध हैं जिनका विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 3-44 खुले स्थान व पार्क

संख्या	वार्ड नं.	पार्कों का नाम	क्षेत्र	क्षेत्र(sq. m)	पार्कों की संख्या
1	11	टी.वी. सेंटर सिविल लाइन, जिला कार्यालय क्रॉसिंग पर तिकोनिया पार्क.	30x15	450	1
2	22	तहसील के पास हेमू कल्याणी पार्क	60x30	1800	1
3	22	सीनियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विपरीत गांधी पार्क	60x40	2400	1

4	22	मुखर्जी पार्क सिविल लाइन ईदगाह के पास	25x20	500	1
5	52	सिविल लाइन में आचार्य नरेंद्र देव पार्क	45x30	1350	1
6	11	रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर फव्वारा	15x15	225	1
7	22	पुष्पराज चौराहा के पास शहीद फव्वारा	25x25	625	1
8	52	नगर निगम अयोध्या में शहीद भगत सिंह पार्क	80x35	2800	1
9	52	नगर निगम अयोध्या में नेताजी सुभाष पार्क	26x15	290	1
10	52	नगर निगम अयोध्या में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क	60x25	1500	1
11	52	नगर निगम अयोध्या में वेद प्रकाश अग्रवाल पार्क	45x25	1125	1
12	52	नगर निगम अयोध्या में तिलक पार्क	45x25	1125	1
13	39	नरेंद्रालय में पार्क	15x10	150	1
14	4	बाल्दा में डॉ. अम्बेडकर पार्क	45x25	1125	1
15	40	अमानीगंज लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में एल.आई.जी पार्क	60x25	1500	1
16	40	अमानीगंज लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में एम.आई.जी पार्क	60x25	1500	1
17	40	अमानीगंज विष्णुपुरी कॉलोनी के पीछे I.W.S कॉलोनी पार्क	40x25	1000	1
18	60	रामनगर प्रियदर्शिनी कॉलोनी पार्क	35x20	700	1
19	17	नयापुरवा प्राधिकरण कॉलोनी पार्क	25x20	500	1
20	59	अंजनीपुरम कॉलोनी पार्क	45x25	1125	1
21	39	अंगूरीबाग आवास विकास कॉलोनी पार्क	70x30	2100	3
22	35	अवधपुरी चरण -3 पार्क	60x30	1800	2
23	5	नील बिहार कॉलोनी सहादतअली की छावनी	45x25	1125	3
24	4	वैदेही नगर पार्क	60x30	1800	5
25	59	सरयू बिहार कॉलोनी पार्क	60x30	1800	1
26	20	केवटहिया मानस नगर पार्क	25x25	625	1
27	32	खुर्दाबाद रोहिणी नगर कॉलोनी	60x30	1800	4
28	23	अवधपुरी चरण -1 कॉलोनी	60x30	1800	2
29	23	अवधपुरी चरण -2 कॉलोनी	60x30	1800	2

30	46	अश्वनीपुरम कॉलोनी पार्क	70x30	2100	2
31	6	काशीराम कॉलोनी	100x40	4000	2
32	13	राजद्वार पार्क	120x40	4800	1
		कुल		47340	48

स्रोत: नगर निगम अयोध्या 2020

तालिका 3-45 अयोध्या शहर में मौजूदा मनोरंज गतिविधियां

अनु क्रमांक	शहर का नाम	स्टेडियम	सिनेमा थिएटर	सभागार / सामुदायिक हॉल	सार्वजनिक पुस्तकालय	रीडिंग रूम
1	अयोध्या	1	2	3	2	3

स्रोत: नगर निगम अयोध्या 2020

यू.आर.डी. पी.एफ.आई दिशानिर्देशों के अनुसार खुले स्थानों के मानदंड नीचे दिखाए गए हैं:

खुले स्थानों में निम्नलिखित तीन श्रेणियां शामिल हो सकती हैं, अर्थात्:

- मनोरंजक स्थान
- ऑर्गनाइज़्ड ग्रीन स्पेस
- अन्य खुले स्थान (जैसे खाली भूमि/बाढ़ मैदानों सहित खुले स्थान, मैदानी क्षेत्र में वन। खुली जगहों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त सभी श्रेणियों सहित, प्रावधान 10-12 वर्गमीटर का प्रावधान वांछित होगा।

तालिका 3-46 शहर में खुले क्षेत्रों के लिए मानदंड

क्रमांक	वर्ग	जनसंख्या प्रति इकाई सेवा की	क्षेत्र की आवश्यकता
1	आवास क्षेत्र पार्क	5000	0.50
2	पड़ोस पार्क	15000	1.00
3	सामुदायिक पार्क	1 lakh	5.00
4	उप शहर पार्क	10 lakh	100.00

Source: URDPFI 2014

3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल

अयोध्या में मौजूदा धार्मिक स्थानों का वर्णन नीचे किया गया है :

1. राम जन्मभूमि

ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। इसके अलावा, रामायण जैसे महान पौराणिक महाकाव्य से संबंधित होने के कारण श्रद्धालुओं के बीच इसका आध्यात्मिक महत्व है।

2. हनुमान गढ़ी

अयोध्या में हनुमान गढ़ी एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो पूरी तरह से भगवान हनुमान को समर्पित है। यहां मौजूद 70 खड़ी सीढ़िया इस मंदिर की विशेषता हैं। यह मंदिर बहुत शांत और सुंदर है और दर्शनीय है।

3. त्रेता के ठाकुर

त्रेता ठाकुर पौराणिक मंदिर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में, काले रेतिले पत्थर से बनी भगवान राम की एक मूर्ति स्थापित है जो बहुत सुंदर एवं प्रसिद्ध है।

4. कनक भवन

इस मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जिसके बारे में यह माना जाता है कि सीता माता को विवाह के बाद उपहार के रूप में दिया गया था। इस मंदिर को महाराजा विक्रमादित्य द्वारा नवीनीकृत किया गया था जिसे बाद में 1891 में पुनःनिर्मित किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और दर्शनीय है।

5. गुप्तार घाट

गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या शहर का एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने शून्य हो जाने हेतु जल समाधि ली थी। यहां कई हिंदू मंदिर स्थापित किए गए हैं और रोज शाम को आरती होती है। यह जगह अयोध्या की महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है।

6. चक्र हरि और गुप्ताहरी मंदिर

प्रसिद्ध तीर्थ गुप्तार घाट अयोध्या के छावनी क्षेत्र में सरयू नदी के तट एवं अयोध्या के पश्चिमी छोर पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं को प्राचीन देवासुर युद्ध संग्राम में पराजय मिली थी, जिसके बाद ब्रह्मा और शिव ने दिशा दिखाई। सभी देवता विष्णु के पास गए और राक्षसों को जीतने के लिए अयोध्या में तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु से कहा और विष्णु भी गुप्त रूप वहा पहुँचे और पौराणिक ग्रंथ रुद्ररदयमली आयोध्या महतम के अनुसार वह स्थान जहां भगवान विष्णु गुप्त रूप से आए थे और वह स्थान गुप्तहरि का प्रतिनिधि स्थान बन गया और सुदर्शन चक्र जिस स्थान पर जमीन पर गिरा वह चक्रतीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसकी स्मृति में, समय बीतने के साथ हरि स्मृति मंदिर का निर्माण किया गया। इस स्थान के धार्मिक महत्व का उल्लेख प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंशम के सर्ग 15 छंद – 101 में किया है। एक दो मंजिला इमारत स्थित है, जिसमें जमीन के तल पर गुप्तहरि और पहली मंजिल पर चक्र हरि मंदिर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊंची चहार दिवाली और कोनों पर के बुर्जों के कारण यह भवन विशाल और किले की तरह दिखता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एडवर्ड ने 1902

में फैजाबाद के ऐतिहासिक स्मारकों को चिह्नित करने के लिए आयोध्या मठ बनाया था। अयोध्या में विवेचन सप्तरी और चक्र हरि के लिए रखे पथरों की संख्या 98 है।

ऑस्ट्रियाई मिशन टिफेंथलर है जो 1771 के मध्य में अवध क्षेत्र की यात्रा करने वाली सुरक्षा पृथ्वी ने अपने यात्रा के ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण के पृष्ठ पर गुप्तार घाट का नक्शा प्रकाशित किया है, जो वर्तमान मंदिर भवन के चार वर्षों सहित स्पष्ट रूप से शामिल है। टिफेंथलर ने इस पुस्तक से पुस्तक के पृष्ठ 182 पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया है। एक ही पुस्तक के पृष्ठ 182 पर, टिफेंथलर ने स्पष्ट रूप से गुप्तीहर तीर्था को लोकाह के रूप में उल्लेख किया है कि "विशाल इमारत ने सभी चार कोनों पर गढ़ों का निर्माण किया है। इमारत के केंद्र में एक खुली साइट पर एक प्राचीन तामारिन पैड है, नीचे एक छिद्रित। जगह एक ही जगह है जिसे गुप्त स्थान कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राम वहां गुप्त हो गए थे।

अयोध्या से जुड़ी कई कहानियां हैं जो पर्यटकों को इस शहर की ओर आकर्षित करता है। इन पर्यटक आकर्षण स्थलों में से एक अयोध्या में चक्र हरिजी विष्णु मंदिर है। जो पर्यटक स्थलों के शीर्ष में जाता है। चक्र हरिजी विष्णु मंदिर के बारे में कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में से एक भगवान राम के चरणों से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम एक बार उस स्थान पर गए थे जहां यह मंदिर स्थित है, तब उनके चरण वहीं छूट गये थे, बाद में वहां मंदिर का निर्माण किया गया। चक्र हरिजी विष्णु मंदिर सरयू नदी के तट पर, गुप्तार घाट पर स्थित है, पवित्र सरयू नदी की एक सहायक नदी है। इस मंदिर में कई हिंदू देवी-देवता की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। चक्र हरिजी विष्णु की मूर्ति की संरचना और नक्काशी इतनी सुंदर है कि सभी उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य होते हैं।

यद्यपि अयोध्या में कई धार्मिक स्थान हैं लेकिन जनसंख्या प्रक्षेपों के अनुसार आवश्यकता का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई. दिशानिर्देशों का पालन आवश्यकता प्रक्षेपणों के लिए किया जाता है इन दिशा निर्देशकों के अनुसार धार्मिक स्थानों के मानक नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

तालिका 3-47 धार्मिक क्षेत्रों के लिए मानदंड

अनु क्रमांक	धार्मिक सुविधाएं	जनसंख्या प्रति इकाई कार्य करती है	क्षेत्र
1	पड़ोस / आवास क्लस्टर स्तर पर	5000	400sqm
2	शहरी विस्तार में उप शहर के स्तर पर	10 Lakh	4.00 Ha

Source: URDPFI 2014

3.13.5 सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाएं

किसी भी समाज की संस्कृति यह बताती कि उस समाज के सदस्य अपने अस्तित्व की समस्याओं को कैसे हल करते हैं उन तरीकों से पता चलता है जो उस समाज के संगठन लोगों के जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं।

समाज को आम तौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सहकारी आधार पर संयोजित होते हैं और सभी संस्कृति को अपनाते हैं

।समाज एक सामाजिक समूह है, जबकि संस्कृति समाज की सामान्य विरासत की प्रणाली है।संस्कृति के बिना कोई समाज नहीं हो सकता है और समाज के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है। मनुष्य एक सामाजिक इरादे के रूप में पैदा हुआ है; वह समाज द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करके सामाजिकता को प्राप्त करता है और एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनता है। संस्कृति को दैनिक जीवन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में देखने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही है। अयोध्या में मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं तालिका में दिखायी गई हैं:

तालिका 3-48 अयोध्या शहर में मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं

अनुक्रमांक		अनाथालय घर	वर्किंग वुमन हॉस्टल	वृद्धाश्रम
1	अयोध्या	16	3	2

Source: स्रोत जनगणना 2011

मानकों के अनुसार और शहर के जनसांख्यिकीय प्रगति में बदलने के अनुसार सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान की जानी होती हैं। नीचे दी गई तालिका जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार वांछित सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं को दर्शाती है।

तालिका 3-49 सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड

अनुक्रमांक	वर्ग	जंसंख्य प्रति इकाई	क्षेत्रफल
1	आंगनवाड़ी-आवासी क्षेत्र /समूह	5000	200-300 Sqm
2	समुदाय कक्ष	5000	750 sqm
3	समुदाय हाल	15000	2000sqm
4	मानोरंजक क्लब	1 Lakh	10000
5	संगीत, नृत्य एवं नाटक केंद्र	1 Lakh	1000sqm
6	ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र	1 Lakh	5000sqm
7	वृद्धाश्रम	5 Lakh	Max 1000 sqm

Source: URDPFI 2014


3.13.6 अग्निशमन

उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने 1944 में 8 अग्निशमन केंद्रों और 198 अग्नि सेवा कर्मियों के साथ काम करना शुरू किया था और वर्तमान में इसमें 8278 से अधिक अग्नि सेवा कर्मियों वाले 75 जिलों में 349 अग्निशमन केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवाएं वर्तमान में एक हजार से अधिक दमकल गाड़ियों से लैस हैं और आग लगने की घटनाओं और आग से संबंधित आपदाओं से निपटती हैं। 9 दमकल गड़िया है यथा 8000 लीटर की क्षमता वाले फायर टेन्डर , 5500 लीटर की क्षमता वाले फ़ोम टेन्डर, 4500 लीटर व 2500 लीटर की क्षमता वाले फायर टेन्डर है । आग लगने की घटनाओं की संख्या निम्नवत है;

तालिका 3-50 आगजनी की घटनाओं की संख्या

आग के खतरों	
वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2017	618
2018	816
2019	666

स्रोत:- कार्यालय मुक्त अग्निशमन अधिकारी, अयोध्या



ग्राफ 3-14 आगजनी की घटनाओं की संख्या

URDPFI गार्डलाइंस के अनुसार अग्नि स्टेशनों के प्रावधान के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

- अग्नि स्टेशन ऐसे स्थित होना चाहिए कि दमकल गड़िया 3-5 मिनट के भीतर किसी भी आपदा स्थान तक पहुंचने में सक्षम हों
- अग्नि स्टेशन जितना संभव हो सके और न्यूनतम दो प्रवेशद्वार के साथ मुख्य सड़कों पर कोने वाले भूखंडों पर स्थित होना चाहिए।
- नए लेआउट में, विशेष रूप से अग्निशामक सेवाओं के लिए परिधि पर फायर टेन्डर के लिए भूमिगत पाइपलाइनों की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए।
- भूमिगत / जमीन पर फायरफाइटिंग उपायों, पानी की पाइपलाइन, हाइड्रेंट इत्यादि को रखने के लिए आवश्यक प्रावधानों को रखा जा सकता है जहां भी अग्नि स्टेशन का प्रावधान संभव नहीं है।
- संबंधित एजेंसियां एक क्षेत्र के लिए सेवाओं को बिछाने के दौरान अग्निशामक उपायों के लिए अग्निशमन विभाग से अनुमोदन लेगी।

तालिका 3-51 अग्नि शमन स्टेशनों के लिए मानदंड

क्रमांक	वर्ग (कैटेगरी)	जनसंख्या प्रति इकाई सेवा की	क्षेत्र
1	A	4 lakh for 10 Sqkm	200-300 Sqm
2	B	2.5 lakh for 10 Sqkm	750 sqm
3	C	2 lakh for 10 Sqkm	2000sqm
4	तहसील	1 lakh for 10 Sqkm	10000

स्रोत: उत्तर प्रदेश भवन उपविधि 2016

4 पर्यटन प्रोफाइल

पर्यटन विश्राम, शिक्षा, खेल, चिकित्सा आदि के उद्देश्य से ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, पर्वतीय स्थलों, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों आदि की यात्रा हो सकती है। प्रति वर्ष अन्तर्देशीय अथवा देश के भीतर यात्राएँ बढ़ती है। जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है।

पर्यटन अन्य संबंधित उद्योगों जैसे होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और ट्रैवल एजेन्सीज का विकास करता है। पर्यटन पर्यटकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ी आय उत्पन्न करता है। यह पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में रोजगार का साधन भी बनता है।

भारत जैसे विकासशील देशों में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बन गया है, जो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करता है और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है। यह देश में सबसे तेजी से बढ़ता सेवा उद्योग बन गया है और इसके विस्तार और विविधीकरण की बड़ी संभावनाएँ हैं।

इसके अलावा, भारत का समृद्ध इतिहास और इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। भारत को महान आध्यात्मिक विरासत की भूमि के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी देशों के अधिकांश लोगों के लिए यह एक रहस्य है। अन्य देशों से साल भर भारत में लाखों पर्यटक आते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन


उत्तर प्रदेश राज्य का दिव्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह राज्य में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदियाँ यथा – गंगा, यमुना, सरयू और पौराणिक सरस्वती प्रवाहित होती हैं। वर्तमान समय में, राज्य भर में शानदार स्मारकों, किलों, संग्रहालयों, और बीते युग के अन्य अवशेषों का सौंदर्य विद्यमान है।

2019 में भारत और उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या नीचे दिखाई गई है;

तालिका 4-1 भारत में पर्यटकों की संख्या


क्रमांक		घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1	India	2,32,19,82,663	1,09,30,355
2	Uttar Pradesh	38,23,45,587	39,86,847

स्रोत: भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 रिपोर्ट



ग्राफ 4-1 घरेलू पर्यटकों की संख्या

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या पूरे देश में पर्यटकों की कुल संख्या का 15% है ।



ग्राफ 4-2 विदेशी पर्यटकों की संख्या

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या कुल पर्यटकों की संख्या से 36% है जो 2018-19 में भारत आये थे।

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घरेलू और विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा और

अयोध्या में आते हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश को भारत के आध्यात्मिक केंद्र में से एक माना जाता है। क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग राज स्थित है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को ब्रज सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, जैन सर्किट, अवध सर्किट, वन्यजीवन सर्किट, बुंदेलखण्ड सर्किट और विंध्य-वाराणसी सर्किट जैसे सर्किटों में विभाजित किया गया है :-

1. ब्रज सर्किट

उत्तर प्रदेश में ब्रज सर्किट एक प्राचीन भूमि है जो भगवान कृष्ण के जीवन के रूप का अभिन्न अंश है। इस सर्किट में उत्तर प्रदेश के तीन नगर आगरा, मथुरा, और वृंदावन जहां एक सद्भाव और माधुर्य अनुभूति होती हैं। ब्रज में स्मारकों और मंदिरों को देखना इतिहास में सीधे प्रवेश करना है।

2. रामायण सर्किट

उत्तर प्रदेश राज्य रामायण सर्किट अयोध्या, शृंगवेरपुर और चित्रकूट की स्थली होने के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है, कि ये स्थान भगवान राम के जीवन और युग गहराई से जुड़े हुए थे। श्रद्धालु वर्ष भर इस सर्किट में बड़ी संख्या में आते रहते हैं जिसके कारण इस स्थलों का विकास हुआ है।

3. बौद्ध सर्किट

उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहाँ हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अपने संदेश का प्रसार करने के लिए व्यापक यात्रा की और यहाँ महापरीनिर्वाण प्राप्त किया। इसलिए इसका नाम बौद्ध सर्किट पड़ा, सर्किट में भव्य स्तूप, प्राचीन मठ है जहाँ पवित्र बौद्ध मंत्र की अनुगूँज सुनी जा सकती है।

4. कृष्ण सर्किट

इस सर्किट में उत्तर प्रदेश के सात स्थान हैं, अर्थात् मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन और बलदेव हैं। यह सभी स्थान भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़े हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों के साक्षी रहे हैं।

5. वन्यजीव सर्किट

उत्तर प्रदेश के राज्य में तराई में सबसे ज्यादा समूह आरक्षित जैव मंडल है। इन हरे भरे क्षेत्रों में अनेक वन्य जीव रहते हैं। यह साहसिक और वन्य जीवन के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। जहाँ बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, और डॉल्फिन जैसे पशुओं के साथ अति सुंदर पक्षी प्रजाति तथा घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं।

6. जैन सर्किट

जैन धर्म भारत की एक बहुत लोकप्रिय संस्कृति है। उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक ऐतिहासिक नाटक और पौराणिक कथा मिलती है। उत्तर प्रदेश में असंख्य जैन मठ बिखरे पड़े हैं जो जैन तीर्थकारों के जीवन और गतिविधियों के विविध पंथों से गहरा संबंध रखते हैं, जिनमें अहिंसा, प्रेम और ज्ञान के संदेश का सदैव

प्रसार किया था। जैन वास्तुकला में भव्यता को देखने के ईछुक व्यक्तियों के लिए उतर प्रदेश में अनेक आकर्षण है।

7. अवध सर्किट

अवध सर्किट उत्तर प्रदेश का हृदय है, इस क्षेत्र की अपनी संस्कृति, भोजन, साहित्य, और आध्यात्मिकता के लिए एक वैश्विक पहचान है। यहां आधुनिकता और ऐतिहासिकता का सही संमिश्रण देखा जा सकता है, शांति, सद्भाव और चतुराई के लिए यह क्षेत्र दुनिया भर में जाना जाता है। इस क्षेत्र में अनेक स्मारक तथा आध्यात्मिक गंतव्य है जो सभी तरह के यात्रियों के लिए उपयुक्त है।

8. बुन्देलखण्ड सर्किट

बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैला है। यहाँ अभी भी सुगढ़ महल और किले देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र के वातावरण में ऐतिहासिक शौर्य ग्रंथों की गूंज है जो बीते समय की मूल साक्षी है। बुन्देलखण्ड सर्किट में पाँच नगर- बीठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा शामिल है।

9. विंध्य-वाराणसी

यह सर्किट तीन स्थलों वाराणसी, चुनार, और विंध्याचल से मिलकर बना है और इसमें प्रत्येक शहर का अपना सौंदर्य और महत्व है। वाराणसी शहर दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। पवित्र सरयू नदी के किनारे स्थित यह नगर हिंदूओं, जैन और बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ विंध्य पर्वतमाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ राज्यों तक फैली हैं। विंध्य-वाराणसी सर्किट क्षेत्र न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व का है, बल्कि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भी समृद्ध है।

4.1 अयोध्या में पर्यटन

अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित एक पौराणिक आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र है जो आगंतुकों को अपने शांत घाटों और अनगिनत मंदिरों आकर्षित करता है। अयोध्या को हिंदू विश्वास के सात पवित्र शहरों में से एक के रूप में गिना जाता है। भगवान राम के जन्मस्थान और जैन धर्म के 24 में से 5 तीर्थकारों का जन्मस्थान होने के नाते, यह भूमि पौराणिक और पवित्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार, अयोध्या इक्ष्वाकु राजवंश का स्थान था, जिनके वंशजों में से भगवान राम थे, जो शासकों में अद्वितीय माने जाते हैं।

अयोध्या अन्य धर्मों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है, विशेष रूप से जैन धर्म। जीवन की चहल-पहल, आगंतुक भक्तों का उत्साह, मंदिरों की घंटियां इत्यादि अयोध्या के आध्यात्मिक वातावरण की रचना करते हैं। अनगिनत बहु मतावलंबी मंदिर साधुओं के लिए विश्राम स्थल की उपस्थिति के साथ-साथ सभी तरीके की आराध्यों, संतों, विद्वानों आदि की उपस्थिति से यह स्थान जीवंत रहता है।

इस सुंदर दिव्यता के कारण अयोध्या में एक बड़ा पर्यटन स्थल बनने की प्रबल क्षमता है, अयोध्या जिला प्रशासन का कहना है कि 7,000 से अधिक भक्त हर दिन अस्थायी राम मंदिर में प्रार्थना करते हैं।

4.1.1 अयोध्या में पर्यटक आकर्षण

अयोध्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्मारक हैं जिनमें प्राचीन वास्तुकला की सुंदरता को देखा जा सकता है।

शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित फोर्ट; किले की बढ़िया वास्तुकला खंभों और दीवारों पर की गई अपनी जटिल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। किला वर्ष 1775 में बनाया गया था। इमारत के आसपास के सुंदर बगीचे के बीच में बनी इमारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं।

शुजा-उद-दौला के किले में तीन मकबरे हैं जो राजा शुजा-उद-दौलह, उनके पिता और माँ के हैं। एक इमामबाड़ा और एक मस्जिद भी उसी परिसर में मौजूद हैं।

बहू बेगम का मकबरा पूरे अवध में अपनी तरह का अकेला माना जाता है। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और इसकी ऊंचाई 42 मीटर है।

अयोध्या में संग्रहालय और मंदिर अन्य पर्यटन आकर्षण हैं। चक्र हरजी विष्णु मंदिर भगवान राम के चरणों की छाप धारण करता है। एक और मंदिर राजा मंदिर है।

अयोध्या में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अयोध्या नगर में पर्यटकों हेतु पर्यटन के मुख्य आकर्षण केंद्र निम्नवत हैं :-

1. श्री राम जन्मभूमि

राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह भगवान विष्णु के 7 वें अवतार भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। भगवान राम के भक्तों के लिए इस स्थान का एक अत्यंत महत्व है। इस दिव्य आकर्षण की एक झलक पाने के लिए आगंतुक दुनिया भर से पूर्ण उत्साह से आते हैं।



2. दशरथ महल
3. रत्न सिंहासन
4. नयाघाट
5. राम कथा संग्रहालय
6. सुग्रीव किला
7. गुप्तार घाट
8. गुलाब बाड़ी
9. 84 कोसी परिक्रमा
10. 14 कोसी परिक्रमा

11. पंच कोसी परिक्रमा

12. छोटी देवकाली मंदिर

इस मंदिर का संबंध रामायण की कहानियों से है और नया घाट के पास स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम के साथ विवाह के बाद माँ सीता अयोध्या में देवी गिरिजा की मूर्ति के साथ आई थीं। राजा दशरथ ने देवी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया जहां माँ सीता देवी की पूजा करती थीं। अब यह स्थानीय देवी देवकाली की प्रभावशाली मूर्ति लगी है।

13. हनुमान गढ़ी

हनुमान गढ़ी इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। किंवदंती यह है कि भगवान हनुमान अयोध्या की रक्षा के लिए यहां रहते थे। धार्मिक चीजों और बेसन लड्डू बेचने वाली दुकानों के बीच स्थित मंदिर से थोड़ी दूर पर गाड़ी पार्क करने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए दीवारों से गिरि 70 से अधिक सीढ़िया चढ़नी पड़ती है। गर्भगृह में भलीभाँति रंगे हुए स्तंभ, कोष्ठक और महीन प्लास्टर की मूर्तियाँ हैं।

14. कनक भवन

अयोध्या में कनक भवन मंदिर भगवान राम और उनकी देवी जीवन संगिनी देवी सीता को समर्पित है। इस जगह की भव्यता और गर्भगृह में स्थापित देवताओं की मूर्तियाँ भक्तों को बाध्य छोड़ दें। इस मंदिर के बजाय एक विशाल महल के रूप में बनाया गया, कनक भवन मंदिर भारत के बुंदेलखंड और राजस्थान क्षेत्रों के शानदार महलों जैसा दिखता है। मंदिर का इतिहास त्रेत्रा युग से है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम की सौतेली माँ रानी कैकयी ने यह महल नई बहु देवी सीता और अपने सौतेले बेटे राम को उपहार में दिया था। बाद में, एक भव्य मंदिर बनाया गया था 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओरछा और टिकमगढ़ के राजघराने द्वारा एक विसाल आँगन के तीन और मेहरबान द्वार दरवाजों वाले और ऊंची छतवाले एक विशाल कक्ष स्वर्ण मुकट धारी भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियों के तीन जोड़े चांदी के कक्ष के नीचे विराजमान है। अन्य मठ के विपरीत कनक भवन बुंदेला प्रभावशाली खुले हवादार स्थानों से चुस्त वास्तु शांत कोनों वाला आरामदायक वातावरण प्रदान करती है।




चित्र 4-1 कनक भवन

15. मणि पर्वत


यह वह जगह है जहां संजीवनी बूटी के कुछ अंश उस समय गिर गए थे, जब भगवान हनुमान भगवान राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी के विशाल पर्वतों को लंका ले जा रहे थे। लगभग 65 फीट ऊंची इस पहाड़ी को बाद में मणि पर्वत नाम दिया गया।



Source: Primary Survey 2020



Source: Primary Survey 2020



Source: Primary Survey 2020

16. नागेश्वरनाथ मंदिर

यह मंदिर अयोध्या के पीठासीन देवता, भगवान श्री नागेश्वर नाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह खूबसूरत मंदिर भगवान राम के बेटे कुश द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में मौजूद शिवालिंग काफी प्राचीन है। लोकमान्यता के अनुसार राजा कुश सरयू नदी के निकट स्नान कर रहे थे तब उनका बाजूबंध पानी में गिर गया; उसे एक नाग कन्या ने उठा लिया था जो उनसे प्रेम करती थी। चूंकि वह भगवान शिव की भक्त थीं, राजा कुश ने उसके लिए मंदिर का निर्माण कराया। अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित मंदिरों में से एक होने के नाते, त्रियोदशी और महाशिवरात्रि के त्यौहारों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं।

17. नंदीग्राम (भरत कुंड)

पवित्र कुंड अयोध्या से 15 किमी दूर है। यह वह स्थान माना जाता है जहां भरत, भगवान राम के भाई ने निर्वासन से उनकी वापसी के लिए तपस्या (गहन ध्यान) की थी और भगवान राम की तरफ से कोशल राज्य पर शासन किया था। वर्तमान में यह शांतिपूर्ण और शांत जगह है जहाँ शांति के कुछ क्षण बिताये जा सकते हैं और शोर-शराबों से दूर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। लोग यहाँ श्राद्ध करने और स्नान के लिए आते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं से युक्त अतिथि गृह भी है।

18. राम की पैड़ी

राम की पैड़ी सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है। नदी का किनारा एक उत्कृष्ट परिदृश्य उपस्थित करता है। विशेष रूप से रात में बिजली की रोशनी के बीच ये घाट भक्तों के लिए चबूतरों का काम करती है जो मान्यता के अनुसार आपने पाप धोने के लिए सरयू नदी में स्नान करने आते हैं।

19. त्रेता के ठाकुर

त्रेता के ठाकुर मंदिर अयोध्या के राम घाट (नया घाट) में स्थित है। यह भगवान राम को समर्पित है, जिसे 'त्रेता के ठाकुर' के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया था। लगभग 300 साल पहले, कुल्लू के राजा ने यहां एक नया मंदिर बनवाया, जिसे 'कालेराम का मंदिर' कहा जाता है। 1784 में, मराठा रानी, इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, हनुमान, सुग्रीव और पहरेदार – जय और विजया की मूर्तियां हैं जो काले बलुआ पत्थर से बनी हैं और माना जाता है कि सरयू नदी के पास स्थित मूल राम मंदिर से बरामद की गयी है। मंदिर कार्तिक महीने में शुक्ला पक्ष की एकादशी जो साल में केवल एक बार ही खुलता है। यह दिन एक विशेष पूजा के साथ धूमधाम और आनंद से मनाया जाता है। देवी – देवताओं की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं।

20. तुलसी स्मारक भवन

तुलसी स्मारक भवन का निर्माण 16 वीं शताब्दी का कवि-दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में किया गया था। उन्हें अवधी भाषा में रामचरितमानस लोगों को संलेखित करने के लिए स्मरण किया जाता है, माना जाता है कि उन्होंने हनुमान चालिसा की भी रचना की थी। भवन में 'अयोध्या शोध संस्थान' स्थित है। अयोध्या रिसर्च सेंटर, वह संगठन ने अयोध्या और इसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के ऐतिहासिक महत्व का अध्ययन और उन पर शोध किया जाता है। यह एक पुस्तकालय है, रामायण कला और शिल्प, राम कथा का दैनिक पाठ होता है और वर्ष भर राम लीला की स्थानीय प्रदर्शनी का मंचन किया जाता है। भवन का उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों और प्रार्थना सभाओं के लिए भी किया जाता है और और अनुभवी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम चलाने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। रामकथा संग्रहालय 1988 में संस्थान के भीतर स्थापित किया गया था रामायण युग की प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के माध्यम से यहां का संग्रहालय अयोध्या के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य को समृद्ध करता है।



21. तुलसी उपवन

तुलसी उपवन गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित एक बगीचा है। अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बगीचे को पहले विक्टोरिया पार्क के रूप में जाना जाता था और केंद्र में रानी विक्टोरिया की मूर्ति थी।



चित्र 4-2 तुलसी उद्यान

बाद में 1960 में इसका नाम बदलकर तुलसी उपवन किया गया और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित की गई।

22. वाल्मीकि रामायण भवन

यह भवन वाल्मीकि रामायण के लिए प्रसिद्ध है जिसे संगमरमर पर खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहां आते हैं। यह मनी रामदास जी की छावनी मार्ग पर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किमी की दूरी पर स्थित है।

23. गुप्तार घाट

सरयू नदी के किनारे पर स्थित यह पवित्र घाट वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। राजा दर्शन सिंह द्वारा 19 वीं शताब्दी में अनुरक्षण घाटों की शृंखला बनवाई गई थी जिसके ऊपर सीता राम मंदिर, चक्रहारी और गुप्ताहरी मंदिर और नर्सिंगह मंदिर स्थित हैं। गुप्तार घाट नगर का पर्यटन स्थल भी है।



चित्र 4-3 गुप्तार घाट

4.2 पर्यटन गतिविधियाँ

पर्यटन गतिविधि पर्यटन को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। पर्यटन गतिविधि के लाभों में शुल्क और करों द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष राजस्व और आगंतुकों के पक्ष में और संसाधनों के उपयोग के लिए किए गए अन्य स्वैच्छिक भुगतान शामिल हैं। बदले में राजस्व का उपयोग प्राकृतिक क्षेत्रों को बनाए रखने और आर्थिक विकास के प्रति योगदान के लिए किया जा सकता है। टिकाऊ पर्यटन जैविक विविधता के संरक्षण में सकारात्मक सुधार करने में मदद कर सकता है। यदि इन स्थानीय समुदायों को सीधे पर्यटक उद्यम से आय होती है तो इसके परिणामस्वरूप उनके आस-पास के संसाधनों के मूल्यांकन में वृद्धि होती है, जिसके बाद उनके आसपास के संसाधनों की अधिक सुरक्षा और संरक्षण होता है। इसके अलावा, टिकाऊ पर्यटन एक प्रमुख शैक्षणिक अवसर के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे पर्यावरण विषय ज्ञान में वृद्धि होती है। अन्य लाभों में पारंपरिक कला और शिल्प, पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है जो विविधता के सतत उपयोग में योगदान देते हैं।

अयोध्या नगर में पर्यटकों द्वारा जिन गतिविधियों का आनंद लिया जाता है उनकी सूची निम्न हैं :-

1. मोक्षदायिनी यात्रा

मोक्षदायिनी यात्रा की सम्पूर्ण समय अवधि 1 दिन है। मोक्षदायिनी यात्रा में परम्परागत अखाड़ों द्वारा गलियों में भ्रमण किया जाता है साथ ही मंदिरों का भ्रमण, शांत घाटों तथा अयोध्या के अतुलनीय समाज का और आध्यात्मिक विरासत का भी दर्शन किया जाता है इसके तत्पश्चात सूर्यास्त के समय सरयू आरती हेतु जन सैलाब इसका हिस्सा बनता है।

2. परिक्रमाएँ

धार्मिक परिक्रमाएँ हिंदू पूजा का एक आवश्यक अंग है। यहां आने वाले भगवान राम के भक्त जो परिक्रमा करते हैं वे निम्न हैं:

अंतर्ग्रीही परिक्रमा -

एक दिन में पूरा होने वाली परिक्रमा सबसे छोटी, भक्तों को सरयू नदी में स्नान करके रामघाट, सीताकुंड, मणि पर्वत, ब्रह्मकुंड होते हुए अंत में कनक भवन पहुंचना होता है।

पंचकोसी परिक्रमा -

यह परिक्रमा चक्रतीर्थ से प्रारंभ होती है और नया घाट, रामघाट, सरयू बाग, होलकर-का-पुरवा, दशरथ कुंड, जोगियाना, रानोपाली, जालपा नाला और महता बाग तक चलती है।

14 कोसी परिक्रमा -

परिक्रमा को अक्षय नवमी के दौरान किया जाता है और इसे 1 दिन में पूरा करना होता है।



3. सरयू आरती

सरयू घाट में सरयू नदी के इस सुंदर सम्मान को देखना एक रोमांच अनुभूति है। पीतल के दिए जलाये जाते हैं और लाउडस्पीकर से भजन प्रसारित किए जाते हैं इसके बाद मधुर करतल ध्वनि शंखनाद घड़ियाल की ध्वनि के बीच दीयों से आरती होती है और जोश के साथ आरती गाई जाती है।

4.3 पर्यटक प्रवाह

तालिका 4-2 उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आमद

क्रमांक		घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1	उत्तर प्रदेश	285079848	3780752

स्रोत पर्यटन विभाग अयोध्या 2020


अयोध्या धाम के वार्षिक पर्यटक

तालिका 4-3 अयोध्या में पर्यटकों की आमद


वर्ष	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक	कुल
2015	15432558	19077	15451635
2016	15482456	20979	15503435
2017	17549633	23926	17573559
2018	19217570	27043	19244613
2019	20122436	26956	20149392

स्रोत पर्यटन विभाग अयोध्या 2020

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 201.49 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। अतः एक उचित पर्यटन योजना स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार उत्पन्न करने के साथ स्थानीय सरकार के लिए राजस्व सृजन में सहायक हो सकती है।



ग्राफ 4-3 घरेलू पर्यटक




ग्राफ 4-4 अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक

4.4 अयोध्या की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

तालिका 4-4 अयोध्या में अनुमानित पर्यटक प्रवाह


वर्ष	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय
2015	15432558	19077
2016	15482456	20979
2017	17549633	23926
2018	19217570	27043
2019	20122436	26956
2020	21622436	27234
2021	23122436	27515
2022	24622436	27799
2023	26122436	28084
2024	27622436	28372
2025	29122436	28663
2025	30622436	28956
2026	32122436	29252
2027	33622436	29551
2028	35122436	29852
2029	36622436	30156
2030	38122436	30462
2031	39622436	31084

स्रोत पर्यटन विभाग अयोध्या 2020 , प्राथमिक सर्वेक्षण एवं प्रक्षेपण 2020



ग्राफ 4-5 घरेलू पर्यटकों का प्रक्षेपण

स्रोत पर्यटन विभाग अयोध्या 2020, प्राथमिक सर्वेक्षण एवं प्रक्षेपण 2020



ग्राफ 4-6 अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का प्रक्षेपण

स्रोत पर्यटन विभाग अयोध्या 2020, प्राथमिक सर्वेक्षण एवं प्रक्षेपण 2020

4.5 पर्यटन नीति

उत्तर प्रदेश के मौजूदा पर्यटन नीति 2018 है जो उत्तर प्रदेश को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सारे समुदाय में पर्यटन विकास को बढ़ाना है एवं राज्य के भीतर अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है।

उत्तर प्रदेश-पर्यटन नीति नीचे दिए गए उद्देश्यों के साथ पांच साल तक लागू होगी:

1. पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ।
2. निवेश और रोजगार पैदा करने को बढ़ावा देना।
3. ब्रांड उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ करना।
4. धार्मिक या आध्यात्मिक पर्यटन पर दृष्टि केंद्रित करना।

5. विषय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना।
6. सामुदायिक विकास और स्थानीय कौशल के उन्नयन के माध्यम से सतत पर्यटन।

नीति के अनुसार सभी पर्यटन सर्किट में पर्यटन एकाइयाँ स्थापित करने की आवश्यकता है और निवेश पूंजी केवल सर्किट के भीतर प्रत्येक शहर में 10 पर्यटन इकाइयों के सफल कार्यान्वयन पर ही प्रदान की जाएगी। पर्यटन संरचनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। पर्यटन इकाइयों के विपणन और प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी रोजगार उत्पन्न करने के लिये विभिन्न विभागों के सहयोग से पर्यटन पाठ्यक्रम के सहित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।

नीति के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं हैं:

1. स्मार्ट टिकटिंग प्रणाली
2. ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन
3. सिटी सेंटर वेधशाला
4. डिजिटल संग्रहालय
5. रोप वे परियोजना

अतः पर्यटन योजना मौजूदा नीतियों के साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार उत्पन्न करने को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

4.6 अयोध्या पर्यटन विभाग की प्रस्तावित / निर्माणाधीन परियोजनाएं

शहर की पर्यटन योजना में सुधार के प्रावधान के संबंध में पर्यटन विभाग से डेटा एकत्र किया गया , मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसे पर्यटन योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।

1. सांस्कृतिक अयोध्या शहर में मठों, मंदिरों और कुंडों का पुनर्स्थापन और इनके आस पास अनेक वांछित सुविधाओं का निर्माण।
2. मुख्य मठों, मंदिर, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, गुप्तार घाट, दशरथ महल, राम कथा संग्रहालय आदि भवनों के प्रकाश फसाड की व्यवस्था करना । इमारतों के अलावा, मुख्य सार्वजनिक भवन, डाकघर, कलेक्टरेट, नगर निगम, रेलवे स्टेशन , नया पूल , पुराना सरयू पथ पूल , आदि में प्रकाश फसाड की व्यवस्था करना ।
3. घाटों की पुनरुद्धार और अयोध्या के धार्मिक मठों, मंदिरों और कुंड (विभीषण कुंड, दंतधावन कुंड, सीता कुंड) का सौंदर्यीकरण । संरक्षित भवनों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण।
4. श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पास 1000 आगंतुकों की क्षमता वाली धर्मशाला का निर्माण ।
5. अयोध्या नगर के प्रमुख मार्गों पर आगंतुकों के स्वागत के लिए भव्य तोरण द्वार का निर्माण तथा आगंतुकों हेतु सुविधाओं का विकास।
6. फ्लाई ओवर का निर्माण ।
7. पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण ।
8. छः पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं जिनमे से दो लॉट अयोध्या विकास क्षेत्र क्षेत्र में हैं ।
9. कियोस्क, पैदल मार्ग , नो पार्किंग आर्क , सुरक्षा और निगरानी प्रणाली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कवर होगी ।

10. सी.डी.पी. के तहत पर्यटन विकास हेतु निम्न परियोजनाओं के निर्माण/सुदृणीकरण प्रस्तावित है –

अ. ग्रीनफील्ड टाउनशिप ।

आ. पर्यटन सुविधा केंद्र ।

इ. मुख्य सड़क अयोध्या और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संपर्क मार्ग ।

ई. सरयू नदी के किनारे का विकास ।

उ. धर्म पथ-स्मार्ट रोड ।

ऊ. पंचकोसी परिक्रमा मार्ग ।

ऋ. चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग ।

ल. सामुदायिक सुविधाएं एवं तीन स्थानों पर पार्किंग की सुविधाओं का विकास ।

एँ. स्पेशियल स्ट्रक्चर प्लान एवं आर्थिक क्रियाओं हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना ।

5 पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना

5.1.1 सरयू नदी

अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है तथा हिन्दू शास्त्रों के अनुसार यह अत्यंत पवित्र , प्राचीन नदी है एवं इसका वर्णन वेदों के साथ-साथ रामायण इत्यादि महाकाव्यों में भी मिलता है । सरयू तट को राम जी की पैड़ी के रूप में भी जाना जाता है जहां लंबी शृंखला में घाट, बगीचे एवं मंदिर पाए जाते हैं । विभिन्न धार्मिक अवसरों पर पूरे साल हजारों भक्त यहां आते हैं। सरयू नदी एक बारहमासी जल संसाधन है यह हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है और इसे घाघरा और मानस नदिनी भी कहा जाता है । यह बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के साथ मिल जाती है।



चित्र 5-1 सरयू नदी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या में सरयू नदी के जल की गुणवत्ता निम्नवत है:

तालिका 5-1 अयोध्या में सरयू जल की गुणवत्ता

	तापमान		डी ओ		पीएच		बीओडी		कोलिफॉर्म लेवल	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
मानक			>4mg/l		6.5-8.5		<3mg/l		<5000MPN/100 ml	
	18°C	25°C	7.4	9.9	7.8	7.9	2.9	4.1	7000	8000

स्रोत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2016

5.2 शहर में प्रदूषण स्तर

पर्यावरणीय मुद्दों में अनियंत्रित बस्तियां अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा तैयारी, यातायात प्रबंधन, आदि प्रदूषण में काफी प्रभाव डालती है। तेजी से शहरीकरण के कारण हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित होते जा रहे हैं जिससे स्थानिक नगरीय वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं इसका मुख्य कारण कंक्रीट के बने मकानों द्वारा दिन की अवधि में अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण एवं रात्री के समय उनका उत्सर्जन है, जिससे नगर एक ऊष्मा द्वीप का रूप में परिवर्तित हो जाता है। उष्म द्वीप ना केवल नगरीय वातावरण को क्षति पहुँचाता है वरण आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विपरीत प्रभाव डालता है।

शहरीकरण, अपर्याप्त उपचार क्षमता, और उपचारित न किए गए अपशिष्टों का निस्तारण शहरी और बाहरी नगर- क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा, अयोध्या में एक मलजल उपचार संयंत्र है और सभी उपचारित मलजल को नदी में निस्तारित किया जाता है।

5.2.1 वायु प्रदूषण

भूमि और पानी के अलावा हवा जीवन बनाए रखने के लिए प्रमुख संसाधन हैं। तकनीकी उन्नति के चलते व्यापक वायु गुणवत्ता पर बड़ी मात्रा में आंकड़े सृजित करके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को आंकने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2016 की रिपोर्ट अयोध्या में जल की गुणवत्ता की चेतावनी नीचे दी गई है औसत एसपीएम 75.75 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ and है औसत एसपीएम 104 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ से नीचे होना चाहिए।

तालिका 5-2 अयोध्या में वायु प्रदूषण

महीने	औसत प्रदूषण स्तर ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)
फरवरी 2019	78.66
मार्च 2019	80.33
अप्रैल 2019	86.00
मई 2019	82.75
जून 2019	71.00
जुलाई 2019	78.33
अगस्त 2019	75.25
सितंबर 2019	85.33
अक्टूबर 2019	83.60
नवंबर 2019	136.0
दिसंबर 2019	156.0

स्रोत प्रदूषण विभाग 2020

5.2.2 ध्वनि प्रदूषण

हाल के दिनों में ध्वनि प्रदूषण दुनिया भर में शहरी इलाकों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकटों में से एक के रूप में भली-भांति जाना जाता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और अन्य संचार और परिवहन प्रणालियों में तेजी से वृद्धि के कारण बीते हुए वर्षों में ध्वनि प्रदूषण एक परेशान करने वाले स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में शोर के स्रोतों से दूर के आवास और शांत सड़कों के पास आवास बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आम जनता शोर वाली शहरी पर्यावरण से दूर स्थानों में रहना पसंद करती है।

ध्वनि प्रदूषण अपने स्रोत और प्रसार विशेषताओं के कारण अन्य प्रदूषण श्रेणियों से अलग होता है जो शहरी पर्यावरण में सार्वजनिक स्थान और पर्यावरणीय गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। शहर में ध्वनि प्रदूषण स्तर को चिह्नित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों के साथ तुलना की जानी चाहिए।

नीचे दी गई तालिका का उन मानकों को दिखाती है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तालिका 5-3 ध्वनि प्रदूषण श्रेणी

अनु क्रमांक	श्रेणी नाम	दिन का समय (डीबी)	रात का समय (डीबी)
1	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
3	आवासीय क्षेत्र	55	45
4	मौन क्षेत्र	50	40

स्रोत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)।

* दिन का समय 6.00 बजे से 10.00 बजे तक होगा।

* रात का समय 10.00 बजे रात से सुबह 6 बजे तक होगा।

* शांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है

* सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त श्रेणियों में से एक के रूप में क्षेत्रों की मिश्रित श्रेणियां घोषित की जा सकती हैं।

तालिका 5-4 अयोध्या में ध्वनि प्रदूषण का स्तर

	ध्वनि प्रदूषण का स्तर (डीबी)			
	आवासीय	व्यावसायिक	संस्थागत	औद्योगिक
जनवरी 2019	59.4	84.66	56.0	98.4
फरवरी 2019	65.98	96	57.6	100.0
मार्च 2019	62.12	81.00	54	98
अप्रैल 2019	59.0	90.00	51.00	95.00
मई 2019	63.00	94.00	53.00	100
जून 2019	67.00	82.00	44.00	87.00

जुलाई 2019	65.00	80.00	46.00	80.00
अगस्त 2019	59.00	81.00	45.00	72.00
सितंबर 2019	66.0	82.00	59.00	84.00
अक्टूबर 2019	56.00	91.00	52.00	100
नवंबर 2019	51.00	84.00	58.00	106.0
दिसंबर 2019	49.0	79.0	43.0	84.0

स्रोत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2020

उपरोक्त डेटा से यह देखा जा सकता है कि अधिकतम ध्वनि प्रदूषण अयोध्या के वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में है ।

5.2.3 जल प्रदूषण

जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दा एक बड़ी चुनौती है जिसका 21वीं शताब्दी में मानवता को सामना करना पड़ रहा है । पिछले तीन दशकों में पर्यावरण प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर वैश्विक चिंता बढ़ रही है । आजकल 25% मानव रोग पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। उपचारित किए गए अपशिष्ट पदार्थों द्वारा आमतौर पर मिट्टी और भूजल गुणों को बदल दिया जाता है जो उनकी गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन जाते हैं।

अयोध्या के जल निकायों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए उसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों के साथ की गई है।

प्राकृतिक जल निकायों में जल प्रदूषण को विभिन्न मानकों के आधार पर चिह्नित व परिभाषित किया जा सकता है, जैसे घुली हुई ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), कोलिफॉर्म जीव, पीएच इत्यादि। पानी की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार, पीने के पानी में घुली हुई आक्सीजन का स्तर ≥ 6 मिलीग्राम / लीटर और बीओडी स्तर < 2 मिलीग्राम / लीटर होना चाहिए। इसके अलावा कोलिफॉर्म स्तर पानी में 50 एमपीएन / 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए जो पीने के पानी के लिए सुरक्षित है। यदि किसी भी स्रोत की पानी की गुणवत्ता इन मानदंडों का अनुपालन नहीं हो रहा है , तो पूरे उपचार के बिना पेय जल के रूप में पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

तालिका 5-5 जलवायु गुणवत्ता के मानदंड

मापदंडों	सीमा (नदी)
BOD	<3 mg/l
DO	>5 mg/l
ph	6.5-8.5
COD	<10mg/l

<i>TDS</i>	<i><30 NTU</i>
------------	-------------------

स्रोत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2020

तालिका 5-6 सरयू नदी के जल की गुणवत्ता

अनु क्रमांक	नदी	PH	BOD	COD	DO	क्लोराइड	कठोरता
1	सरयू नदी-अपरस्ट्रीम	7.63	2.6mg/l	10.08mg/l	8.6mg/l	21.36mg/l	208.06mg/l
2	सरयू नदी-डाउनस्ट्रीम	7.97	2.8mg/l	11.20mg/l	8.46mg/l	24.146mg/l	214.06mg/l


उपर्युक्त आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि सरयू नदी की जल गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संस्तुत मानक सीमाओं के भीतर है। परंतु भविष्य में सरयू नदी की जल गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु परियोजना तैयार कर कार्यवाही करनी होगी।

5.3 आपदा प्रबंधन

आपदा के प्रभाव को कम करने, आपदा राहत गतिविधियों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने, आपदाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए अयोध्या शहर में आपदा प्रबंधन योजना 2016-17 विद्यमान है। किसी भी आपदा के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य आपदा प्रति कोष आयुक्त को उपलब्ध कराई जाती है जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% और राज्य की हिस्सेदारी 25% होती है। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रतिक्रिया उपाय ऐसे उपाय होते हैं जो आपदा से पहले और उसके पश्चात तुरंत किए जाते हैं और इनका उद्देश्य चोटों को सीमित करना, जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना तथा जो आपदा से प्रभावित हो अथवा जिसके आपदा से प्रभावित होने की आशंका हो उन लोगों का आभास हो जाता है कि आपदाकारी घटना आसन है और यह तब तक जारी रहती है जब तक आपदा की समाप्ति की घोषणा नहीं हो जाती।

6 वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना-2001 का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू-उपयोग




मानचित्र 6-1 मौजूदा भू-उपयोग

वर्तमान भू-उपयोग 2020

भू-उपयोग	वर्ष 2020	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	1466	47%
व्यावसायिक	124.46	4%
औद्योगिक	143.09	5%
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएँ	470.3	15%
पार्क एवं खुले स्थल	163.31	5%
यातायात एवं परिवहन	580.98	19%
मनोरंजन	75.9	1.50%
अन्य मिश्रित उपयोग	137.19	3.50%
योग	3092.92	100%
कृषि एवं अन्य	10274.59	
कुल योग	13367.51	


तालिका 6-1 वर्तमान भू-उपयोग 2020



चार्ट 6-1 वर्तमान भू-उपयोग 2020

FAIZABAD-AYODHYA MASTER PLAN 2001

After Conversion on G.I.S.



- Legend**
- Nagar Nigam Area
 - MasterPlan_2001**
 - Text**
 - Agriculture Area
 - Bus Adda
 - Central Govt. Office
 - City Business Center
 - City Road
 - City Sub Business Center
 - District Business Center
 - Existing Educational Area
 - Existing High School
 - Existing Health Services
 - Existing High School
 - Existing Industry
 - Existing University
 - Green Area
 - High Density
 - High Flood Area
 - Historical Place
 - Initiation School
 - Low Density
 - Low Line Flood Area
 - Mandi
 - Medium Density
 - Play Ground
 - Proposed Educational Area
 - Proposed Health Services
 - Proposed High School
 - Proposed Industry
 - Proposed Open Land
 - Proposed University
 - Railway Premises
 - Recreational Area
 - Religious Area
 - River
 - Rural Area
 - State Govt. Office
 - Technical Institute
 - Tourist Accomodation
 - Tourist Parking
 - Transport City
 - Undefined Area
 - Upvan Area
 - Wholesale Trade Center

Total Area:3078.8 ha

मानचित्र 6-2 अयोध्या महायोजना 2001

प्रस्तावित भूपयोग- 2001

No	भूपयोग	महायोजना - 2001 के अनुसार		जी.आई.एस. पर कनवर्जन के अनुसार	
		क्षेत्रफल (हेक्टेर)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेर)	प्रतिशत
1	आवासीय	1343.3	54.7	1440.74	48.9
2	व्यावसायिक	114.23	4.3	98.61	3.3
3	औद्योगिक	160	6.6	233.17	7.9
4	कार्यालय	115.63	5	88.39	3
5	सामुदायिक सुविधाएं और उपयोगितायें एवं सेवाएं	114	4.7	232.56	7.9
6	यातायात एवं परिवहन	330	13.5	614.86	20.9
7	धार्मिक एवं सांस्कृतिक	56	2.3	61.47	2.1
8	पार्क / खुला स्थल एवं मेला स्थल	120.84	5.1	89.82	3
9	पर्यटक आवास एवं आध्यात्म क्षेत्र	91	3.8	87.80	3
	योग	2445	100	2947.42	100
10	हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट)	564		131.33	
	कुल योग	3009		3078.8	

तालिका 6-2 प्रस्तावित भू-उपयोग - 2001

Source: Faizabad–Ayodhya Master Plan–1983–2001

तालिका 6-3 विचलन

भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेर)	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	पार्क एवं खुले स्थल	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	यातायात एवं परिवहन	कार्यालय	कुल विकास	रिक्त भूमि	प्रतिकूल विकास	% प्रतिकूल विकास
आवासीय	1440.74	757.27	27.98	8.37	2.23	44.92	1.71	55.32	897.80	542.94	140.53	9.7541
व्यावसायिक	98.61	51.56	8.20	0.53	0.46	3.79	0.00	4.94	69.48	29.13	61.28	62.1405
औद्योगिक	233.17	36.98	7.87	35.18	0.00	2.18	0.00	2.66	84.87	148.30	49.69	21.3092
कार्यालय	88.39	13.14	0.96	0.07	0.69	0.37	0.00	66.26	81.50	6.89	15.23	17.231
पार्क एवं खुले स्थल	89.82	30.69	0.43	0.56	2.59	18.84	2.04	1.51	56.65	33.17	54.06	60.1845
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	381.83	96.91	6.13	0.26	2.04	69.07	0.00	19.75	194.15	187.68	125.09	32.7599
यातायात एवं परिवहन	614.86	150.83	33.41	5.23	0.57	18.63	77.58	23.32	309.57	305.29	231.99	37.73
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेर)	2947.42	1137.37	84.98	50.19	8.57	157.79	81.34	173.77	1694.01	1253.41	677.86	22.9983

1. आवासीय भूमि उपयोग में अधिकांश भूमि केवल आवासीय भूमि उपयोग में विकसित हुई है लेकिन 27.98 हेक्टेयर व्यावसायिक भी विकसित हुई है जो व्यावसायिक भूमि उपयोग के संबंध में एक बड़ा क्षेत्र है। उद्योग, सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक, यातायात एवं परिवहन भी क्रमशः 8.37 हेक्टेयर, 44.92 हेक्टेयर, 1.71 हेक्टेयर विकसित हुआ ।
2. उपरोक्त तालिका के अनुसार व्यावसायिक भूमि उपयोग क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिकूल विकास हुआ है । इससे स्पष्ट है कि 2001 के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक भू-उपयोग का उपयोग नहीं किया गया था और इसके कारण अन्य भूमि उपयोगों में वाणिज्यिक विकास का अतिक्रमण किया गया था। अतः व्यावसायिक क्षेत्रों का नियोजन मिश्रित क्षेत्र के रूप में होना चाहिए । विवेकपूर्ण व्यावसायिक नियोजन मिश्रित उपयोग के रूप में होना चाहिए।
3. विगत 20 वर्षों में शहरी क्षेत्र में वृद्धि हुई है एवं नई महायोजना की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां, व्यावसायिक परिसर, स्कूल, ऑटोमोबाइल शोरूम, मैरिज हॉल, रेस्तरां, ढाबे, होटल, इत्यादि का निर्माण हुआ है ।

7 नियोजन की समस्यायें

भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या तीव्र शहरीकरण के कारण नगरीय समस्याओं का सामना कर रही है। अयोध्या नगर हेतु प्रथम महायोजना की संरचना वर्ष 1983 में किया गया था जो वर्ष 2001 तक प्रभावी रहा। वर्ष 2001 का बाद नई महायोजना संरचना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका जिससे विकास क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य क्रियाओं का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।

1. आवासीय क्षेत्र

अयोध्या नगर क्षेत्र में आवासीय क्रियाओं की मुख्य विशेषता घरों एवं मंदिरों का साथ-साथ पाया जाना है। साथ ही आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं में भी वृद्धि हुई है।

2. जलापूर्ति और उपचार

जल आपूर्ति शहर में एक मुद्दा है क्योंकि पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत भूजल है। अयोध्या नगर क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है जिससे शुद्ध पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि लोगों को नल के पानी के बजाय भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। शहर में पानी की आपूर्ति कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है और लोग पर्याप्त पेय जल की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत करते हैं।

3. खुली जल निकासी तथा सीवेज

शहर में मुख्य रूप से खुली और बंद जल निकासी व्यवस्था है जो एक मुद्दा है क्योंकि इससे अयोध्या में मलेरिया, ऐ.ई.एस., बीमारियों का कारण है। इसके अलावा, बरसाती पानी के संग्रह और शहरी क्षेत्र में उत्पन्न मलजल के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। 12 एमएलडी की क्षमता के केवल एक मलजल उपचार संयंत्र है अति उपचार के बाद मलजल सरयू नदी में निस्तारण होता है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मलजल उपचार की जरूरत में भी वृद्धि होगी। सरयू नदी में निस्तारण के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत होगी।

4. यातायात

चरम समय पर यातायात का जाम भी एक समस्या है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता, साइकिल या पैदल चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ फेरी वाले निर्दिष्ट अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में है और सभी गतिविधियाँ सड़क किनारे चल रही है जिससे यातायात जाम होता है अयोध्या में चोक बाजार वाली सड़क पर शाम को भारी भीड़ होती है इसलिये यातायात के जाम का कारण बनने वाले घटकों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव दिये जाने चाहिये।

5. पार्किंग की सुविधाएं

शहर के भीतर कोई उचित पार्किंग की सुविधा नहीं है इसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। पार्किंग सुविधा के अभाव से ट्रैफिक जाम होता है।

6. मनोरंजन सुविधाएं

अयोध्या में मनोरंजन सुविधा बहुत ही कम है। लोग मनोरंजन स्थानों के रूप में केवल मंदिरों, स्मारकों और घाटों से काम चलाते हैं। नगर में कई छोटे पार्क विद्यमान हैं। मौजूदा मनोरंजन सुविधाओं के सौंदर्यीकरण एवं मनोरंजन के स्थानों का प्राविधान अवश्यक है।

7. अनौपचारिक क्षेत्र

अयोध्या में सड़कों के किनारे अनेक अनौपचारिक गतिविधियां चलती है और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। इसलिए, फेरी वाले, विक्रेता आदि बेतरतीब ढंग से फैले दिखाई पड़ते हैं। शहर के अनौपचारिक क्षेत्रों हेतु वेंडिंग योजना की आवश्यकता है जिससे शहर के सौन्दर्य में वृद्धि हो सके। साथ ही यह नगर में पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित किया जा सके।

8. पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है परंतु संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित नहीं है । पर्यटकों हेतु अस्थायी और स्थायी रहने की सुविधा की नितांत आवश्यकता है ।

9. नगर में चल रही परियोजनाओं और नई आगामी परियोजनाओं से विकास क्षेत्र में प्रवासन की वृद्धि होगी । आगामी दशक में जनसंख्या के चार गुणा होने का अनुमान है । अतैव नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है ।

8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

अयोध्या, सबसे पवित्र स्थानों में से एक होने के कारण राम की पौराणिक राजधानी के रूप में जाना जाता है; और आजकल अपने पवित्र सांस्कृतिक परिदृश्य के विशेष संदर्भ में भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है।

अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान शहर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थानों के रूप में इस शहर का अपना सार है। अयोध्या में भगवान राम के एक युग को शहर की सांस्कृतिक विशेषताओं के माध्यम से देखा जा सकता है। संस्कृति प्रतीकों में सन्निहित अर्थों के ऐतिहासिक रूप से संचरित पैटर्न को दर्शाती है, प्रतीकात्मक रूपों में व्यक्त विरासत में मिली अवधारणाओं की एक प्रणाली जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन के बारे में अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को संवाद, कायम और विकसित करते हैं।

अयोध्या का विकास धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हो रहा है, यह विदेशी तथा देशज दोनों ही प्रकार के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शहर के भीतर धार्मिक पर्यटन की थीम का विस्तार करना शहर के भौतिक और आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद होगा। धार्मिक पर्यटन धार्मिक महत्व के स्थानों या तीर्थ स्थलों की यात्रा के समकालीन पैटर्न को संदर्भित करता है जहां आगंतुक धार्मिक जरूरतों और मनोरंजक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं (*Rinschede, 1992; Shinde, 2007b*)। धार्मिक पर्यटन तीर्थयात्रा में देखे जाने वाले धार्मिक पहलू और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के पर्यटन पहलू को दर्शाता है और इसमें नियमित वातावरण से दूर परिवर्तन शामिल है। **टर्नर** द्वारा वर्ष **1978** में लिखी पुस्तक 'The Tourism In Religious and Heritage City' के अनुसार पर्यटन में तीन प्रमुख तत्व शामिल हैं: प्रेरणा, यात्रा और गंतव्य। इस संरचना के आधार पर, जब एक यात्रा में आध्यात्मिक या धार्मिक पूर्ति के लिए प्रेरणा के साथ एक विशेष रूप से धार्मिक चरित्र होता है, तो एक आगंतुक को तीर्थयात्री माना जाता है; इसलिए, उस क्षेत्र से जुड़े व्यवहारों की अधिक तीव्रता और आवृत्ति है: धार्मिक संरचनाओं में रात भर रहना, धार्मिक सेवाओं, समारोहों और अनुष्ठानों में भागीदारी। हालांकि, यह उन यात्रियों के लिए सच नहीं हो सकता है जो धार्मिक और गैर-धार्मिक उद्देश्यों के संयोजन से प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा "तमाशा" पहलुओं और उपभोग के अभ्यास रूपों का अनुभव करना है जो एक तीर्थयात्री की विशिष्ट छवि में अनुपस्थित हैं (*Cohen, 1992*)। इस प्रकार, एक धार्मिक मकसद की विशिष्टता और तीव्रता एक पवित्र स्थान के आगंतुक को पर्यटक की तुलना में अधिक तीर्थयात्री अथवा तीर्थयात्री की तुलना में पर्यटक के रूप में मानने में मदद कर सकती है। (*Smith, 19*)

यात्रा एक जटिल आंतरिक प्रक्रिया और उसके बाहरी परिवर्तन दोनों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक तीर्थयात्री को पवित्र के करीब लाती है और इसलिए, अपने आप में एक धार्मिक संस्कार है और एक गंतव्य पर आगमन पर पूरा होने वाले पवित्र के उत्सव का एक अभिन्न अंग है। यात्रा का अर्थ अपने दैनिक अस्तित्व से और "विनियमित और संगठित कार्य" से अलग होना भी है (*Urry, 1995, p. 129*)। तीर्थ यात्रा में गंतव्य एक "बाहरी स्थान है जिसमें आसन्न और पारलौकिक एक जटिल आध्यात्मिक यात्रा घटना बनाते हैं" (*Singh, 2006, p. 220*)। इसका अर्थ अंतिम क्षण भी है जहां तीर्थयात्री संस्कारों और समारोहों का उपयोग करके "ईश्वर को देखने और देखे जाने" के उद्देश्य तक पहुंचता है (*Shinde, 2007a, p. 343*)।

धार्मिक पर्यटन की संरचना (प्रेरणा, यात्रा और गंतव्य) से जुड़ा स्पेक्ट्रम शहर के आर्थिक विकास को सार्थक तरीके से समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस प्रकार उस दिशा में प्रस्ताव दिये जा सकते हैं जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे तथा इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहित करे।

दृष्टि को न केवल भौतिक विकास को प्रतिबिंबित करना चाहिए, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव स्थिरता के स्तंभ भी हैं। अयोध्या, भारत के 7 मोक्षदायिनी स्थलों में से एक है। अयोध्या प्राकृतिक धरोहर सरयू नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयोध्या को राजा मनु (मानव जाति के हिंदू पूर्वज) द्वारा बसाया गया था, और विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया था। अयोध्या प्रसिद्ध शहरों में से एक था और प्राचीन भारत के सोलह महाजनपदों में शक्तिशाली कोशल की पहली राजधानी थी। अयोध्या की यह ऐतिहासिक विशेषता इसे धार्मिक पर्यटन का गंतव्य बनाती है और धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास की अच्छी संभावना है। साथ ही प्राकृतिक विरासत पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सरयू नदी या प्राकृतिक पर्यावरण जैसी प्राकृतिक विरासत पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टि तैयार की जाती है जो शहर की वास्तविक विशेषताओं को सही ठहराएगी।

8.1 दृष्टि

सांस्कृतिक पहलुओं को अक्षुण्ण बनाए रखना और शहर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना

अयोध्या शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने की उच्च क्षमता है और इसके विशेष सांस्कृतिक वातावरण के कारण धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन का विकास संभव है। धार्मिक पर्यटन लोगों को एक पवित्र स्थान से व्यक्तिगत रूप से और गहरा जोड़ता है, उन्हें चिंता से मुक्त महसूस कराता है, जीवन में शांति और अर्थ खोजने में मदद करता है। धार्मिक पर्यटन एक अद्वितीय प्रकार के संज्ञानात्मक पर्यटन के रूप में कार्य करता है जो यात्रियों के हितों को संतुष्ट करता है और उन्हें धार्मिक पंथों, कर्मकांडों और संस्कारों की प्रक्रिया से गुजरने, उनका पालन करने और उनके साथ रहने का अवसर देता है। धार्मिक पर्यटन में आमतौर पर धार्मिक संस्थानों का अवलोकन, संप्रदायों के प्रदर्शन के साथ-साथ संग्रहालयों और प्रदर्शनियों का दौरा शामिल होता है। यह शहर हर साल विशेष रूप से रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

8.2 उद्देश्य

1. शहर में धार्मिक और सतत पर्यटन का विकास करना।

2. स्थानीय बाजार के विकास को उच्चस्तरीय बनाया जाना।

धार्मिक पर्यटन को फलने-फूलने के लिए ऐसे क्षेत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है जो स्थानीय बाजार के विकास को बढ़ाने में मदद करें। पर्यटकों द्वारा स्थानीय बाजारों का दौरा किया जाता है क्योंकि यह उन्हें किसी विशेष स्थान की स्थानीय और प्रामाणिक सामग्री प्रदान करता है। इसलिए अयोध्या में स्थानीय बाजारों की मदद से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय बाजार के विकास को बनाए रखने से शहर में पर्यटन को बनाए रखने में मदद मिलती है।

3. आगंतुक के अनुभव को बढ़ाना

आगंतुकों के अनुभव के साथ किसी भी पर्यटन स्थल का मूल्य बढ़ जाता है। जब भी आगंतुक किसी स्थान पर पहुंचते हैं, तो वे इसकी संस्कृति के साथ-साथ क्षेत्र की मौलिकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार, क्षेत्र का विस्तार एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह आगंतुकों को फिर से उस स्थान पर जाने का आग्रह करता है और यदि वे स्वयं का एक अच्छा अनुभव इकट्ठा करते हैं तो वे अधिक लोगों को गंतव्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

4. समुदाय आधारित पर्यटन

पर्यटन विकास में स्थानीय लोगों को शामिल करने से एक अतिरिक्त लाभ है कि इससे स्थानीय निवासी पर्यटकों का स्वागत करने में मदद करेंगे और साथ ही, उनके लिए रोजगार के विभिन्न अवसर भी उपलब्ध होंगे। स्थानीय लोग होम स्टे की सुविधा और स्थानीय भोजन का अनुभव प्रदान करके पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय लोगों का विकास एक साथ किया जा सकता है। सूचना एवं सुविधा के लिए पर्यटन सुविधा केन्द्र का विकास।

5. सरयू नदी की पवित्रता की रक्षा, संरक्षण और वृद्धि करना।

- घाटों का विकास और नदी के किनारे का विकास ।
- कचरा निपटान नदी के किनारे से स्थानांतरित किया जाना है।
- घाट क्षेत्र का सौंदर्यकरण।

6. भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास करना और भविष्य के विस्तार के लिए भूमि आरक्षित करना।

- अनुमानित जनसंख्या और मौजूदा मांगों के अनुसार बुनियादी ढांचे की आवश्यकता ।
- भविष्य के विस्तार के लिए प्राधिकरण द्वारा आरक्षित भूमि की पहचान।

7. शहरी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना।

- आवास के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करना और शहरी गरीबों के लिए आवास विकसित करना।

8. सड़क चौड़ीकरण, रिंग रोड, पार्किंग स्थल के विकास और परिवहन के वैकल्पिक साधनों की मदद से यातायात और संबंधित मुद्दों को कम करना।

- व्यस्त सड़कों और जंक्शनों की पहचान करने के लिए ।
- प्रमुख सड़कों पर यातायात के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए ।
- सड़क चौड़ीकरण और हरी पट्टी का प्रस्ताव करना।
- यातायात के मुद्दों को कम करने के लिए ओवर ब्रिज का प्रस्ताव करना।
- बड़े पैमाने पर परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग स्थल की पहचान करें।

9. खुले क्षेत्र उपलब्ध कराना।

- पार्क और खुले स्थान उपलब्ध कराने के लिए ।
- अच्छे स्वास्थ्य के लिए खुली जगह प्रस्तावित किया जाना ।
- हरित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ।

यह अध्याय वर्ष 2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या हेतु आवश्यक अवस्थापनाओं का आगणन करती है । इसमें URDPFI दिशानिर्देश एवं उत्तर प्रदेश के भवन निर्माण एवं उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के अनुसार आवश्यक भौतिक अवस्थापना सुविधाओं तथा उपलब्ध अवस्थापन सुविधाओं का अध्ययन किया गया है ।

9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसँख्या प्रक्षेपण

शहर की उचित विकास दिशा को समझने के लिए जनसँख्या प्रक्षेपण की आवश्यकता है। यह निर्धारित अवधि के लिए प्राधिकरण की अनुमानित जनसँख्या पर आधारित है। शहर की जनसँख्या में परिवर्तन को निर्धारित अवधि के अंत में जनसँख्या को ध्यान में रखते हुए संरक्षित किया जाना चाहिए। जनसँख्या का अनुमान अंकगणित वृद्धि विधि, ज्यामितीय माध्य विधि, चित्रमय और वृद्धिशील वृद्धि विधि का उपयोग करके किया गया है।

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2021 और 2031 के लिए जनसँख्या अनुमान दर्शाती है; 41 गाँवों को मिलाकर अयोध्या विकास क्षेत्र की जनसँख्या को अंकगणित वृद्धि विधि, ज्यामितीय वृद्धि विधि, वृद्धिशील वृद्धि विधि एवं ग्राफ़िकल विधियों का उपयोग करके अनुमानित किया गया है और उपयोग की जाने वाली सभी विधियों का औसत माना जाता है।

तालिका 9-1 अयोध्या विकास क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का प्रक्षेपण

क्रमांक	विधि	जनसँख्या प्रक्षेपण अयोध्या शहरी क्षेत्र (औसत जनसँख्या)					
		1981	1991	2001	2011	2021	2031
1	अंकगणित वृद्धि विधि	132373	165,079	194,122	331062	397292	463521
2	ज्यामितीय वृद्धि विधि						
	औसत	132373	165,079	194,122	331062	455590	626959
	अधिकतम	132373	165,079	194,122	331062	564604	962894
	न्यूनतम	132373	165,079	194,122	331062	389307	457799
3	वृद्धिशील वृद्धि विधि	132373	165,079	194,122	331062	426381	521700
	ग्राफ़िकल विधि	132373	165,079	194,122	331062	442938	554815
	जनसँख्या प्रक्षेपण					443288	6,00,665
	24 शहरीकरण योग्य गाँव						93,541
	अस्थायी जनसँख्या						3,50,000
	प्रवासी						1,50,000
	2031 में कुल जनसँख्या						11,94,206

अयोध्या विकास क्षेत्र में प्रवासी आबादी की गणना अयोध्या विकास क्षेत्र में चल रही परियोजना और आगामी परियोजनाओं के आधार पर की जाती है। विकास क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं :-

1. राम मंदिर का निर्माण
2. विभिन्न स्थानों पर पांच ओवर ब्रिज का निर्माण
3. भूमिगत जल निकासी परियोजना
4. रिवर फ्रंट और बांध का विकास
5. परिक्रमा मार्ग का विकास
6. शहर में सड़कों का विकास
7. पर्यटक सुविधाओं का विकास
8. हवाई अड्डे का विकास
9. अयोध्या विज़न डॉक्यूमेंट-2047 में चिह्नित परियोजनाएँ
10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना

निकट भविष्य में शहर में भारी निवेश की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल मजदूर आकर्षित होंगे। यह अंतरराष्ट्रीय आकर्षण स्थल होगा जहां निजी ऑपरेटर द्वारा बहुत सारी आवास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आगामी दशक हेतु जनसंख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। वर्तमान में अयोध्या नगर की फ्लोटिंग जनसंख्या मात्र दिवस अवधि में ही रुकती है जिसे कुछ अधिक दिवस अवधि तक रोके जाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।

अयोध्या विकास क्षेत्र की समान आबादी के प्रवास एवं प्रवाह का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

अयोध्या विकास क्षेत्र की जनसंख्या 2031 में लगभग 11.94 लाख होने की उम्मीद है। ऐसे 24 गाँव हैं जो विकास की सीमाओं के भीतर हैं इसलिए वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए इन गाँवों की जनसंख्या प्रक्षेपण भी करने की आवश्यकता है। 2031 में बढ़ती आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नीचे दी गई तालिका 24 गाँवों की जनसंख्या प्रक्षेपण दिखाती है जो अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना सीमा के भीतर हैं और ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा हैं।

यह जनसंख्या शहरीकरण योग्य ग्रामीण जनसंख्या है।

तालिका 9-2 गाँवों का जनसंख्या प्रक्षेपण

क्रमांक	विधियाँ	जनसंख्या प्रक्षेपण ग्रामीण क्षेत्र				
		1991	2001	2011	2021	2031
1	अंकगणित वृद्धि विधि	35421	49224	57272	76363	95453
2	ज्यामितीय वृद्धि विधि					
	औसत	35421	49224	57272	67833	80341

क्रमांक	विधियाँ	जनसंख्या प्रक्षेपण ग्रामीण क्षेत्र				
		1991	2001	2011	2021	2031
	अधिकतम	35421	49224	57272	79590	110605
	न्यूनतम	35421	49224	57272	66636	77531
3	वृद्धिशील वृद्धि विधि	35421	49224	57272	79045	100819
	ग्राफिकल विधि	35421	49224	57272	74000	96500
	जनसंख्या प्रक्षेपण औसत				73911	93541

अयोध्या विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 2031 तक 93,541 होने की उम्मीद है। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए सभी अनुमानों की गणना करने की आवश्यकता है क्योंकि ये गाँव संभावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र हैं।

तालिका 9-3 अयोध्या विकास क्षेत्र का जनसंख्या प्रक्षेपण

जनसंख्या / औसत जनसंख्या	वर्ष		
	2011	2021	2031
	3,88,334	517119	1194206

इस प्रकार, अयोध्या विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या वर्ष 2031 में लगभग 12.00 लाख होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए सभी अनुमानों की गणना जनसंख्या अनुमानों के अनुसार की जानी चाहिए।

9.2 जनसंख्या घनत्व

2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या विकास क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 139 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। विकसित क्षेत्र 2800 हेक्टेयर माना जाता है। जनसंख्या अनुमान के अनुसार जनसंख्या घनत्व 125 प्रति हेक्टेयर माना जाता है क्योंकि यह शहर मध्यम शहर- II (URDPFI दिशानिर्देश के अनुसार) की श्रेणी में आता है।


9.3 जनसंख्या वृद्धि दर

जनसंख्या वृद्धि दर शहर के विकास पैटर्न को दर्शाती है जो हमें अन्य सभी चीजों के संबंध में विकास की दिशा में संकेत प्रदान करती है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर जनसंख्या घनत्व में प्रवृत्तियों का सारांश पैरामीटर है। यह बताता है कि घनत्व और बहुतायत बढ़ रही है, या घट रही है और कितनी तेजी से बदल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या विकास क्षेत्र की वृद्धि दर 59.58% है। हालांकि, अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 2031 में अयोध्या विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित वृद्धि दर 45.11 प्रतिशत है। नीचे अयोध्या विकास क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाया गया है। 2031 की प्रस्तावित जनसंख्या की वृद्धि दर के लिए अस्थायी जनसंख्या को 2031 की कुल जनसंख्या से छूट दी गई है क्योंकि अस्थायी जनसंख्या को पर्यटक प्रवाह के रूप में माना जाता है।

तालिका 9-4 जनसंख्या वृद्धि दर

अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र					
	1991	2001	2011	2021	2031
वृद्धि दर (%)		21.36	59.58(41 गाँव जोड़े गए)	33.20	45.11

स्रोत: भारत की जनगणना 2011



ग्राफ 9-1 जनसंख्या वृद्धि दर

जनसंख्या वृद्धि दर के उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है की 2001 से वर्ष 2011 के मध्य अयोध्या की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई थी एवं आगामी वर्षों में वृद्धि दर धीमी रही है। प्रक्षेपित जनसंख्या आगणन के अनुसार अयोध्या विकास क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2031 में लगभग 39% होने की संभावना है।


9.4 प्रवासन

2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या शहर में प्रवासियों की कुल संख्या 64727 है जिसमें से 40% (26149) पुरुष और 60% (38578) महिलाएं हैं।

तालिका 9-5 महिला बनाम पुरुष प्रवासी

नगर का नाम	2001			2011		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
अयोध्या	44109	20480	23629	64727	26149	38578

स्रोत : भारत की जनगणना 2001 और 2011




ग्राफ 9-2 प्रवासी

तालिका 9-6 प्रवासन का कारण

शहर का नाम	प्रवासन का कारण						
	रोजगार	व्यापार	शिक्षा	शादी	जन्म के उपरांत प्रवास	पारिवार सहित प्रवास	अन्य
अयोध्या	5090	568	742	20873	3640	12226	21588

प्रवासन के कारण



चार्ट 9-1 प्रवासन के कारण

स्रोत : भारत की जनगणना 2001 और 2011

उपरोक्त आंकड़ों से देखा गया है कि 2001 की तुलना में 2011 में अयोध्या के शहरी क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों ने प्रवास किया है। विवाह के कारण पलायन करने वाले लोगों की अधिकतम संख्या (32%), रोजगार के कारण स्थानांतरित हुए लोगों की संख्या 8% है। व्यवसाय के लिए 1% इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि अयोध्या में आर्थिक अवसरों की कमी है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

9.5 आवास प्रक्षेपण

विकास क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक परिवार हेतु आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवास मांग की गणना की गई है जो वर्ष 2031 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या पर आधारित है। आवास मांग की गणना हेतु परिवार के औसत सदस्यों की संख्या छः मानी गई है। आवास मांग की गणना निम्नांकित तालिका में प्रस्तुत की गई है :-

तालिका 9-7 अयोध्या विकास क्षेत्र में मौजूदा आवास की कमी

शहरी क्षेत्र का आवास						
वर्ष	जनसंख्या	विद्यमान	खराब स्थिति	उपलब्ध	आवश्यकता	शॉर्टेज
1991	165079	26375	1582	24793	33016	8223
2001	194122	30703	1842	28861	38824	9963
2011	331062	38176	2290	35886	66212	30326
2021	378404	38176	5315	35886	75680	42809
2031	1194206	238841			202955	202955

	प्रतिशत	आवासी मांग	क्षेत्र प्रति HH (स्क्वायर मीटर)	इकाई	क्षेत्र प्रति HH (हेक्टेर)	आवासीय क्षेत्र (हेक्टेर)
EWS	30	60887	50	1	0.005	304.435
LIG	30	60887	100	1	0.01	608.87
MIG	20	40591	200	1	0.02	811.82
HIG	20	40591	275	1	0.0275	1116.253
Total	100	202955				2841.378

स्रोत : भारत की जनगणना 2001 और 2011

उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में 202955 घरों की कमी है और वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में 9996 घरों की कमी है और इस कमी को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि 2031 में जनसंख्या में वृद्धि होगी।

वर्ष 2031 के लिए आवास की आवश्यकता की गणना के लिए अंकगणित माध्य प्रगति पद्धति का उपयोग किया जाता है और जनसंख्या अनुमान के अनुसार आवास की आवश्यकता की गणना की गई है। 2031 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 202955 घरों की आवश्यकता है एवं इस हेतु 2841.37 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ।

9.6 अयोध्या विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता

अयोध्या शहर में पानी की आपूर्ति में 10 एम.एल.डी. की कमी है, इसलिए शहरी क्षेत्र में दिशानिर्देशों के अनुसार 135 एलपीसीडी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। इसलिए, 2031 में 10.99 लाख की आबादी के लिए आवश्यक जल आपूर्ति की गणना नीचे दी गई तालिका में की गई है। एमओईएफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 135 एलपीसीडी में से 90 लीटर ताजा आपूर्ति की जानी है और 45 लीटर उपचारित पानी प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति के लिए माना जाता है।

तालिका 9-8 अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए प्रक्षेपित जल आपूर्ति आवश्यकता

क्रमांक	अनुमानित जलापूर्ति	2021	2031	Unit
1	जलापूर्ति की मात्र	34.06	107.47	MLD
2	उन्नत जलाशय सेवा	6000		KL
3	भूमिगत नाबदान	12000		KL

स्रोत: URDPFI दिशानिर्देश 2014

इसलिए, वर्ष 2031 में पानी की आपूर्ति की आवश्यकता 107.47 एमएलडी होगी। 489 एमएलडी की भूमिगत नाबदान क्षमता के साथ आवश्यक ओवरहेड टैंक 244 एमएलडी है।

9.7 वर्षा जल निकासी

वर्षा जल निकासी प्रणाली को जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा से प्राप्त होने वाले समस्त जल को संग्रहित करने एवं जल के अपवाह (run-off) को काम करने वाला होना चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्र में सड़कों पर जल भराव को रोक जा सके तथा खुले क्षेत्र में भू जल संचयन को बढ़ावा दिया जा सके। जल निकासी प्रणाली को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो वर्षा की तीव्रता और आकार, स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार, विन्यास और जलग्रहण क्षेत्र के भूमि उपयोग पर निर्भर हो।



अयोध्या में स्थायी वर्षा जल संग्रह प्रणाली को अपनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ न केवल बारिश के पानी को संग्रहित करने में मदद करेगा बल्कि यह शहर को एक विशिष्ट पहचान देगा। ग्रेटेड ड्रेन या ट्रेंच को सड़क के किनारों पर लगाना सस्टेनेबल सिस्टम्स का एक विकल्प है।

ट्रेंच ड्रेन स्लोपड और नॉन स्लोपड दोनों डिजाइनों में उपलब्ध हैं। जब ट्रेंच ड्रेन उस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ ढलान पहले से मौजूद है, तो समान प्रदर्शन को शुद्ध करने के लिए एक तटस्थ या छोटे नाली डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है। यदि बहुत अधिक ढलान मौजूद है, तो लहर प्रभाव या नाली आउटलेट सीमाओं के कारण बाढ़ आ सकती है।

पानी को आसानी से या तो सीवर पाइप में डाला जा सकता है या इसे एक टैंक में एकत्र किया जा सकता है और प्राकृतिक जल निकायों या कुंड में बहाया जा सकता है। ट्रेंच ड्रेन का एक उदाहरण चित्र में दिखाया गया है।

9.8 सीवेज

वर्तमान में 12 एमएलडी की क्षमता वाला एक उपचार संयंत्र है जो केवल अयोध्या क्षेत्र की 1,11,000 आबादी के लिए पर्याप्त है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ सीवेज उपचार संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। 2031 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 109.95 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता होगी। अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। मलजल उपचार स्थलों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

9.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में ठोस कचरे को एकत्र कर डंप किया जाता है। लेकिन ठोस कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग करने का कोई तरीका नहीं है। पवित्र शहर अयोध्या के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के निर्माण के दौरान इन पर विस्तृत रूप से काम किया जा सकता है। URDPFI 2014 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2031 तक ठोस कचरे का अनुमानित उत्पादन नीचे दिखाया गया है।

ग्राम बीकापुर में 133.67 वर्ग क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु नई साइट की पहचान की गई है। इस प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

अयोध्या विकास क्षेत्र में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पादन

नीचे अनुमानित जनसंख्या के अनुसार ठोस अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है।

तालिका 9-9 अयोध्या विकास क्षेत्र में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पादन

क्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन		
		2021	2031	इकाई
1	आवासीय	113521	358261	किलो/दिन
2	व्यावसायिक	37840	119420	किलो/दिन
3	सड़क सफाई	18920	59700	किलो/दिन
4	संस्थागत	18920	59700	किलो/दिन
	कुल	189201	597081	किलो/दिन

स्रोत: URDPFI दिशानिर्देश 2014

9.10 बिजली

9.10.1 बिजली के लिए प्रक्षेपण

तालिका 9-10 अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए बिजली की मांग

सुविधा	मानक			2011	2020	2031	अंतर		
				3883	51711	11942			
				34	9	06			
बिजली सब स्टेशन	जनसंख्या	क्षेत्र	इकाई	संख्या.	संख्या.	संख्या.	संख्या	क्षेत्र	इकाई
11 केवीए	15000	500	स्क्वायर मीटर	26	34	80	45	22566.9	स्क्वायर मीटर
33 केवीए		0.4	हेक्टेर				0	0	हेक्टेर
66 केवीए	50000	0.61	हेक्टेर	8	10	24	14	8.2594854	हेक्टेर
132 केवीए		2.02	हेक्टेर				0	0	हेक्टेर
220 केवीए	500000	4.04	हेक्टेर	0	1	2	1	5.47021656	हेक्टेर

Source: Building Bylaws of Uttar Pradesh 2018

9.11 डाकघर और संचार के लिए आवश्यकताएँ

मानदंडों के अनुसार मौजूदा आबादी हेतु 12 टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता है, जबकि अयोध्या में पहले से ही 7 टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाएं हैं। इसके अलावा, मानदंडों के अनुसार आवश्यक डाकघरों की संख्या 119 है लेकिन शहर में केवल 1 प्रधान डाकघर एवं 52 उप डाकघर उपलब्ध है। इस प्रकार, शहर में 68 डाकघर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

9.11.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में डाकघर और संचार के लिए अनुमान

तालिका 9-11 अयोध्या में डाकघर और संचार की मांग

पोस्ट और संचार	जनसंख्या	क्षेत्रफल	इकाई	2011	2020	2031	अंतर		
				(3883 34)	(5171 19)	(1194 206)	संख्या	क्षेत्रफल	इकाई
उप डाक कार्यालय	1000 0	100	स्क्वायर मीटर	39	52	119	68	6770. 07	स्क्वायर मीटर
टेलीफोन विनिमय	1000 00	400 0	स्क्वायर मीटर	4	5	12	7	2708 0.28	स्क्वायर मीटर
पुलिस स्टेशन (कार्यकर्ता आवासीय)	5000 0	400 0	स्क्वायर मीटर	8	10	24	14	5416 0.56	स्क्वायर मीटर
पुलिस चौकी (कार्यकर्ता आवासीय)	1500 0	150 0	स्क्वायर मीटर	26	34	80	45	6770 0.7	स्क्वायर मीटर
आग स्टेशन (कार्यकर्ता आवासीय)	2000 00	800 0	स्क्वायर मीटर	2	3	6	3	2708 0.28	स्क्वायर मीटर
ई-सुविधा केंद्र	1500 0	50	स्क्वायर मीटर	26	34	80	45	2256. 69	स्क्वायर मीटर

स्रोत: उत्तर प्रदेश के भवन उपनियम 2018

इस प्रकार, अयोध्या विकास क्षेत्र के जनसंख्या अनुमान के अनुसार 2031 में आवश्यक उप डाकघरों की संख्या 119 होगी और आवश्यक टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या 12 होगी।

9.12 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

नीचे दिखाई गई प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाएं वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या अनुमान पर आधारित हैं, आवश्यकता बढ़ या घट सकती है, इसलिए प्रावधान तदनुसार दिए जाने चाहिए और प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधित करके सुधार किया जाना चाहिए।

9.12.1 अयोध्या में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान

तालिका 9-12 अयोध्या विकास क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान

सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति	आवश्यकता (2031)	अंतर		
				388334	517119	1194206			
शिक्षा सुविधा	जनसंख्या	क्षेत्रफल	इकाई	संख्या.	संख्या.	संख्या.	संख्या	क्षेत्रफल	इकाई
नर्सरी स्कूल	2500	500	स्क्वायर मीटर	155	207	478	271	135500	स्क्वायर मीटर
प्राथमिक विद्यालय	5000	1000	स्क्वायर मीटर	78	103	239	135	135500	स्क्वायर मीटर
जूनियर हाई स्कूल	7500	2000	स्क्वायर मीटर	52	69	159	90	180000	स्क्वायर मीटर
इन्टर कॉलेज	10000	4000	स्क्वायर मीटर	39	52	119	68	272000	स्क्वायर मीटर
डिग्री कॉलेज	80000	5000	स्क्वायर मीटर	5	6	15	8	40000	स्क्वायर मीटर
इंजीनियरिंग कॉलेज	1000000	4	हेक्टेर	0	1	1	1	4	हेक्टेर
मेडिकल कॉलेज	1000000	10	हेक्टेर	0	1	1	1	10	हेक्टेर
डेंटल कॉलेज	1000000	2	हेक्टेर	0	1	1	1	2	हेक्टेर
आंगनवाड़ी	5000	250	स्क्वायर मीटर	78	103	239	135	33750	स्क्वायर मीटर

स्रोत: उत्तर प्रदेश के भवन उपनियम 2018

9.13 स्वास्थ्य सुविधाएं

अयोध्या शहर में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। वर्ष 2031 की जनसंख्या के लिए आवश्यकताओं को नीचे प्रदर्शित किया गया है।

9.13.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

- जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर अयोध्या शहर की 1099472 की आबादी के लिए आवश्यक बिस्तरों की संख्या है:
 - प्रति वर्ष दिनों में बिस्तरों की संख्या : $1099472 \times 0.02 \times 5 = 109947$
 - 100% अधिभोग के साथ आवश्यक बिस्तरों की संख्या...: $109947/365 = 301$
 - 80% अधिभोग के साथ आवश्यक बिस्तरों की संख्या : $301 \times 0.8 = 241$

अयोध्या में वर्ष 2031 तक आवश्यक बिस्तरों की संख्या लगभग 301 है। हालांकि, महामारी जैसी स्थितियों में आपसी मदद से बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

मानकों के अनुसार सामान्य और मध्यवर्ती अस्पतालों और नर्सिंग होम की आवश्यक संख्या को योजना क्षेत्र में विभिन्न सुविधा केंद्रों में वितरित किया जाएगा जैसा कि निम्नांकित तालिका में दिखाया गया है ;

तालिका 9-13 अयोध्या विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

क्रमांक	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	2021	2031	क्षेत्रफल
1	औषधालय	29	73	2000 स्क्वायर मीटर (800*25)
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण और प्रसूति केंद्र (23-30 बिस्तर)	0	1	18000 2000 स्क्वायर मीटर (2000*9)
3	मल्टी स्पेशैलिटी अस्पताल (एनबीसी के अनुसार)	4	11	9 हेक्टेर का क्षेत्रफल अस्पताल –6 हेक्टेर, निवास स्थान का क्षेत्रफल –3 हेक्टेर
4	स्पेशैलिटी अस्पताल (एनबीसी के अनुसार)	4	11	3.70 हेक्टेर
5	सामान्य अस्पताल (एनबीसी के अनुसार)	2	4	6 हेक्टेर
6	परिवार कल्याण केंद्र	9	22	500-800 स्क्वायर मीटर
8	नैदानिक केंद्र	9	22	500-800 स्क्वायर मीटर
9	पशु चिकित्सालय	1	2	20000 स्क्वायर मीटर

स्रोत: URDPFI दिशानिर्देश 2014

9.14 मनोरंजक सुविधाएं

यद्यपि अयोध्या शहर में छोटे पार्क और खुले स्थान हैं, लेकिन इन स्थानों को मनोरंजन और पर्यटन के उद्देश्य से सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है।

9.14.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण

तालिका 9-14 अयोध्या विकास क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाओं की आवश्यकता

खेल सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति	आवश्यकता (2031)	अंतर		
	जनसंख्या	संख्या	इकाई	388384	517199	1194206	संख्या	क्षेत्रफल	इकाई
				संख्या	संख्या.	संख्या.			
शहरी खेल क्षेत्र	1000000	20	हेक्टेर	0	1	1	1	20	हेक्टेर
क्षेत्रीय खेल क्षेत्र	100000	8	हेक्टेर	4	5	12	7	56	हेक्टेर
आस-पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	हेक्टेर	26	34	80	45	67.5	हेक्टेर
आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	500	स्क्वायर मीटर	78	103	239	135	675000	स्क्वायर मीटर

स्रोत: उत्तर प्रदेश के भवन उपनियम 2018

9.15 सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं

9.15.1 अयोध्या विकास क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण

तालिका 9-15 अयोध्या विकास क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सुविधाएं

क्रमांक	वर्ग	2021	2031	क्षेत्रफल
1	आंगनवाड़ी-आवास क्षेत्र/गुच्छा	88	220	19000 स्क्वायर मीटर
2	सामुदायिक कक्ष	88	220	750 स्क्वायर मीटर
3	सामुदायिक हाल और पुस्तकालय	29	73	
4	मनोरंजक क्लब	4	11	15000 स्क्वायर मीटर
5	संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	4	11	1000 स्क्वायर मीटर

6	ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	4	11	5000 स्क्वायर मीटर
7	वृद्धाश्रम	1	2	अधिकतम 1000 स्क्वायर मीटर भूमि की उपलब्धता

स्रोत: URDPFI 2014

9.16 फायर स्टेशन

9.16.1 अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण

तालिका 9-16 अयोध्या विकास कसेटर में अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता

वर्ष	जनसंख्या	अग्निशमन केंद्र की संख्या
2011	388334	1
2021	625250	2
2031	1194206	3

स्रोत: उत्तर प्रदेश के भवन उपनियम 2018

नियमों के अनुसार दमकल केंद्र आपदा स्थल तक आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह पाया गया है कि, अयोध्या शहर में 3 फायर स्टेशनों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत एक फायर स्टेशन विद्यमान है तथा द्वितीय फायर स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है।

10 भू-उपयोग प्रस्ताव

विकास क्षेत्र वर्ष 2031 के लिए तैयार किया गया है। महायोजना में भौतिक, आर्थिक और सामुदायिक पहलुओं को संतुलित तरीके से विकसित करने की कोशिश की गयी है। चूंकि शहर में प्रबल धार्मिक पर्यटन क्षमता है, अतएव प्रस्ताव तदनुसार ही किये गये हैं।



यह योजना अयोध्या और इसके पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के प्रयास का है। अयोध्या के पर्यटन बसावट प्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे और नगर नियोजन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है।

10.1 विकास क्षेत्र की विकास दिशा

विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए यह देखा गया है कि विकास क्षेत्र प्रमुख तीन दिशाओं में बढ़ रहा है अर्थात् लखनऊ रोड की ओर, रायबरेली और सुल्तानपुर रोड की ओर और अंबेडकरनगर रोड की ओर। लखनऊ सड़क पर औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक और संस्थागत विकास हावी है। रायबरेली रोड मिक्स पर समय के साथ मिश्रित भू-उपयोग और आवासीय विकास हुआ। अम्बेडकर नगर रोड पर मिश्रित भूमि उपयोग और आवासीय विकास हुआ। हवाई अड्डे के 200 मीटर नियंत्रण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र प्रस्तावित है। अयोध्या विकास क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर 873 वर्ग किमी कर दिया गया है। अयोध्या को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किए जाने की परीकल्पना अयोध्या विज़न डॉक्यूमेंट 2047 के अंतर्गत की गई है। अयोध्या में भविष्य में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति दिन श्रद्धालु/ इन माइग्रैण्ट्स का आना प्रोजेक्ट किया गया है। अयोध्या को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किए जाने तथा भविष्य में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों एवं जन सामान्य की सुविधाओं हेतु अधिक मात्रा में होटल, धरमशालाएं, अस्पताल, पार्किंग सुविधाएं, आवासीय परियोजनाएं आदि की आवश्यकता होगी। उक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से और सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से अर्बनाइज़ेबल क्षेत्र अर्थात् अर्बन भू-उपयोग में वृद्धि प्रस्तावित की गई है जो की अयोध्या सम्पूर्ण विकास क्षेत्र (873 वर्ग किमी) का 12.85 प्रतिशत है। वर्तमान में सम्पूर्ण अयोध्या विकास क्षेत्र में से 133 वर्ग किमी की महायोजना तैयार की गई है।

10.2 भू-उपयोग और ज़ोनिंग


योजना प्रस्तावों को समझने के लिए, वर्तमान भू-उपयोग के साथ प्रस्तावित भू-उपयोग की तुलना करना आवश्यक है। इस योजना में इस स्थान की विशिष्ट विशेषताओं को मान्यता देते हुए जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार भू-उपयोग में वृद्धि की गई है जो तीर्थाटन गतिविधि की प्रबल वाणिज्यिक प्रकृति की दृष्टि से पर्यप्त है।

प्रस्तावित भू-उपयोग 2031

No	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	आवासीय	5703.85	50.83
2	व्यावसायिक	334.76	2.98
3	औद्योगिक	333.50	2.97
4	मिश्रित	84.90	0.76
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं	1095.36	9.76
6	यातायात एवं परिवहन	1714.45	15.28
7	कार्यालय	115.45	1.03
8	पार्क / खुले स्थल, मेला क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट	1840.10	16.40
		11222.38	100.00
9	कृषि	2088.46	
10	अन्य (तालाब / जलाशय, नहर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र)	170.21	
	कुल	13367.29	

तालिका 10-1 प्रस्तावित भू-उपयोग 2031

नोट :- उक्त क्षेत्रफल में कैन्टोनमेंट के क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है ।



चार्ट 10-1 प्रस्तावित भू-उपयोग 2031

10.2.1 आवासीय

शहरी आबादी के लिए आवासीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान निर्मित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र सहित, उपयुक्त स्थलों पर कुल 5703.85 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र को महायोजना में प्रस्तावित किया गया है, जो कुल शहरी प्रस्ताव के क्षेत्रफल का लगभग 50.83 % है। आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य उपयोगों का उल्लेख उपनियमों में किया गया है।

यह देखा गया है कि प्रमुख सड़कों के साथ आवासीय भू-उपयोग में, आवासीय घरों का उपयोग व्यावसायिक भवन के रूप में किया जा रहा है। रिहायशी मकानों को गैर-आवासीय उपयोग में लेने का चलन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इससे विकास प्राधिकरण के साथ-साथ नियोजित विकास को भी नुकसान हो रहा है। आवासीय मकानों के व्यावसायिक उपयोग के कारण भवन स्वामी पर्याप्त सेटबैक नहीं छोड़ते हैं जिससे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आवासीय उपयोगों में सड़क के किनारे वाणिज्यिक विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण, हमें सड़क के साथ मिश्रित भू-उपयोग के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, इस भूमि के लिए योजना विकास के लिए मुख्य सड़कों के साथ मिश्रित भू-उपयोग (बाजार स्ट्रीट) के लिए आवंटित किया गया है।

10.2.2 निर्मित क्षेत्र

अयोध्या महायोजना 2001 के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र को चिह्नित नहीं किया गया था। अपितु स्थल पर कई क्षेत्रों में घनी आबादी / निर्मित क्षेत्र के रूप में विद्यमान थे जहां पर मार्गों की चौड़ाई कम है। अयोध्या महायोजना 2031 में निर्मित क्षेत्र को चिह्नित किया गया है। नगर के निर्मित क्षेत्र में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं यथा शिक्षा, चिकित्सा तथा व्यावसायिक क्रियाएं केंद्रित हैं तथा अवशेष भाग में आवासीय क्रिया विद्यमान है। निर्मित क्षेत्र में निवास करने वाली उच्च जनसंख्या घनत्व को कम करने के उद्देश्य से नगर के बाहरी क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक सुविधाओं, मार्गों आदि का नियोजित रूप से प्राविधान किया गया है। शहर के पुराने घने निर्मित क्षेत्रों यथा रिकबगंज, चौक, महा ऋषि कश्यप (नियावाँ), महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज), राठ हवेली, गुदड़ी बाजार, खवासपुरा, रीडगंज, लालबाग, हैदरगंज, वज़ीरगंज, नेवातीपुरा, लाजपत नगर, खिड़की अली बेग, कसाब बाड़ा, दालमंडी, टकसाल, महाजनी टोला, बाल हाता, ऋषि टोला, पुरानी सब्जी मंडी, कोठा पारचा, खीर वाली गली, बहेलिया टोला, हसन कटरा, रेतिया, वैदेही नगर, बालदा, साहबगंज, बहादुरगंज, कश्मीरी मोहल्ला में सीमित मूलभूत ढांचागत सुविधाओं के दृष्टीगत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के निर्माणों को प्रतिबंधित किया गया है।

निर्मित क्षेत्र के नियोजित विकास एवं इस क्षेत्र के निवासियों हेतु स्वस्थ जीवन शैली के लिए निम्नवत प्राविधान किए जाते हैं:-

1. निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत विकास / निर्माण / पुनर्विकास / पुनर्निर्माण / जीर्णोद्धार की अनुमति ज़ोनिंग रेगुलेशन्स तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अनुमत्य की जाएगी।
2. निर्मित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर भवनों का निर्माण / पुनर्निर्माण / जीर्णोद्धार लागू फसाड गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाएगा।
3. इस क्षेत्र में काफी भवन पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं जिसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा की स्थिति में व्यापक स्तर पर विनाश की संभावना रहती है। नगर निगम द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण करा कर इस प्रकार के सभी भवनों को असुरक्षित घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी एवं इन भवनों के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. निर्मित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, मांग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण किए जाने एवं मार्गों, पार्कों, सामुदायिक सुविधाओं के उचित विकास हेतु री-डेवलपमेंट स्कीम्स तैयार कर लागू की जाएंगी।

10.2.3 व्यवसायिक

अयोध्या की भावी जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर की व्यवसायिक गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया है। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए आवश्यक व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसायिक भू उपयोग हेतु 334.76 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल महायोजना क्षेत्र का लगभग 2.98% है।

बाजार स्ट्रीट:

प्रमुख सड़कों के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए लोगों की प्रवृत्ति है, इसे ध्यान में रखते हुए विकास क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र में तथा निर्मित क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों को बाजार सड़क के रूप में चिह्नित किया गया है।

निर्मित क्षेत्र के अंदर :

- गुदड़ी बाजार से महा ऋषि कश्यप (नियावाँ)चौराहे तक ।
- महा ऋषि कश्यप (नियावाँ)चौराहे से जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज)चौराहे तक ।
- महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) कसाबबाड़ा तिराहे से जनाना अस्पताल तक ।
- महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) कसाबबाड़ा तिराहे से पुलिस लाइन तक दाहिने तरफ ।
- गुदड़ी बाजार चौराहे से साहबगंज नाला तक ।
- आँख अस्पताल तिराहे से रीडगंज चौराहे तक ।
- रीडगंज चौराहे से कोतवाली तीन दरा तक ।
- रीडगंज चौराहे से रीडगंज रेल्वे क्रॉसिंग तक ।
- महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) चौराहे से मक़बरा तिराहे तक ।
- महापुरुष श्री भामाशाह (फतेहगंज) चौराहे से कसाबबाड़ा तिराहे तक ।
- राम घाट (नया घाट) से टेढ़ी बाजार चौराहे तक ।
- अयोध्या पोस्ट ऑफिस से मातगेंड तिराहे तक ।

निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत चिह्नित बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की चौड़ाई के अनुसार मार्ग के किनारे से 15 मीटर तक (सड़क के दोनों ओर) बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य होगा । बाजार स्ट्रीट में प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्वीकृति ज़ोनिंग रेगुलेशन्स एवं बाजार स्ट्रीट हेतु भवन उपविधि में दिए गए प्रविधानों के अंतर्गत की जाएगी ।

निर्मित क्षेत्र के बाहर :

- अम्बेडकर नगर रोड पर देवकाली ट्राई जंक्शन से यश पेपर मिल तक।
- प्रयागराज रोड और अयोध्या बाईपास जंक्शन से प्रयागराज रोड पर अंबेडकर स्टेडियम तक।
- रायबरेली रोड पर अयोध्या बाईपास जंक्शन से मऊ शिवाला तक।
- लखनऊ - गोरखपुर मार्ग पर शहादतगंज हनुमान गढ़ी मंदिर से लेकर घातमपुर ग्राम की अंतिम सीमा तक ।

30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों पर प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के अंतर्गत अनुमन्य क्रियाओं की अनुमान्यता इस शर्त के साथ दी जाएगी की मार्ग के निर्माण / चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी।

निर्मित क्षेत्र के बाहर चिह्नित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखंड पर क्रियाओं की अनुमति ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भू-स्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखंड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्रगत बाजार स्ट्रीट से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया जाएगा (सड़क के दोनों ओर) । प्राधिकरण की योजनाओं / स्वीकृत लेआउट में महायोजना के प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार लेआउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे । निर्मित क्षेत्र के बाहर चिह्नित बाजार स्ट्रीट में नियमानुसार प्रभाव शुल्क आरोपित किया जाएगा।

10.2.4 औद्योगिक

वर्ष 2031 की महायोजना में अयोध्या की वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं । महायोजना 2031 में प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम माधोपुर , ग्राम खानपुर मसौधा एवं पूरा हुसैन खां में औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है । महायोजना के तहत शहर के वर्तमान औद्योगिक विकास सहित औद्योगिक विकास के लिए 333.50 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो महायोजना के कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.97 प्रतिशत है।

10.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें

मौजूदा सार्वजनिक सुविधाओं को अपरिवर्तित रखते हुए उनके विस्तार के लिए महायोजना में अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए नए क्षेत्रों के प्रस्ताव इस तरह से बनाए गए हैं कि ये सुविधाएं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध हों।

सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक श्रेणी के तहत निम्नलिखित भू-उपयोग श्रेणियों पर विचार किया जाता है: शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, अग्निशमन, डाक और संचार केंद्र, सामुदायिक सुविधाएं, संस्थागत, विद्युत, सीवेज फार्म, डंपिंग ग्राउंड और खेल का मैदान आदि।

सार्वजनिक सुविधाएं नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो किसी भी शहर के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए शहर की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पर्याप्त सुविधाओं का विकास बहुत आवश्यक है। नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमावर्ती क्षेत्र की प्रगति आदि के कारण संख्यात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने के कारण नगर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके शहर के विकास और पर्यावरण की स्थिति पर सीधा प्रभाव होता है। वर्तमान जनसंख्या विस्तार और पर्यटन स्थल होने के कारण अयोध्या में सामुदायिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। महायोजना में प्रचलित मानकों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। महायोजना(प्रारूप) -2031 में इस उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 1095.36 हेक्टेयर है, जो कि महायोजना के कुल क्षेत्रफल का 9.76 % है।

महायोजना के अंतर्गत दो स्थानों यथा बृहस्पति कुंड चौराहा (टेढ़ी बाजार चौराहा) से पोस्ट ऑफिस चौराहा से कटरा अयोध्या चौराहा के मध्य पड़ने वाले समस्त क्षेत्र तथा ब्राह्मपति कुंड चौराहा (टेढ़ी बाजार चौराहा) से

महोबरा चौराहा तक जाने वाली सड़क पर दाहिनी तरफ के क्षेत्र को धार्मिक भू उपयोग के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त चिह्नित क्षेत्रों में धार्मिक भू उपयोग से संबंधित निम्नलिखित क्रियाएं ही अनुमत्य की जाएंगी

-

1. धार्मिक प्रतिष्ठान
2. अतिथि गृह
3. आश्रम
4. धर्मशाला
5. पुलिस स्टेशन / पुलिस चौकी / अग्नि शमन केंद्र
6. योग मनन / आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केंद्र / सत्संग भवन
7. स्वास्थ्य केंद्र
8. सांस्कृतिक केंद्र
9. पर्यटक सुविधा केंद्र
10. पार्किंग स्थल
11. फुटकर दुकानें
12. भोजनालय
13. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट / ट्यूबवेल / वाटर रिज़रवायर / विद्युत केंद्र
14. बैंक / ए.टी.एम

10.2.6 यातायात एवं परिवहन

अयोध्या महायोजना(प्रारूप)-2031 के प्रस्तावित क्षेत्र में यातायात और परिवहन के सुचारू प्रवाह के लिए मौजूदा यातायात व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करते हुए शहर के भविष्य के यातायात के लिए महायोजना में एक मजबूत यातायात मार्ग संरचना का प्रस्ताव किया गया है। जिसके तहत मौजूदा मार्गों की चौड़ाई में वृद्धि और नए मार्गों के प्रस्ताव शामिल है। यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के तहत महायोजना में 1714.45 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। परिवहन में शहर और मौजूदा हवाई पट्टी आदि का क्षेत्र शामिल है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.28% है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। लखनऊ रोड, प्रयागराज रोड और अंबेडकर नगर रोड पर तीन परिवहन सुविधा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन परिवहन सुविधाओं वाले क्षेत्रों में, विभिन्न परिवहन और संबंधित गतिविधियों जैसे पार्किंग, परिवहन नगर आदि को जोड़ने के नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। लखनऊ रोड, प्रयागराज रोड और अंबेडकर नगर रोड पर तीन बस अड्डे बनाने का प्रस्ताव है। परिक्रमा के दौरान यातायात एवं तीर्थयात्रियों के खानपान के लिए चौदह कोशी परिक्रमा मार्ग 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव किया गया है और दृष्टि दस्तावेज और स्थानिक संरचना योजना के प्रस्तावों के तहत प्रक्रिया में है। अयोध्या शहर में भारी वाहनों का आवागमन वर्तमान में स्थित अयोध्या बाइपास से होता है महायोजना के अंतर्गत शहर की बाहरी परिधि में 60 मीटर चौड़ी रिंग रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। रिंग रोड का निर्माण होने के पश्चात शहर में भारी वाहनों का आवागमन वर्जित किया जाएगा तथा भारी वाहन का आवागमन रिंग रोड के माध्यम से ही होगा। अयोध्या में रेल्वे लाइन शहर के मध्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है जो की

शहर को दो हिस्सों में बाँट देती है। रेलवे लाइन के एक ओर से दूसरी ओर जाने हेतु 07 नए रेल ओवर ब्रिज प्रस्तावित किए गए हैं।

10.2.7 पार्क एवं खुले स्थल

अयोध्या महायोजना(प्रारूप)-2031 में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्क और अन्य खुले क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं। 2031 में अयोध्या की अनुमानित जनसंख्या (12 लाख) को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पार्क और खुले स्थान 1840.10 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.40% है। महायोजना(प्रारूप)-2031 में जितना संभव हो सके पार्क और खुले स्थान का प्रावधान इस तरह किया गया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसका वितरण समान हो। पार्क और खुले क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो नागरिकों को शुद्ध हवा, प्राकृतिक सुंदरता, खेल, मनोरंजन और व्यायाम के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उनका विकास आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होने के कारण, न ही सरकारी संस्थानों द्वारा इस भू-उपयोग का विकास, न ही निजी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में पार्कों और खुले क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्राविधान किया गया है की महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को शासन द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) – उपविधि , 2022 के प्रविधानों के अनुसार ट्रांसफ़रेबल डेवलपमेंट राइट्स देय होगा।

10.2.8 हरित पट्टी

महायोजना में बाइपास, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और नहर के किनारे की जमीन हरित पट्टी के लिए आरक्षित की गई है।

1. शहादत गंज से मौजूदा बायपास रोड पर राम की पैड़ी की ओर जाने वाली सड़क के शुरुआती बिंदु तक हरित पट्टी, दोनों तरफ 7.5 मीटर का प्रावधान है।
2. शहरी क्षेत्र से बाहर की सड़कों पर दोनों ओर 30 मीटर हरित पट्टी प्रस्तावित है।
3. रिंग रोड के दोनों ओर 60 मीटर की हरित पट्टिका प्रस्तावित की गई है।

10.2.9 हाईवे फैसिलिटी ज़ोन

राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र की सीमा के बाहर दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टी प्रस्तावित की गयी है। हरित पट्टी के उपरांत निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसिलिटी ज़ोन प्रस्तावित किया गया है :-

- हाईवे फैसिलिटी ज़ोन के अंतर्गत यदि कोई भूखंड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग और किसी भी चक सड़क से सटी हुई है तो उस चक सड़क के मध्य से न्यूनतम 12 मीटर (दोनों

तरफ) क्षेत्र मार्गाधिकार के अंतर्गत छोड़ने के उपरांत ही निर्माण अनुमत्य होगा। मार्गाधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

- हाईवे फैसिलिटी ज़ोन के अंतर्गत जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार क्रियाओं की अनुमत्यता प्रदान की जाएगी एवं निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उल्लिखित कृषि भू-उपयोग के प्राविधान लागू होंगे।

10.2.10 ग्रामीण आबादी

यह देखा गया है कि राजमार्गों और मुख्य मार्ग के साथ-साथ वाणिज्यिक और संस्थागत (सरकारी कार्यालयों) का विकास समय के साथ हुआ। इस प्रकार, गांवों के प्राकृतिक विकास के लिए गाँव की सीमा के आसपास की भूमि के 200 मीटर के सीमांकन को ग्रामीण आबादी विस्तार के रूप में माना जाना चाहिए। ग्रामीण आबादी में ज़ोनिंग नियमों के अनुसार विस्तार गतिविधियों की अनुमति होगी। न्यूनतम 4 मीटर सड़क पर अधिकतम 70% ग्राउंड कवरेज और 1.5 एफ.ए.आर के साथ आवासीय गतिविधियों की अनुमति होगी। गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए भवन निर्माण उपविधि के नियम लागू किए जाएंगे।

10.2.11 प्रतिबंधित ज़ोन

अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि एवं उसके आस पास के क्षेत्र को धार्मिक भू उपयोग के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें धार्मिक क्रियाओं से संबंधित आनुषांगिक क्रियाओं की अनुमत्यता महायोजना की ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार देय होगी। उक्त धार्मिक क्षेत्र एवं अयोध्या नगर की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित किए जाने हेतु श्री राम जन्म भूमि एवं उसके आस पास के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित धार्मिक भू-उपयोग की सीमा के बाहरी क्षेत्र को निम्नलिखित प्रतिबंधित ज़ोन के रूप में चिह्नित किया गया है :-

- **रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल ज़ोन (RTZ) -1**

महायोजना में श्री राम जन्म भूमि तथा उसके आस पास के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित धार्मिक भू उपयोग की सीमा के आस-पास 500 मीटर का क्षेत्र यथा रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे लाइन होते हुये अयोध्या रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुये रायगंज रोड से रानी बाजार चौराहा से होते हुये तपस्वी चौराहा से वाल्मीकि भवन होते हुये मुख्य मार्ग पर राम की पैड़ी (परिक्रमा मार्ग) के दक्षिण होते हुये लक्ष्मण घाट परिक्रमा मार्ग होते हुये साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे से होते हुये रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग तक को रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल ज़ोन (RTZ) -1 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके अंतगत धार्मिक भवनों को छोड़ कर अन्य प्रस्तावित भवनों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर तक सीमित होगी।

- **रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल ज़ोन (RTZ) - 2**

महायोजना में रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल ज़ोन (RTZ) -1 एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग यथा उदया चौराहा (पंच कोसी परिक्रमा मार्ग) होते हुये महोबरा चौराहा, तकपुरा चौराहा, मौनी बाबा, रामघाट चौराहा,

हनुमान गुफा , बाइपास मार्ग , पुराना सरयू नदी पुल के किनारे (परिक्रमा मार्ग) होते हुये राजघाट परिक्रमा मार्ग से जमथरा की तरफ 500 मीटर होते हुये उदया चौराहे तक के मध्य के क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल ज़ोन (RTZ) – 2 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके अंतगत धार्मिक भवनों को छोड़ कर अन्य प्रस्तावित भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित होगी ।


10.2.12 विविध

- अयोध्या महायोजना 2031 में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जलाशयों तथा शमशान /कब्रिस्तान/वन भूमि को दर्शाया गया है ,परंतु सभी को दर्शाया जाना संभव नहीं है । ऐसी भूमि जो राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार जलाशय, शमशान/ कब्रिस्तान/वन हैं को यदि महायोजना में किसी अन्य भू-उपयोग में दर्शाया गया है तो उनका भू उपयोग राजस्व अभिलेख में वर्णित उपयोग के अनुसार ही माना जाएगा । साथ ही यदि महायोजना में किसी भूमि को जलाशय, शमशान/ कब्रिस्तान/वन के रूप में चिह्नित किया गया है परंतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार जलाशय, शमशान/ कब्रिस्तान/वन नहीं हैं तो सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत भूमि के भू उपयोग का निर्धारण महायोजना में संदर्भित स्थल से संसक्त (adjacent) भू-उपयोग के अनुसार किया जाएगा । राजस्व अभिलेखों में दर्ज जलाशयों/नालों/वाटर चैनल के संरक्षण हेतु जलाशयों/नालों/वाटर चैनल की भूमि के 06 मीटर परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमान्य नहीं होगा ।
- अयोध्या महायोजना 2031 में शासन द्वारा स्वीकृत समस्त भू उपयोग परिवर्तनों को यथासंभव दर्शाया गया है ,परंतु सभी को दर्शाया जाना संभव नहीं है । अतएव ऐसे भू-उपयोग परिवर्तन जो शासन द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं परंतु महायोजना में दर्शाये जाने से छूट गए हैं का भू-उपयोग अधिसूचना के अनुसार ही अनुमान्य होगा । शासन द्वारा स्वीकृत किए गए भू उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का विवरण निम्नवत है :
 1. आदर्श नगर, देवकाली
 2. काशीराम आवासीय योजना, माँझा बरहटा
 3. काशीराम आवासीय योजना , माँझा जमथरा
 4. रामायणा होटल , शहनवाजपुर
 5. प्रधान मंत्री आवासीय योजना , बाग बिजेसी
- महायोजना क्षेत्र में वर्तमान में जो भी बाग विद्यमान हैं उनके स्थान पर महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग वन अधिनियम के प्राविधानों तथा संबंधित अभिकरण द्वारा जारी निर्देशों को पूर्ण करने के उपरांत ही प्रभावी होगा ।
- शुजा-उद-दौला टॉम्ब (गुलाब बाड़ी), बहु बेगम का मकबरा, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, मणि पर्वत, हाजी इकबाल टॉम्ब, बेनी खानम टॉम्ब, गुप्तार घाट मंदिर, हवेली अवध जैसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा तथा इन स्थलों पर किसी प्रकार का अन्य उपयोगार्थ निर्माण अनुमान्य नहीं होगा ।
- महायोजना के ऐसे भू-उपयोग जिन्हें पूर्व में प्रभावी महायोजना के भू-उपयोग से उच्चीकृत किया गया है, जैसे कि आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग, सामुदायिक भू-उपयोग से

आवासीय भू-उपयोग, कृषि भू-उपयोग से आवासीय/व्यवसायिक/सामुदायिक भू-उपयोग आदि पर महायोजना-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देते समय नगरीय उपभोग प्रभार शुल्क तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अधिनियमों / शासनादेशों / नीतियों इत्यादि में दी गई व्यवस्थानुसार देय शुल्क भू-स्वामी पर आरोपित किये जाएंगे।

- महायोजना में समस्त स्वीकृत तलपट मानचित्रों/अन्य उपयोगों हेतु स्वीकृत मानचित्रों के उपयोग को दर्शाया जाना संभव नहीं है । महायोजना के अंतर्गत स्वीकृत मानचित्रों के उपयोगों को यथासंभव समायोजित करने का प्रयास किया गया है । महायोजना लागू होने के पश्चात महायोजना में दर्शित भू-उपयोग स्वीकृत मानचित्र से भिन्न होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही माना जाएगा ।

FAÇADE DESIGN : PROPOSED HERITAGE COLOUR SAMPLE




FAÇADE DESIGN : PROPOSED HERITAGE COLOUR SCHEME




EVOLUTION OF FAÇADE DESIGN: REAL TIME SKETCHES




FAÇADE DESIGN : COLUMN & PILASTER



FAÇADE DESIGN : PARAPET



FAÇADE DESIGN : CORNICES




FAÇADE DESIGN : WINDOWS

Existing




Proposed




11

FAÇADE DESIGN : DOORS & SHOP SHUTTER

Existing



Proposed




FAÇADE DESIGN : ARCH

Existing



Proposed




11

FAÇADE DESIGN : MUMTY SHIKHARA

Existing



Proposed



FAÇADE DESIGN : RESIDENTIAL

Existing



Proposed



15

FAÇADE DESIGN : MIXED (RESIDENTIAL – COMMERCIAL)

Existing



Proposed




16

FAÇADE DESIGN : COMMERCIAL

Existing



Proposed




17

FAÇADE DESIGN : DHARMSHALAS

Existing



Proposed



18

FAÇADE DESIGN : HERITAGE SKYLINE OF AYODHYA



19

उक्त फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस निम्नलिखित क्षेत्र / मार्गों पर प्रभावी होंगे :-

- धरम पथ - लखनऊ - गोरखपुर हाइवे (साकेत पेट्रोल पम्प) से राम की पैड़ी स्थित गोंडा पुल तक ।
- राम पथ - महाराणा प्रताप (शहादतगंज) चौराहे से जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से महर्षि कश्यप (नियावाँ) चौराहे से ब्राहस्पति कुंड (टेढ़ी बाजार) चौराहे से स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर (नया घाट) चौराहे तक ।
- महायोजना में चिह्नित निर्मित क्षेत्र के समस्त मार्गों पर ।
- 14 कोसी मार्ग ।
- 5 कोसी मार्ग ।
- महोबरा बाजार चौराहे से ब्राहस्पति कुंड (टेढ़ी बाजार) चौराहे तक ।
- महाराणा प्रताप (शहादतगंज) चौराहे से गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के पुल तक ।
- जय प्रकाश नारायण (रिकाबगंज) चौराहे से अग्रसेन चौक (गुदड़ी बाजार) चौराहे से धारा रोड पर अफीम कोठी तक ।
- अयोध्या में चिह्नित धार्मिक भू उपयोग के अंतर्गत समस्त गलियाँ ।

10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

अयोध्या विकास क्षेत्र में आग और बाढ़ बड़ी आपदा होती है। आपदा की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित नए रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रस्तावित है। यह केंद्र शहरी और आस-पास के ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 3 से 5 मिनट के भीतर आपदा से निपटने के लिए रिंग रोड पर दो सब फायर स्टेशन प्रस्तावित हैं। कमान और नियंत्रण केंद्र में बाढ़ से लड़ने के लिए प्रशिक्षण केंद्र होता है।

10.2.15 भूमिगत जल निकासी

खुली नालियां शहर और आसपास के क्षेत्र से गंदगी ले जा रही हैं, भूजल को दूषित करती हैं और जलजनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। संपूर्ण नवीन विकास क्षेत्र में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नदी के दक्षिण में 10000 वर्ग मीटर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। पंपिंग स्टेशनों के लिए चौड़ी सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपचारित पानी के पुनः उपयोग को भी शहरी क्षेत्र के लिए पुनः उपयोग करने की आवश्यकता है। जमथरा क्षेत्र में 33 एमएलडी के बंद के पास एक एसटीपी प्रस्तावित है। पहले से ही 12 एमएलडी का एक एसटीपी चालू है और उसी परिसर में 6 एमएलडी एसटीपी निर्माणाधीन है। शहर के समस्त सीवर नेटवर्क को भूमिगत किया जाना प्रस्तावित है। अयोध्या शहर में पीने के पानी की आपूर्ति को 24x7 नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए अयोध्या शहर हेतु वाटर बैलेंस एवं वाटर एक्शन प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है।

10.2.16 वर्षा के पानी का निकास

शहर के क्षेत्र की सड़कें संकररी हैं और खुले तूफान के पानी की नालियां उपलब्ध कराना मुश्किल है। प्रस्तावित सड़कों पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नाली पाइप और आरसीसी बॉक्स ड्रेन खोलने का प्रस्ताव है। पानी को तूफानी जल नालों में एकत्र किया जाएगा तथा ट्रीटमेंट के उपरांत नदी में छोड़ा जाएगा।

10.2.17 नदी केंद्रित विकास

अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर विकसित हुआ है जिसकी अधिकांश लंबाई सरयू नदी के तट पर पड़ती है। सरयू तट पर गुप्तार घाट से लेकर लखनऊ-गोरखपुर हाइवे तक बंधे का निर्माण किया गया है जिसपर नदी की ओर विभिन्न घाट यथा नयाघाट, तुलसीघाट, स्वर्गद्वार घाट, नागेश्वर घाट, लक्ष्मण घाट, गोला घाट, झुनकी घाट, निर्मोचन घाट, राज घाट तथा गुप्तार घाट विकसित किए गए हैं। बंधे के पश्चात शहर की ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण विद्यमान हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के फल स्वरूप अयोध्या में भविष्य में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति दिन श्रद्धालु/ इन माइग्रैनट्स का आना प्रोजेक्ट किया गया है। अयोध्या को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किए जाने तथा भविष्य में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों एवं जन सामान्य की सुविधाओं हेतु विभिन्न प्रकृति के निर्माणों का होना तय है। उक्त के दृष्टिगत सरयू नदी के तट के समीप विकसित होने वाले निर्माणों के रेगुलेट किए जाने हेतु सरयू नदी के किनारे राज घाट से राम घाट (नया घाट) तक चिह्नित निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में स्थित निजी भवनों (हेरिटेज स्थलों / भवनों को छोड़ कर) के मरम्मत / पुनर्निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी :

(क) आवेदक द्वारा भवन की मरम्मत / पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख, भवन की लोकेशन का ' की - प्लान ', साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटोग्राफ्स (फोटोग्राफ लेने की तिथि अंकित करते हुए), स्थल पर मौजूद भवन का वर्तमान भू-आच्छादन, विद्यमान सेट-बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, आदि अन्य वांछित अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे।

(ख) आवेदन - पत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्न शपथ-पत्र भी प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा: -

(I) भवन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(II) सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे सरयू नदी में नहीं किया जाएगा।

(ग) आवेदक द्वारा उपरोक्त (क) एवं (ख) के अनुसार भवन की मरम्मत हेतु विकास प्राधिकरण को केवल दस्तावेज / सूचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी, मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा। परन्तु प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त यदि प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत उल्लंघन पाया जाता, तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(घ) भवन की मरम्मत / पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्राधिकरण को इस आशय की लिखित सूचना प्रेषित की जाएगी ।

(ङ) आवेदक द्वारा भवन के मरम्मत / पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल का स्लैब , द्वितीय तल का स्लैब , तृतीय तल का स्लैब , आदि) के फोटोग्राफ्स भी यथा – समय प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे , जिनके आधार पर प्राधिकरण द्वारा मरम्मत / पुनर्निर्माण कार्यों की समय – समय पर स्थलीय पुष्टि की जाएगी ।

(च) भवन की मरम्मत / पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक द्वारा उसकी सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जाएगी एवं निर्मित भवन के फोटोग्राफ्स (सभी उपलब्ध दिशाओं से) भी जमा किए जाएंगे ।

(छ) पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा , बल्कि विद्यमान स्वरूप में ही मरम्मत / पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी तथा भवन का फ्रन्ट एलिवेशन फसाड गाइडलाइंस के अनुसार ही रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन के ' फुट- प्रिन्ट ' , भू – आच्छादन , एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊंचाई में कोई वृद्धि अनुमत्य नहीं होगी । बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही अनुमत्य होंगे ।

(ज) भवन के आन्तरिक ले-आउट में परिवर्तन (स्ट्रक्चरल परिवर्तन को छोड़कर) अनुमत्य होगा । उदाहरणस्वरूप , पुराने भवनों में सीमित तल क्षेत्रफल के बेहतर उपयोग अथवा वास्तुदोष के निराकरण हेतु आन्तरिक परिवर्तन अनुमत्य होंगे ।

(झ) भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा । भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है , वही उपयोग अनुमत्य होगा । यदि किसी भवन का उपयोग प्राधिकरण को प्रस्तुत के विपरीत अन्य उपयोग यथा – होटल / लॉज / रेस्टोरेन्ट / दुकान अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता है , तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(ञ) सरयू नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौन्दर्य (Aesthetics) का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ट) भवन की मरम्मत , पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निम्न समिति द्वारा परीक्षण कर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी : –

• सचिव विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
• नियोजन प्रभारी , विकास प्राधिकरण	सदस्य - संयोजक
• प्रभारी अभियंत्रण , विकास प्राधिकरण	सदस्य

नोट : — (1) अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों को उक्त समिति की बैठकों में आमन्त्रित किया जा सकेगा ।

(II) विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित तकनीकी कार्मिकों / अभियन्ताओं द्वारा स्थलीय सत्यापन , स्थल पर हो रहे मरम्मत / पुनर्निर्माण का विभिन्न चरणों में निरीक्षण तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मानचित्र के अनुरूप / विपरीत निर्माण पूर्ण होने की रिपोर्ट उपाध्यक्ष , विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

(ठ) उपरोक्तानुसार अनुमन्य मरम्मत / पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य विकास एवं निर्माण कार्य निषिद्ध होंगे ।

(ड) सरयू नदी के किनारे नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माणों का शमन अनुमन्य नहीं होगा ।

नदियों के संरक्षण के लिए नागरिकों को मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए रिवर फ्रंट विकास प्रस्तावित है। नदी की सीमा से 30 मीटर की सीमा के भीतर रिवर फ्रंट विकास के अतिरिक्त और कोई भी निर्माण प्रतिबंधित रहेगा । जलाशयों को अतिक्रमण से बचाना जरूरी है। जलाशयों के संरक्षण के लिए जलाशयों के चतुर्दिक 9 मीटर की हरित पट्टी को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में रखने का प्रस्ताव है।

10.2.18 फुटपाथ

फुटपाथ या फुटपाथ वाहनों और पैदल चलने वालों को अलग करके दुर्घटना के जोखिम को कम कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में, उठाए गए फुटपाथ अक्सर सड़क के क्रॉस-सेक्शन का हिस्सा होते हैं। फुटपाथ की अपर्याप्त जगह, स्ट्रीट ट्रेडर्स, खड़ी कारों या खराब फुटपाथ की सतह पैदल चलने वालों को सड़क पर मजबूर कर सकती है और कैरिज वे की चौड़ाई में कमी आएगी। पैदल पथ के लाभ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा में वृद्धि, पैदल चलने वालों के लिए पहुंच, परिवहन के एक साधन के रूप में चलने को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जो पर्यावरणीय लाभ है और यातायात की भीड़ को कम करता है और पैदल चलने से स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार हो सकता है।

सड़कें महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान हैं जो वाहनों की आवाजाही के लिए मात्र चैनलों के रूप में काम करने से परे हैं, लेकिन एक शहर की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। पैदल पथ की रीडिज़ाइन योजना में मुख्य शहर क्षेत्र के अलावा बेंच, साइकिल ट्रैक और लैंडस्केप क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सड़कें, सड़क के किनारे हरे-भरे स्थान पैदल चलने और साइकिल चलाने की दो गतियों को अलग करने के लिए बफर के रूप में काम करते हैं ।

बचाव और सुरक्षा दोनों कारणों से, अधिकांश पैदल पथों में स्ट्रीट लाइटिंग की आवश्यकता होती है। पैदल चलने वालों के पार्श्व आंदोलन और मोटर चालकों द्वारा पता लगाने के लिए जब पैदल यात्री सड़क पार करता है, दोनों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।

सड़कें दुनिया के किसी भी देश की प्राथमिक संपत्ति होती हैं। सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कुशल और अच्छी तरह से रखरखाव वाली बुनियादी ढांचा प्रणालियां आवश्यक हैं।

10.2.19 हेरिटेज

अयोध्या में ए एस आई द्वारा संरक्षित तथा राज्य संरक्षित स्मारकों का विवरण निम्नवत है :

ए एस आई संरक्षित स्मारक

1. शुजा-उद-दौला टॉम्ब (गुलाब बाड़ी)
2. बहू बेगम का मकबरा
3. कुबेर पर्वत
4. सुग्रीव पर्वत
5. मणि पर्वत
6. हाजी इकबाल टॉम्ब
7. बेनी खानम टॉम्ब

राज्य संरक्षित स्मारक

1. हवेली अवध
2. गुप्तर घाट मंदिर

उक्त स्थलों के समीप होने वाले निर्माणों की अनुज्ञा "द एनशिण्ट मॉन्यूमेण्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स (एमेण्मेण्ट एण्ड वैलीडेशन) एक्ट, 2010" के प्राविधानों के अनुसार दी जाएगी ।

10.2.20 पर्यटन विकास

भारत में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और तेजी से बढ़ रहा है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने गणना की है की पर्यटन से 2018 में ₹ 16.91 लाख करोड़ रुपये (यूएस \$240 बिलियन) अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% के बराबर आय हुई और 42.673 मिलियन नौकरियों का सृजन किया जो देश में, कुल रोजगार का 8.1% था। 2028 तक इस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 6.9% और आय 32.05 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 9.9%) होने का अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर 2015 में, भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र का अनुमान 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होने का अनुमान, और 2020 तक इसके 7-8 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। 2014 में, 184,298 विदेशी रोगियों ने चिकित्सा उपचार के लिए भारत यात्रा की। 2017 में 10.04 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक 2016 के 8.89 मिलियन की तुलना में भारत आए, यह वृद्धि 15.6% थी।

2012 में 1036.35 मिलियन घरेलू पर्यटकों में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की यात्रा की जो 2011 से 16.5% अधिक थे। 2014 में तमिलनाडु महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय राज्य थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा और जयपुर वर्ष 2015 में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत के पांच सबसे अधिक देखे जाने वाले शहर थे।

यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 में कुल 140 देशों में भारत को 34 वें स्थान पर रखा गया। 2017 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार हुआ जो आँके गए शीर्ष 25% देशों में सबसे बड़ा सुधार था। रिपोर्ट 140 देशों में से भारत के पर्यटन क्षेत्र की कीमत प्रतिस्पर्धा को पद देता है। इसमें उल्लेख है कि भारत में काफी अच्छा वायु परिवहन बुनियादी ढांचा है (33वाँ स्थान), विशेष रूप से देश के विकास की अवस्था, और उचित जमीन और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को देखते हुए (28 वा स्थान)। देश को प्राकृतिक संसाधनों (14 वें स्थान पर), और सांस्कृतिक संसाधन और व्यापार यात्रा (8वाँ स्थान पर) पर भी उच्च स्कोर किया है। यद्यपि इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे के कुछ अन्य पहलू कुछ हद तक अविकसित बने हुए हैं देश के अंतरराष्ट्रीय तुलना की वृद्धि से प्रति व्यक्ति अनेक होटल कमरे हैं विश्व पर्यटन संगठन ने बताया कि 2012 में पर्यटन से भारत की आयत दुनिया में 16वें स्थान पर और एशिया और प्रशांत देशों में सातवें स्थान पर रही।

पर्यटन में रोजगार के अवसर मुख्य रूप से दो तरीकों से बनाए जा सकते हैं, वे हैं :-

1. प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर

प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यात्रा और पर्यटन द्वारा सीधे प्रदत्त नौकरी के अवसरों की कुल संख्या है उदाहरण होटल, रेस्त्रां, ट्रेवल एजेंसियों, पर्यटन सूचना कार्यालय, संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, महलों, धार्मिक स्थलों, विमानों, इमारतों, रिसॉर्टों या शॉपिंग आउटलेट्स फोटोग्राफी, फॉर्म हाउस, इत्यादि जैसे रोजगार हैं। लेखाकार हाउसकीपर वेटर कुक और मनोरंजन के रूप में काम करने के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की बड़ी संख्या वांछित होती है जिन्हें अर्ध कुशल श्रमिकों को जैसे कि कुलियों चेंबर में रसोई कर्मचारी माली इत्यादि की बड़ी संख्या में जरूरत होती है।

2. अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर

इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि पर्यटन उद्योग अपने से बाहर अपने संकीर्ण अर्थ में रोजगार सृजित करता है जो लोग पर्यटन से सीधे जुड़े लोगों को सामग्री और सेवाएं प्रदान करते हैं वह भी पर्यटन से समान रूप से लाभ अर्जित करते हैं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में रेस्त्रां आपूर्तिकर्ता निर्माण कंपनियां जो पर्यटक सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे को निर्माण व रखरखाव करती है, विमान विनिर्माण विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद विपणन एजेंसी लेखा सेवाएं फर्निशिंग उपकरण उद्योग समारिका उद्योग और खेती और खाद्य आपूर्ति करता आदि शामिल है जो कमोबेश प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियों पर निर्भर होते हैं। भारत में पर्यटन का आर्थिक महत्व किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह पर्यटन केंद्रों में और उस स्थान पर रहने वाले लोगों को अत्यधिक लाभान्वित करता है।

यह भारत का सौभाग्य है कि केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय और विभिन्न राज्य के पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से देश के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व को समझती है विभिन्न राज्य सरकारें पर्यटन की सुविधा के लिए पर्यटक होटल, लॉन डोर मेट्री और विश्राम गृहों का निर्माण व रखरखाव करती है। होटल और अन्य स्थानों पर विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च किया गया धन स्थानीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक सहायक होता है। भारत के पर्यटन केंद्रों में सुधार लाने के लिए भारत को प्राकृतिक पर्यटन बोर्ड और पर्यटन वित्त निगम पूरी तरह से काम कर रहे हैं पर्यटन को अब अन्य की तरह भी उद्योगों जैसे उद्योग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है जो दुनिया के पर्यटन प्रिय लोगों से विदेशी मुद्रा कमाते हैं और रोजगार के अवसर में वृद्धि सृजित करता है। यात्रा और पर्यटन उद्योग इसमें योगदान देने वाले संबंधित क्षेत्रों के साथ आने वाले वर्षों में उछाल आने और इसके तेजी से बढ़ने की आशा है। इस उद्योग में नौकरी करना बेहद रोमांचक हो सकता है और यह अच्छे वेतन का जरिया भी हो सकता है।

अयोध्या में पर्यटन उद्योग अभी तक विकसित नहीं हुआ है हालांकि इसे भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास संभव है यदि हम सभी उम्र के लोगों को कम से कम 2 दिवस तक अयोध्या क्षेत्र में रोक के रखने में सक्षम हो। पर्यटक सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं सभी पेयजल सुविधाओं सहित सहित परिक्रमा पथ चिकित्सा सुविधाओं के साथ विश्राम सुविधाओं की आवश्यकता होती हैं मनोरंजन गतिविधियों नगर स्तरीय पार्क और अतिथि सुविधाएं भी आवश्यक हैं। सांस्कृतिक विनिमय के लिए गृह निवास की सुविधा में विकास के लिए क्षमता है।

पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए पंजीकृत पथ प्रदर्शकों की आवश्यकता होती है योग्यता और प्रशिक्षण सुविधा के साथ पथ प्रदर्शकों का पंजीकरण विकसित किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में सभी सुविधाओं का प्रस्ताव है। परिवहन के लिए धोखाधड़ी से बचने के लिए औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से ही वाहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान से विचार किया गया है।

10.2.21 पर्यटक व्याख्या केंद्र (टीआईसी) और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (CCC):

यह केंद्र देखने योग्य स्थानों के बारे में जानकारी इसका समय बजट के भीतर उपलब्ध ठहरने की सुविधा गाइडों यानी मार्गदर्शकों के नाम और उनके शुल्क स्थानीय यात्री सुविधाओं आसपास के देखने योग्य स्थानों के बारे में जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। वायुयान की बुकिंग ट्रेन आरक्षण भी यहां करवाया जा सकता है। पर्यटक व्याख्या केंद्र के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर पर्यटक और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपराधों को नियंत्रित करेगा निरंतर ऐसा असामाजिक तत्व की निगरानी करेगा और नागरिकों को सहायता प्रदान करेगा सीसीटीवी प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और इनकी निगरानी सी.सी.टी.वी. से की जाएगी।

I. गृह प्रवास सुविधाएं:

यह पर्यटकों के लिए आरामदायक और ठहरने की मानक सुविधाएं प्रदान करेगा और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आवास की सुविधा को बढ़ाएगा इसके लिए नागरिकों को भागीदारी करनी होगी और अपने घरों में ठहरने का स्थान प्रदान करना होगा शहर विभिन्न स्थानों पर आगंतुकों और तीर्थ यात्रियों के लिए इस तरह के कम लागत वाले आवास की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।

मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए स्वस्थ और किफायती ठहरने का स्थान प्रदान करना है जिसमें ऐसे पर्यटकों के लिए स्थानीय परिवारों के साथ रहने का अवसर शामिल है जिसमें वे स्थानीय परिवारों के साथ स्थानीय आते थे और संस्कृति का अनुभव और स्थानीय प्रथाओं परंपराओं का परिचय पा सके और प्रामाणिक भारतीय और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकें।

इस तरह के होम स्टे यूनिट मालिकों के लिए आतिथ्य व्यापार में अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएंगे, जो अपने कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा रखते हैं कुछ आवासन ऐसे होते हैं जहां आवास के मांग निरंतर होती रहती है बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर विशेष रूप से पर्यटक ऋतु में अथवा मेले और त्योहारों के दौरान उत्पन्न होती है।

इस तरह की छोटी अवधि की मांग को पूरा करने के लिए शहर उपयुक्त पहल करेगा और स्थानीय निवास स्थान पर होमस्टे को शौचालय भोजन इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ प्रोत्साहित करेगा इस अवधारणा से स्थानीय निवास पैसा कमाता है और रोजगार का अवसर भी उत्पन्न करता है।

इस सुविधा की आवश्यकता सांस्कृतिक विनिमय के लिए है तथा इसमें गरीबों को भी रोजगार मिलेगा इच्छुक व्यक्ति पर्यटक व्याख्या केंद्र के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं और पर्यटकों के लिए साफ-सुथरे कमरे अलग रख सकते हैं इससे उनकी उन्नति होगी।

इसके अलावा उन नागरिकों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने में भागीदारी करेंगे स्थानीय लोगों को अपने मकान नंबर और उनके पर्यटक आवास के लिए दिए जाने वाले कमरों की संख्या देते हुए अपना पंजीकरण करवाना होगा।

II. परिक्रमा पथ:

परिक्रमा पथों का धार्मिक महत्व है। उन्हें स्वच्छता सुविधाओं से विकसित किया जाना चाहिए सस्ती लागत पर सुरक्षित पेयजल सुविधाएं पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा पथ पर शौचालय के ब्लॉक विश्राम जैसी सुविधा विकसित की जानी चाहिए लोगों के शुभ आगमन के लिए परिक्रमा पथ को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

III. स्थानीय खाद्य क्षेत्र

पर्यटकों को अयोध्या का स्थानीय भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय भोजन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र होना चाहिए जहां पर्यटक अपने भोजन का आनंद ले सकें और स्थानीय भोजन का अनुभव प्राप्त कर सकें।

IV. हाट बाजार

हाट बाजार की अवधारणा एक अनूठी अवधारणा है जिसमें अयोध्या के सभी सांस्कृतिक और स्थानीय सामग्री जैसे मिट्टी के बर्तन हस्तशिल्प स्थानीय रूप से बने कपड़े स्थानीय मसाले स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधे आदि शामिल होंगे इन हाटों को केवल महिला विक्रेताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए पूरे हाट बाजार में केवल महिला विक्रेता होंगे और अपने स्थानीय माल पर्यटकों को बेच सकेंगी और इन महिला विक्रेताओं को कर भुगतान से छूट दी जा सकती है वह पूरे भुगतान को अपने साथ रख सकें। यह अवधारणा पर्यटन गतिविधि के बिंदु के रूप में होगी और स्थानीय महिला कार्यबल को सशक्त बनाएगी।

V. पानी एटीएम या पानी कियोस्क

तकनीकी रूप से पानी एटीएम जो स्व-निहित स्वचालित जल वेंडिंग मशीनें हैं जो स्वच्छ पानी को स्टोर करते हैं और अक्सर भूजल का उपयोग करने वाले जल शोधन संयंत्र से जुड़े होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक चिप कार्ड या सिक्का वेंडिंग मशीन में डाला जाता है तो यह शुद्ध पेयजल देता है। जल एटीएम के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके अलावा, स्थानीय लोगों को पर्याप्त और साफ पानी मिलेगा। यदि पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है तो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है।

जल एटीएम समाज पर उच्च प्रभाव पैदा कर रहा है। प्लास्टिक की बोटलों का कम उपयोग अपशिष्ट को कम करता है और स्वच्छता बनाए रखता है। जो पर्यावरण अनुकूल हो जाता है।

पानी कियोस्क :- पानी कियोस्क ऐसे बिंदु हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध है। ये पारंपरिक प्रकार के हो सकते हैं जिसमें फ़िल्टर किए गए और ठंडा पेयजल आसानी से सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है।

VI. ई-शौचालय:

स्वच्छता और अधिक विशेष रूप से सार्वजनिक स्वच्छता पिछले शताब्दी में किसी भी प्रकृति के नवाचार से छेड़छाड़ की जाती है, नवाचारों के बावजूद, नवाचारों के बावजूद, हमारे जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं। ई-शौचालय स्वयं निहित, स्वयं सफाई, यूनिसेक्स, उपयोगकर्ता के अनुकूल, मानव रहित, स्वचालित, और दूरस्थ रूप से निगरानी वाले शौचालय सार्वजनिक स्थानों में स्थापित हैं। शौचालय में स्वयं सफाई और जल संरक्षण तंत्र इसे अद्वितीय बनाता है। ई-शौचालय भारतीय शहरों और शहरी स्थानों के अनुरूप एक राजस्व उत्पन्न स्वच्छता मॉडल है। शौचालय स्टेनलेस स्टील या हल्के स्टील बाड़ों से बने होते हैं और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। पानी को बचाने के लिए,

शौचालयों को तीन मिनट के उपयोग के बाद 1.5 लीटर पानी और 4.5 लीटर के बाद 4.5 लीटर पानी के लिए प्रोग्राम किया जाता है।



10.2.22 परिक्रमा मार्ग

भक्त और पर्यटक दोनों अयोध्या के परिक्रमा मार्गों का दौरा करते हैं। तीन पारिक्रम मार्ग, पंच कोशी, चौधहा कोशी और चौरासी कोशी मार्ग हैं। ये मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकते हैं। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किए जाने हेतु इन मार्गों पर रोमांचकारी गतिविधियों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु सुविधाओं यथा शौचालय, विश्रामालय, आदि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

10.2.23 आध्यात्मिक केंद्र

संसार में लोग जहां रहते हैं वे स्थान चाहे निजी हो या जिनके माध्यम से मनुष्य के रूप में हमारी आवश्यकताओं का संवर्धन पूर्ति होती है यह देखना काफी आसान है कि शहर किस प्रकार दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं शहरों के सामाजिक जीवन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने के विद्वान जैन जैकब जैसे समर्थक ऐसे शहरों के पक्ष में दलील देते हैं जो प्रेम और सम्मान को पूरा करते हैं। ऐसे तरीके जो निर्मित पर्यावरण आत्मबोध और आत्म अतिक्रमण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें चिन्हित करना परिचालित करना और संभालना अत्यधिक कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच मनोरंजन संबंध के अतिरिक्त ऐसी अवधारणाएं हैं जो निर्मित पर्यावरण हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं एकता संगठन रचनात्मकता विशिष्टता अभिव्यक्ति कविता तथा प्राथमिकता ऐसी अवधारणा हैं जो भौतिक संस्था उतनी संस्तर से उतनी ही आसानी से संबंध होती है जिसने की शर्म और भावातीत अवस्था से संतुलन समरसता और प्रकृति को निश्चय ही रूपाकार स्थान और व्यवस्था से संबंधित किया जा सकता है आध्यात्मिक देखभाल अन्य नर्सिंग देखभाल के समान ही उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हालांकि, इसे हमेशा औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती है; वास्तव में, यदि एक नर्स मौजूद है और रोगी के संकेतों के प्रति संवेदनशील है, तो आध्यात्मिक देखभाल अक्सर उस अद्वितीय रोगी की स्थिति के दौरान सहज और

उद्देश्यपूर्ण रूप से होती है। सभी नर्सिंग देखभाल के साथ, आध्यात्मिक देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नर्सिंग प्रक्रिया का चिकित्सीय उपयोग आवश्यक है।

आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विश्वव्यापी पर भारी निर्भर है (Hawks एट अल। 1995)। दरअसल, विश्वदृश्य को जीवन के लक्ष्य की समझ और उस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जिसमें वह में रह रहा है (Hawks 2004)।

आध्यात्मिक स्वास्थ्य सांस्कृतिक, सामाजिक, और धार्मिक संरचनाओं से प्रभावित है (Edwards et al 2010)। संस्कृति को एक जटिल संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ज्ञान, विश्वास, और साझा व्यवहार से बना है (Buck और Meghani 2012)। संस्कृति आध्यात्मिक स्वास्थ्य के सभी आयामों को प्रभावित करती है और उन्हें आकार देती है। एक व्यक्ति उसे अपनी संस्कृति के संबंध में और इसके संदर्भ में परिभाषित करता है (Johnson Et Al 2005)।

10.2.24 भव्य तोरण द्वार

अयोध्या शहर के आगंतुकों के पहुँच पर उनके स्वागत और आगंतुकों की सुविधाओं के विकास के लिए अयोध्या शहर में आने वाले छः प्रमुख मार्गों पर छः द्वार तथा उनके साथ 5 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक द्वार के समीप चिह्नित की गई हैं। चिह्नित की गई 5 हेक्टेयर भूमि में यात्रियों की सुविधाओं हेतु पार्किंग, होटल, पर्यटन सुविधा केंद्र, भोजनालय आदि सुविधाएं विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए विस्तृत परियोजना तैयार कर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित महायोजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए छः स्थानों में से एक स्थान महायोजना सीमा के अंतर्गत है तथा शेष पाँच स्थान विस्तारित विकास क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं।

10.2.25 कुंडों, मंदिरों और घाटों की पुनर्स्थापना

कुंडों की पुनर्स्थापना

अयोध्या में कई कुंड हैं, यह पवित्र स्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कुंडों का जल मंदिरों में अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लिया जाता है। कुंड वर्षा जल संचयन संरचनाएं हैं जो वे इस क्षेत्र में एक गोलाकार भूमिगत अच्छी तरह से हैं। ऐसा लगता है कि एक तश्तरी आकार के कैचमेंट क्षेत्र की तरह दिखता है जो धीरे-धीरे केंद्र की ओर ढल जाता है जहां अच्छी तरह से (कुंड) स्थित है। कुंड की गहराई और व्यास पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की आवश्यकता पर निर्भर हो सकता है। कुएं गड्ढे के किनारे नींबू और राख से ढके हुए हैं। अधिकांश गड्ढे पानी की रक्षा के लिए ढक्कन से ढके होते हैं। अयोध्या में कुण्डों को पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुंडों को संरक्षित किए जाने हेतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुंड हेतु आरक्षित भूमि की सीमा से 06 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा। निम्नलिखित विधियों की सहायता से कुण्डों को पुनरुद्धार किया जाना प्रस्तावित है:

- **सीवेज मार्ग परिवर्तन एवं उनका उपचार :-** जल क्षेत्र को संरक्षित किए जाने हेतु अनुपचारित एवं गंदे सीवेज नालों के मार्ग परिवर्तन के साथ साथ उनके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना है ।
- **जल निकाय की शारीरिक सफाई :-** इसमें मैनुअल या यांत्रिक साधनों के माध्यम से खरपतवारों को हटाने और ठोस कचरे को हटाने शामिल है। ऐसे मामलों में जहां पानी की होल्डिंग क्षमता बढ़ाने के लिए वांछनीय है, यांत्रिक रूप से जलीय संरचना के तलों की सफाई (desilting) किया जाना ।
- **कुंड के जल की गुणवत्ता को बढ़ाए जाना :-** वायु मिश्रण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए सतही एयर एस्टर अथवा डूबे एयर एस्टर या दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पर दूसरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है वायु मिश्रण जल में भी विभिन्न ऊष्मा स्तरों को मिश्रित करने में सहायक होता है। जिससे सृजन होता है और सबसे नीचे वाली सतह भी वायुमंडल की हवा के संपर्क में आ जाती है। वायु मिश्रण की आवश्यकता और सीमा की गणना जल की गुणवत्ता के पैमाने को जल निकाय की गहराई परिवेश के तापमान और वायु प्रवाह दशा के आधार पर की जाती है ।
- **जैव-उत्पाद (जैव-वृद्धि) :-** सूक्ष्म जीवों संस्कृतियों की खुराक की एकाग्रता और आवृत्ति जल निकाय, जल गुणवत्ता मानकों, परिवेश तापमान और शैवाल विकास की सीमा के आधार पर तय की जाती है।
- **जल गुणवत्ता मानकों की निरंतर निगरानी :-** बहु-मानक विश्लेषण से सुसज्जित एफवा के फ्लोटिंग निगरानी स्टेशन पानी की गुणवत्ता की निर्बाध जांच के लिए नियोजित हैं।
- **आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण :-** वाटरफ्रंट का विकास और सौंदर्यीकरण मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और पर्यटन को बढ़ाता है ।



मानचित्र 10-1 वर्तमान कुण्डों की स्थानीय स्थिति



चित्र 10-1 गिरजा कुण्ड



चित्र 10-2 दंत धावन कुण्ड

1. घाटों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण

प्रार्थना/अनुष्ठान/पवित्र नदी में स्नान/शवदाह हेतु प्रत्येक शहर में नागरिक नदी घाटों का उपयोग करते हैं। भारत के सबसे अधिक देखी गई धार्मिक स्थलों के लिए यह एक सामान्य घटना है। इस तरह की क्रिया निश्चित रूप से खट्टीमीठी है, क्योंकि सदियों के लंबे प्रवाह ने न केवल घाट विरासत में योगदान दिया, बल्कि बिगड़ने की प्रक्षेपण भी योगदान दिया। इस प्रकार घाट बहाली और सुंदरता आईडी की आवश्यकता है क्योंकि इससे शहर के सौंदर्य मूल्य में वृद्धि होगी और साथ ही यह आगंतुक के अनुभव को बढ़ाएगा।



चित्र 10-3 वर्तमान घाट



चित्र 10-4 राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण



चित्र 10-5 गौप्रतार घाट (गुप्तार घाट) का सौंदर्यीकरण

2. मंदिरों का पुनरुद्धार

मंदिर पुनरुद्धार एक ऐतिहासिक इमारत की स्थिति को सही ढंग से प्रकट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, क्योंकि यह अतीत की विरासत है में दिखती है और अपने विरासत मूल्य का सम्मान करते हुए विभिन्न उपायों से इसे ठीक कर देती है। पुनरुद्धार की प्रक्रिया में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े संरचना को बिना किसी नये तकनीक अथवा सामग्री का इस्तेमाल किए उसे मूल स्वरूप में वापस लाया जाता है। संरक्षण का अर्थ है ऐतिहासिक, वास्तुकला, सौंदर्य, सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने की प्रक्रिया। संरक्षण की प्रक्रिया में मंदिरों की संरचना को इतिहास, वास्तुकला एवं सौन्दर्य बोध का यथा स्थित बनाए रखना है।



चित्र 10-6 हनुमान गढ़ी



चित्र 10-7 कनक भवन का जीर्णोद्धार

10.2.26 सोलर सिटी

अयोध्या को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में शहर में पर्यटकों की संख्या में आमूलचूल वृद्धि होने की संभावना है। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में अयोध्या शहर को एनर्जी एफिशिएन्ट बनाए जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। संबंधित विभाग द्वारा अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।

10.2.27 सौंदर्यीकरण और सुधार

10.2.26.1 पुलों का सौंदर्यीकरण

भित्तिचित्र दृश्य संचार का एक रूप होता है, एक व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान के अंकन को शामिल करने वाले आध्यात्मिक संदर्भ को चित्रित करता है। इसने नागरिकों और पर्यटकों के लिए बहुत खुशी पैदा की है। दीवार भित्तिचित्र आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए एक जगह है। भित्तिकला के दृश्य भित्तिचित्रों के माध्यम से प्राचीन संस्कृति महाकथा रामायण का दिव्य दर्शन कराते हैं रामायण की कहानी प्रिंस राम के बारे में है जो अयोध्या राज्य से निर्वासित हो गए थे। वह अपनी पत्नी सीता को वापस पाने के लिए एक लंबी लड़ाई में लंका के राजा रावण को मारने के लिए चला जाते हैं। भित्तिकला के माध्यम से रामायण की कहानी पर्यटक के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

10.2.26.2 मौजूदा पार्कों का सौंदर्यीकरण

शहरी स्थान का सौंदर्यीकरण किसी भी सूचनात्मक कार्रवाई को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप निःसंदेह शहर और नागरिक के बीच निकट संबंध स्थापित होता है। सौंदर्यीकरण को सार्वजनिक लाभों के पहलुओं में से एक माना जाता है जो कार्यकारी संस्थाओं की वैध अस्तित्व और गतिविधि। आजकल, मौलिक अवधारणाओं को शहरी रिक्त स्थानों के सौंदर्यीकरण में माना जाना चाहिए जिसमें शामिल हैं: अंतरिक्ष और शहर के रूप, सांस्कृतिक पहचान और अनुलग्नक, शहर की सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य, टिकाऊ अर्थव्यवस्था, कल्याण और आराम। सौंदर्यशास्त्र मानव की धारणा और सभी जीवन स्थितियों के तहत कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विकसित करता है, और शहर मानव निर्मित और प्राकृतिक तत्वों के संयोजन के रूप में प्रकट होता है और समुदाय के बारे में सोचा जाता है। शहर का सौंदर्यीकरण सिर्फ इमारतों के प्रभाव में नहीं है, लेकिन शहरी दीवारें, सार्वजनिक स्थान और दृश्य गुण शहर के सौंदर्यीकरण को प्रभावित करते हैं

शहरी मूर्तिकला कलात्मक रूप और अभिव्यक्ति के साथ त्रि-आयामी मूल्य को संदर्भित करता है जो इसे विभिन्न पहलुओं से देख सकता है। मूर्तियों का मुख्य कार्य स्थान और पहचान की भावना पैदा करना और अंतरिक्ष के लिए एक विशेष भावना को प्रेरित करना या अंतरिक्ष की भावना को बदलना है प्रेरित करना है। इसके अलावा यह सजाने, भवन पहचान पर या दर्शकों को एक संदेश स्थानांतरित करने पर स्थित है, कि पत्थर, ठोस, धातु, लकड़ी और फाइबर सहित सामग्री का उपयोग मूर्तिकला बनाने के लिए किया जाता है।

10.2.26.3 रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण

रेलवे स्टेशनों को दीवार चित्रकला और सुंदर मूर्तियों के साथ सुंदर बनाया जा सकता है। पेंटिंग के अलावा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है और हवाई अड्डे से मेल खाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और सेवाओं को शामिल कर स्टेशनों का आधुनिकरण किया जा रहा है।



चित्र 10-8 रामघाट हाल्ट

10.2.26.4 सड़कों और परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण

आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सड़कों और पारिक्रमा मार्गों को सुशोभित किया जा सकता है। पारिक्रम मार्ग में छोटे स्थान को स्थानीय लोगों के लिए आवंटित किया जा सकता है ताकि वे कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं को आगंतुकों को बेच सकें।

हालांकि, शहर की सड़कों के रखरखाव की जरूरत है और वास्तविक प्रस्तावित चौड़ाई के अनुसार चौड़ा किया जा सकता है। सड़क की चौड़ाई के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए कुछ अन्य स्थानों या छोटे स्थान में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रमुख और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली सड़कों के साथ यातायात की भीड़ को रोकने में मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रस्तावित स्थान उन सड़कों के साथ होना चाहिए जिनमें इन स्थानों के पास यातायात की भीड़ और खतरनाक पार्किंग से बचने के लिए पैर पथ और चोटी के घंटों के दौरान, कुछ वाहन आंदोलन प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके अलावा, आस-पास के पार्किंग प्लॉट को उन आगंतुकों को आवंटित किया जा सकता है जहां वे पार्क कर सकते हैं और फिर इन अनौपचारिक क्षेत्रों की ओर चल सकते हैं।



10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति

जनसामान्य को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु इन नीतियों का प्रख्यापन किया गया है। अयोध्या विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या एवं आवश्यकता के अनुसार URDPFI गाईडलाइंस में दिए गए प्राविधानों के क्रम में अयोध्या महायोजना 2031 में 5703.85 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

10.3.2 उ० प्र० पर्यटन नीति

अयोध्या नगर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राम जन्म भूमि/राम मंदिर, पंच कोसी, चौदह कोसी एवं चौरासी कोसी परिक्रमा, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, आदि के कारण अयोध्या नगर धार्मिक पर्यटन हेतु वैश्विक रूप से अहम स्थान रखता है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। शहर में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं हेतु पर्यटन संबंधी क्रियाओं यथा होटल, रेस्टोरेंट, आदि को महायोजना में अधिकांश भू उपयोगों में अनुमन्य किया गया है। साथ ही साथ महायोजना में चौड़े मार्गों एवं पार्क / खुले स्थलों का प्रविधान किया गया है।

10.3.3 सौर ऊर्जा नीति

अयोध्या को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में शहर में पर्यटकों की संख्या में आमूलचूल वृद्धि होने की संभावना है। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में अयोध्या शहर को एनर्जी एफिशिएन्ट बनाए जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। संबंधित विभाग द्वारा अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति

जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए वर्षा जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउन्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अतिदोहन के कारण ग्राउन्डवाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउन्डवाटर स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल प्रबन्धन द्वारा सन्तुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की सुरक्षा हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं मितव्ययी पद्धतियों को अपनाकर ग्राउन्ड वाटर के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा जल के एकत्रीकरण/रिचार्जिंग/हार्वेस्टिंग हेतु अयोध्या शहर में कुंडों की पुनर्स्थापना तथा संरक्षण संबंधी प्राविधान महायोजना में किए गए हैं।

10.3.5 फिल्म नीति

अयोध्या शहर में सिनेमा हाल/ मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन क्रियाओं को विभिन्न भू उपयोगों में अनुमन्य की जाने हेतु महायोजना की ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में प्रविधान किया गया है।

10.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी नीति

अयोध्या शहर में सूचना प्रौद्योगिकी/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन क्रियाओं को विभिन्न भू उपयोगों में अनुमत्य की जाने हेतु महायोजना की ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में प्रविधान किया गया है ।

10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति

महायोजना के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिह्नित किया गया है तथा निर्मित बंधे को महायोजना में समावेशित किया गया है ।

10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

अयोध्या शहर में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने हेतु महायोजना के अंतर्गत 333.5 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है ।

10.4 नियोजन खण्ड

अयोध्या विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 7 नियोजन खंडों में विभक्त किया गया है । नियोजन खंडों से संबंधित मानचित्र प्रतिवेदन में संलग्न हैं। इन नियोजन खंडों की विस्तृत क्षेत्रीय योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियोजन खंड एवं उनका क्षेत्रफल निम्न तालिका में दर्शित है:-

जोन का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेर में)
जोन -1	1784
जोन -2	1745
जोन -3	1683
जोन -4	1876
जोन -5	1024
जोन -6	1457
जोन -7	1653.38

10.5 चरणबद्ध विकास

अयोध्या नगर की महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु विकास की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । महायोजना पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है । महायोजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्र के ज़ोनल प्लान तैयार किए जाने होंगे । विकास के प्रारम्भिक समय पर ही यदि इन क्षेत्रों के ज़ोनल प्लान तैयार कर विकास को नियोजित दिशा प्रदान की जाए तो वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण पर समुचित नियंत्रण हो पाएगा । इसके दृष्टिगत ज़ोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है -

प्रथम चरण - ज़ोन संख्या 1, 4 एवं 7

द्वितीय चरण - ज़ोन संख्या 3 एवं 6

तृतीय चरण - ज़ोन संख्या 2 एवं 5

10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण

अयोध्या शहर को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अयोध्या विजन डॉक्युमेंट 2047 तैयार किया गया जिसके अंतर्गत अयोध्या शहर के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित की गई परियोजनाओं का विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। अयोध्या के विकास हेतु वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

अयोध्या विजन के अन्तर्गत वर्तमान में करायी जा रही परियोजनायें				
1	2	3	4	5
क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ में)	कार्य समाप्त होने की तिथि
(1)-कार्यदायी संस्था का नाम:- एयरपोर्ट्स एथॉरिटी आफ इण्डिया				
1	एयरपोर्ट्स एथॉरिटी आफ इण्डिया	डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश - पेवमेंट ग्रेडिंग एंड अदर वर्क्स इन ऑपरेशनल एरिया ऑन डिजाइन एंड बिल्ड बेसिस (ई.पी.सी)	116.29	01.12.2022
2	एयरपोर्ट्स एथॉरिटी आफ इण्डिया	कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पी.ई.बी) एंड अदर एसोसिएटेड वर्क्स ऑन ऑपरेशनल एरिया ऑन डिजाइन एंड बिल्ड बेसिस (ई.पी.सी)	70.3	01.12.2022
(2)-कार्यदायी संस्था का नाम:- राजस्व विभाग				
3	उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग	मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (भूमि विवरण)	1175.97	
(3)-कार्यदायी संस्था का नाम:- लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड				
4	पर्यटन विभाग (कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण)	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का विकास	299.00 (डी०पी०आर० गठन का कार्य प्रगति पर।)	
5	पर्यटन विभाग (कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण)	चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास	587.50 (डी०पी०आर० गठन का कार्य प्रगति पर।)	
6	लोक निर्माण विभाग	जनपद अयोध्या में अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग (एस०एच०-30 के चैनैज 118.25 से 155.000 तक 04 लेन निर्माण (लम्बाई 36.75 कि०मी०)	393.78	31.03.2023
7	लोक निर्माण विभाग	दर्शनगर भरतकुण्ड मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	54.38	Nov-22
8	लोक निर्माण विभाग	अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-330) से एयरपोर्ट तक फोरलेन सड़क का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 1.50 कि०मी०)	20.17	Nov-22

9	लोक निर्माण विभाग	अयोध्या बिलहर घाट बंधा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण (पक्के बंधे के साथ 2 लेन लम्बाई 13.50 किमी0)	132.87	14.10.2023
10	लोक निर्माण विभाग	अयोध्या-अकबरपुर- बसखारी मार्ग पर प्रस्तावित गोशाईगंज फोर लेन बाईपास के निर्माण/ नवनिर्माण कार्य	114.97	14.10.2023
11	लोक निर्माण विभाग	अयोध्या-अकबरपुर- बसखारी मार्ग पर प्रस्तावित मयाबाजार फोर लेन बाईपास के निर्माण/ नवनिर्माण कार्य	60.71	06.07.2023
12	लोक निर्माण विभाग	जनपद-अयोध्या में एन0एच0-27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुये टेढ़ीबाजार राम जन्म भूमि तक फोर लेन मार्ग का निर्माण	30.07	30.03.2023
13	लोक निर्माण विभाग	जनपद-अयोध्या में एन0एच0-27 से रामघाट दिगम्बर अखाड़ा होते हुये अयोध्या फ़ैजाबाद मुख्य मार्ग तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	6.29	30.09.2022
14	लोक निर्माण विभाग	जनपद-अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर उदया चौराहे से गोलाघाट तक (उपलब्ध भूमि पर सुविधा विस्तार एवं सुदृढीकरण का कार्य	8.48	30.09.2022
15		स्मार्ट रोड (धर्म पथ)	66	
(4)-कार्यदायी संस्था का नाम:- लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, अयोध्या				
16	यू0पी श्रम विभाग	अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण	66.44	25.01.2023
17	लोक निर्माण विभाग	जनपद अयोध्या में रा0मा0-28 किमी -93 मी0 किनारे स्थित पुराने डाक बंगले परिसर में 20 सूट कक्ष के निरीक्षण गृह एवं 60 से 70 व्यक्तियों हेतु मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य	15.79	05.07.2023
(5)-कार्यदायी संस्था का नाम:- लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-3, अयोध्या				
18	धर्मार्थ कार्य	राम पथ (सहादतगंज से नयाघाट)	797.69	-
(6)-कार्यदायी संस्था का नाम:- लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-4, अयोध्या				
19	धर्मार्थ कार्य	भक्तिपथ (फ़ैजाबाद- अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक मार्ग)	33.86	31.10.23
20	धर्मार्थकार्य	जन्मभूमि पथ (सहादतगंज- नयाघाट मार्ग के कि0मी0-11 से सुग्रीव किला होते हुए श्रीराम जन्म भूमि मंदिर तक मार्ग)	83.33	24.11.22
(7)-कार्यदायी संस्था का नाम:-अयोध्या नगर निगम				
21	नगर विकास विभाग	समेकित ट्रैफिक मैनेजमेन्ट प्रणाली (स्मार्ट एण्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट)	49.74	30.11.2022
22	त्वरित योजना राज्य शासन	त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या से सम्बन्धित कार्य	47.86 (अनुमानित लागत)	31.12.2022
23	नगर विकास विभाग		8.52 (अनुमानित लागत)	30.11.2022

24	नगर विकास विभाग	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का सृष्टीकरण	8.26 (अनुमानित लागत)	Feb-25
25	नगर विकास विभाग	अयोध्या के 33 पार्कों का कायाकल्प	6.12 (अनुमानित लागत)	
26	नगर विकास विभाग	डोर टू डोर MSW कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग ऑफ तथा शौचालय सेवाओं की मशीनीकृत सफाई	5.00 (अनुमानित लागत)	31.10.2024
27	नगर विकास विभाग	परिक्रमा मार्ग के पीछे सीता झील में वैज्ञानिक तरीकों से लिगेसी वेस्ट का निस्तारण	3.02 (अनुमानित लागत)	15.08.2022
28	नगर विकास विभाग	एनिमल बर्थ कंट्रोल (कन्ट्रोलिंग ब्रीडिंग आफ डॉग्स)	3.20 (अनुमानित लागत)	30.11.2022
29	नगर विकास विभाग	नियावा/रेतिया वार्ड में जमथरा रोड (मछली बाजार जंक्शन से विनोद नर्सरी) पर सी0सी0 सड़क का कार्य एवं दोनों ओर नालियों का निर्माण	2.06 (अनुमानित लागत)	15.11.2022
30	नगर विकास विभाग	अयोध्या में जल निकासी व्यवस्था हेतु विभिन्न 5 नालों का निर्माण कार्य।	2.50 (अनुमानित लागत)	15.11.2022
31	नगर विकास विभाग	राजस्व ग्राम कुशमाहा में स्थित माँ अष्टभुजी मन्दिर के सामने स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण	0.44 (अनुमानित लागत)	30.11.2022
32	नगर विकास विभाग	कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान	0.40 (अनुमानित लागत)	30.11.2022
(8)–कार्यदायी संस्था का नाम:–उ0प्र0 जल निगम, ग्रामीण				
33	एन0एम0सी0जी0	अयोध्या कैन्ट की 15 नालों का इन्टर सेप्सन एण्ड ड्राइवर्जन एवं 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी का निर्माण	221.6576	-
(9)–कार्यदायी संस्था का नाम:–उ0प्र0 जल निगम, नगरीय				
34	नगर विकास विभाग	नगर निगम अयोध्या सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-1	243.85	Aug-23
35	नगर विकास विभाग	पेयजल व्यवस्था नगर निगम अयोध्या जलापूर्ति योजना फेज-3	54.56	08-10-2022
36	नगर विकास विभाग	रामघाट अयोध्या में पूर्व स्थापित 12एम0 एल0डी0 एस0टी0पी0 में अतिरिक्त 6 एम0 एल0डी0 एस0टी0पी0 के क्षमता विस्तार का कार्य	13.68	Nov-22
37	नगर विकास विभाग	बायो रेमोडिफिकेशन विधि द्वारा अयोध्या कैन्ट क्षेत्र के 15 नालों का उपचार	3.42	Mar-23
38	अमृत 2.0	सरयू नदी जलापूर्ति स्रोत से वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट योजना फेज-1	417.59	
39	अमृत 2.0	नगर निगम अयोध्या के 7 वार्डों में 24 x 7 जलापूर्ति योजना	110.26	
40	अमृत 2.0	अयोध्या कैन्ट छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मलीकुण्ड नाले का इन्टरसेप्सन एण्ड ड्रायवर्जन योजना	23	

41	अमृत 2.0	नगर निगम अयोध्या के विस्तारित क्षेत्र की पेयजल योजना	528.57	
42	अमृत 2.0	नगर निगम अयोध्या सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2	449.43	
43	अमृत 2.0	नगर निगम अयोध्या के विस्तारित क्षेत्र हेतु सीवरेज योजना फेज-1	397.58	
(10)-कार्यदायी संस्था का नाम:- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
44	आई0पी0डी0एस0 योजना	अयोध्या नगर के अवशेष ऊपरिगामी विद्युत तारों को भूमिगत करने का कार्य	240	Mar-23
(11)-कार्यदायी संस्था का नाम:- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
45	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	220 केवी सब-स्टेशन अयोध्या एवं तत्सम्बन्धित 220 के0वी0 और 132 के0वी0 लाइनों का निर्माण।	180.14	26.10.2022
(12)-कार्यदायी संस्था का नाम:- अयोध्या विकास प्राधिकरण				
अयोध्या के वाहन पार्किंग एवं दूकानों का निर्माण				
46	धर्मार्थ विभाग	टेढ़ीबाजार के समीप जिला पंचायत के निष्प्रयोज्य अतिथि गृह परिसर भूखण्ड पर पार्किंग सुविधा (MLCP) (पूर्व दिशा में)	24.5	16.12.2022
47	धर्मार्थ विभाग	अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशलेस कुंज योजना में पार्किंग सुविधा (MLCP)	4.66	18.12.2022
48	धर्मार्थ विभाग	अयोध्या मार्ग स्थित जलकल अमानीगंज के सामने स्थित भूमि पर पार्किंग सुविधा (MLCP)	12.68	31.12.2022
49	धर्मार्थ विभाग	टेढ़ीबाजार चौराहे के पास पब्लिक एमिनिटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास, शापिंग काम्प्लेक्स, (पश्चिम दिशा में)	27.33	08.10.2023
50	धर्मार्थ विभाग	राम गुलेला मंदिर के पास पब्लिक एमिनिटीज का निर्माण कार्य	10.14	
51	धर्मार्थ विभाग	मोहल्ला मछरहटा अयोध्या स्थित नजूल के भूखण्ड पर पब्लिक एमिनिटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास	41.47	
अयोध्या के 15 वार्डों के गलियों में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य				
क्रम सं0 53 से 66 तक के कार्यों के लिये एकमुश्त धनराशि 17.65 लाख जारी की गयी है, 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण				
52	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	परमहंस रामचन्द्र दास वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.8	15.11.2022
53	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	मीरापुर वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.03	15.11.2022
54	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	ऋणमोचन घाट वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.14	30.09.2022
55	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	बृहस्पति कुंड वार्ड में सड़क एवं नालियों का निर्माण एवं विकास	1.16	30.09.2022

56	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	देवकाली वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	3.23	30.09.2022
57	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	लक्ष्मणघाट वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.35	30.11.2022
58	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	परमहंस राम मंगलदास वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.71	30.11.2022
59	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	रामकोट वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	0.78	30.09.2022
60	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	रायगंज वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	0.93	30.09.2022
61	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	विभीषण कुण्ड वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	0.93	30.11.2022
62	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	स्वर्गद्वार वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	0.82	30.09.2022
63	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	विद्या कुण्ड वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	1.76	30.11.2022
64	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	सीता कुण्ड वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	4.16	30.11.2022
65	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	मणिरामदास छावनी वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	5.34	30.11.2022
66	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	हनुमान कुण्ड वार्ड में सड़क एवं नाली के निर्माण एवं सुधार का कार्य	2.75	30.11.2022
गुप्तार घाट पार्क, पार्किंग एवं कियोस्क विकास कार्य				
67	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	गुप्तारघाट में विकास कार्य, कियोस्क शाप, पार्किंग, पाथवे फेस-1	14.24	15.11.2022
68	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	गुप्तारघाट में विकास कार्य, कियोस्क शाप, पार्किंग, पाथवे फेस-2	3.13	30.11.2022
69	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	सूर्य कुण्ड- सौन्दर्यीकरण	14.87	30.11.2022
70	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	सूर्य कुण्ड में सूर्य मन्दिर के रेस्टोरेशन का कार्य	0.48	14.02.2023
पीएमएवाई (भाग ए और बी) के तहत ईडब्ल्यूएस घरों (जी+3) का निर्माण				
71	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	पीएमएवाई के तहत ईडब्ल्यूएस घरों (जी+3) का निर्माण (भाग-ए)	11.49	30.09.2022
72	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फेस 1 में विद्युतीकरण का कार्य	0.96	30.09.2022
73	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	पीएमएवाई के तहत ईडब्ल्यूएस घरों (जी+3) का निर्माण (भाग-बी)	10.38	30.09.2022
74	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फेस 2 में विद्युतीकरण का कार्य	0.64	05.08.2022
75	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	जिला अयोध्या में समदा झील का विकास कार्य (मिट्टी एवं बंध बनाने का कार्य)	9.67	30.11.2022
76	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	साकेतपुरी कॉलोनी से परिक्रमा मार्ग तक सड़क विकास कार्य	5.96	30.11.2022

77	एन0एम0सी0जी0	8 कुण्डों का कायाकल्प तथा संरक्षण संचालन और रखरखाव	5.72	30.11.2022
78	एन0एम0सी0जी0 भारत सरकार	अयोध्या में चयनित ऐतिहासिक स्थानों पर सरफेस सुधार भिति चित्र और कलाकृति के माध्यम से पुरोद्धार एवं संरक्षण का कार्य	1.33	30.09.2022
79	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	मास्टर प्लान 2031 फेज-1	0.74	31.07.2022
80	पर्यटन विभाग	पाँच टॉयलेट ब्लॉक एवं यूटिलिटी सेटर के कन्स्ट्रक्शन, आपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य	2.36	31.12.2022
81	पर्यटन विभाग	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर यात्री सुविधाओं का निर्माण/विकास कार्य	17.21	
82	पर्यटन विभाग	चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर यात्री सुविधाओं का निर्माण/विकास कार्य	12.11	
83	उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन	स्वर्गीय सु.श्री लता मंगेशकर चौक का विकास कार्य	7.8	28.09.2022
(13)-कार्यदायी संस्था का नाम:- सेतु निगम				
84	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में एन.एच. 27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुए बाजार/ रामजन्मभूमि तक सम्पार संख्या-111 बी पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	122.2079	31.12.2023
85	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर सूर्यकुण्ड स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या- 105 पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	92.7021	30.12.2023
86	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर हलकारा का पुरवा क्रासिंग संख्या 108 ए.सी. पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	31.03.2022	31-12-2023
87	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ क्रासिंग संख्या-112 पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु	62.926	31.12.2023
88	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में-बहराइच-फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग एस0एच0-30 के चैनेज 118.25 से 199.200 तक चार लेन चौड़ीकरण में रेलवे सम्पार सं0 107ए/2टी (वाराणसी लखनऊ रेल सेक्शन दर्शन नगर के पास) पर चार लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।	89.2495	31.12.2023
89	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में रेल प्रखण्ड जफराबाद-फैजाबाद-लखनऊ के फैजाबाद स्टेशन के पश्चिम यार्ड में कि0मी0 968/02-03 पर स्थित रेल सम्पार संख्या 121 बी (मोदहा) पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	114.5974	31.12.2023
90	लो0नि0वि0 और भारतीय रेलवे	जनपद अयोध्या में फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर सम्पार संख्या-118 ए (फतेहगंज) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	69.36	31.03.2024

(14)–कार्यदायी संस्था का नाम– उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या इकाई अयोध्या				
91	चिकित्सा शिक्षा विभाग	राजर्षि दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज अयोध्या।	245.64	30.11.2022
92	पर्यटन विभाग	भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट, अयोध्या का निर्माण कार्य	81.0875	31.03.2022
93	राम कथा गैलरी			
i	पर्यटन विभाग	पार्किंग का विकास	2.1039	30-09-2021
ii	पर्यटन विभाग	स्थल विकास कार्य	1.0009	
iii	पर्यटन विभाग	ओपेन एयर थियेटर का विकास	0.2068	
iv	पर्यटन विभाग	फूट ओवर ब्रिज	0.3674	
v	पर्यटन विभाग	वेस्ट मैनेजमेन्ट	0.0157	
vi	पर्यटन विभाग	स्टोन बेन्च	0.6	
vii	पर्यटन विभाग	सोलर लाईटिंग	0.39	
94	पर्यटन विभाग	नया बस डिपों	15.4765	31.03.2021
95	पर्यटन विभाग	मल्टीलेबल कार पार्किंग का निर्माण	9.5971	15.12.2021
96	पर्यटन विभाग	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर यात्री छादक का निर्माण	1.8918	31-03-2022
97	राम की पैड़ी			
i	पर्यटन विभाग	स्टोन प्लांटर	0.1954	31.03.2019
ii	पर्यटन विभाग	फसाड इलुमिनेशन	3.4598	
iii	पर्यटन विभाग	स्टोन रेलिंग और स्टेनलेस स्टील रेलिंग	0.845	
iv	पर्यटन विभाग	साइनेज का कार्य	0.0108	
v	पर्यटन विभाग	सोलर लाईटिंग	0.424	
vi	पर्यटन विभाग	लैण्डसकेपिंग का कार्य	2.8088	
vii	पर्यटन विभाग	पार्किंग का विकास	0.6345	
viii	पर्यटन विभाग	वेस्ट मैनेजमेन्ट	0.01	
ix	पर्यटन विभाग	स्टोन बैन्च	0.0375	
x	पर्यटन विभाग	गजीबों	0.035	
xi	पर्यटन विभाग	स्टोन बोलाई	0.0308	
98	सिटी वाइड इन्टरवेन्शन			
i	पर्यटन विभाग	गजीबों का निर्माण	2.1126	31.03.2022
ii	पर्यटन विभाग	ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क	1.2033	
iii	पर्यटन विभाग	पब्लिक कन्वेंस	7.1619	
		(ट्वायलेट ब्लॉक) 20 नग		
iv	पर्यटन विभाग	पुलिस बूथ 08 नग	0.2008	
v	पर्यटन विभाग	वॉच टॉवर 14 नग	1.5908	
vi	पर्यटन विभाग	साइनेज	0.153	
vii	पर्यटन विभाग	सोलर लाईटिंग	1.4123	
viii	पर्यटन विभाग	वेस्ट मैनेजमेन्ट	0.1844	
ix	पर्यटन विभाग	सी.सी. कैमरा 30 नग	1.9157	

x	पर्यटन विभाग	स्टोन बेन्चेज	0.0226	
99	अयोध्या स्ट्रीट रेजुवेन्शन के अन्तर्गत फुटपाथ के नवीनीकरण का कार्य			
i	पर्यटन विभाग	कोबल स्टोन से रोड पटरी का निर्माण	1.1798	31.03.2022
ii	पर्यटन विभाग	के.सी. ड्रेन/ दोसा मिर्जापुर स्टोन	1.3412	
iii	पर्यटन विभाग	स्टोन छतरी के साथ वाटर कियोस्क	0.4736	
iv	पर्यटन विभाग	ट्वायलेट 03 नग	1.0743	
v	पर्यटन विभाग	साइन बोर्ड 20 नग	0.0431	
vi	पर्यटन विभाग	लैण्डसकैपिंग	0.4469	
vii	पर्यटन विभाग	स्ट्रीट लाईट	2.1786	
viii	पर्यटन विभाग	तुलसी उद्यान का विकास	0.3521	
ix	पर्यटन विभाग	सैण्ड स्टोन बेन्च 30 नग	0.06	
100	अयोध्या में पैडस्ट्रियन स्ट्रीट का कार्य (चौक अयोध्या से हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल)			
i	पर्यटन विभाग	सड़क पर कोबल स्टोन/ पिक सैण्ड स्टोन का कार्य	6.8296	31.03.2022
ii	पर्यटन विभाग	ड्रेन कवर	1.3041	
iii	पर्यटन विभाग	स्ट्रीट लाईट पोल	3.1286	
101	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	100 शैय्या हॉस्पिटल कुमारगंज	20.79	15.11.2022
102	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	50 शैय्या हॉस्पिटल मिल्कीपुर	15.95	15.11.2022
103	परिवहन विभाग उ0प्र0	ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट अयोध्या	8.5684	15.10.2022
104	उ0प्र0 शिक्षा विभाग	शासकीय डिग्री महाविद्यालय परसांवा, अयोध्या	11.71	30.11.2022
105	उ0प्र0 शिक्षा विभाग	राजकीय इण्टर कालेज मिल्कीपुर, अयोध्या	2.77	30.11.2022
(15) कार्यदायी संस्था का नाम:- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इलेक्ट्रिक-18 यूनिट				
106	पर्यटन विभाग	अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं कला गैलरी	13.4817	30.11.2022
107	पर्यटन विभाग	जनपद अयोध्या के हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, जानकी मंदिर, दिगंबर अखाड़ा एवं राजद्वार मंदिर में फसाड लाईट से सम्बन्धित विद्युतीकरण कार्य	3.56	30.11.2022
(16)-कार्यदायी संस्था का नाम:- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट 21 ए लखनऊ)				
108	पर्यटन विभाग	राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अयोध्या में सत्संग भवन, रैन बसेरा, प्रवेश द्वार तथा यात्री सहायता केन्द्र के निर्माण कार्य।	2.4204	30.11.2022
(17)-कार्यदायी संस्था का नाम:- सरयू नहर खण्ड, अयोध्या सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग				

109	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	जनपद अयोध्या में गुप्तारघाट से जमथरा घाट(1.150 कि०मी०) तक तटबंध के निर्माण एवं पूर्व में हरिश्चन्द्र उदया तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 3.90 तक रेस्टोरेशन कार्य की परियोजना	39.63	26.12.2022
(18)–कार्यदायी संस्था का नाम:– उ०प्र० आवास एवं शहरी नियोजन				
110	1	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	24.03.2021	25.03.2021
111	उ०प्र० शिक्षा विभाग	राजकीय महाविद्यालय बीकापुर, अयोध्या	7.75	22-02-2023
112	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	जनपद अयोध्या में जनपदीय ड्रगवेयर हाउस का निर्माण कार्य।	9.18	-
113	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुनवा का निर्माण	6.003	30.11.2022
114	व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	आई०टी०आई० मिल्कीपुर	6.67	30.11.2022
115	व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	आई०टी०आई० सोहावल	4.86	30.11.2022
(19)–कार्यदायी संस्था का नाम:– उ०प्र०राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०				
116	आयुष विभाग	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में विभागीय कक्ष एवं क्लासरूम का निर्माण	4.96	31.12.2022
(20)–कार्यदायी संस्था का नाम:– कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (44 यूनिट)				
117	उ०प्र० खेल विभाग	डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर	132.337	31.12.2022
118	नगर विकास	नगर निगम अयोध्या के कार्यालय भवन का निर्माण	46.307	29.03.2024
119	नगर विकास	अयोध्या के वाहन पार्किंग एवं दुकानों का निर्माण–कलेक्ट्रेट के निकट स्मार्ट पार्किंग का निर्माण	37.0849	06.06.2023
120	महिला कल्याण विभाग	कौशलया सदन	-	-
121	नगर विकास	सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ग्राम पिखरौली, सोहावल, अयोध्या (4 हेक्टेयर जमीन)	17.4998	31.12.2022
122	नगर विकास	मुक्ति धाम का सम्वर्धन एवं विकास	15.0666	31.03.2023
123	तकनीकी शिक्षा अल्पसंख्यक एवं कल्याण	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम०एस०डी०पी०) आई०टी०आई० मवई (रूदौली, अयोध्या)	9.83	Dec-22
(21)–कार्यदायी संस्था का नाम:– राइटस लिमिटेड				
124	रेलवे विभाग	अयोध्या रेलवे स्टेशन– का पुर्नविकास।	210	30.12.2022
(22) कार्यदायी संस्था का नाम:– उत्तर रेलवे निर्माण, संगठन				
125	उ०रे०	अकबरपुर से बाराबंकी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण (कि०मी० 161.00)	1116.09	24-12-2024

(23)–कार्यदायी संस्था का नाम:– पर्यटन विभाग				
126	पर्यटन विभाग (पीपीपी मॉडल)	पर्यटन सुविधा केन्द्र	181.54	
(24)–कार्यदायी संस्था का नाम:–लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, बस्ती डिवीजन(पैकेज 1,2,3)/अयोध्या डिवीजन(पैकेज 4,6)/लखनऊ डिवीजन(पैकेज 5)				
127	सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण (2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर एवं परिक्रमा पथ)	6657.207 (Approx)	
(25)– कार्यदायी संस्था का नाम:– राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, रायबरेली				
128	एन0एच0ए0 आई0	अयोध्या बाईपास:– लम्बाई– 67.5 कि0मी0 निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ	5924.5	
129	एन0एच0ए0 आई0	एन0एच0.330ए अयोध्या जगदीशपुर	1530	11.03.2023
130		एन0एच0.330ए रायबरेली जगदीशपुर		
(26)– कार्यदायी संस्था का नाम:– राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, लखनऊ				
131	एन0एच0 ए0आई0	अयोध्या बाईपास का सौन्दर्यीकरण:– लम्बाई	8.5	15.10.2022
(27)– कार्यदायी संस्था का नाम:–यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको)				
132	आयुष विभाग	डा0 बृजकिशोर मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय परिसर मे निर्माण कार्य	1.78	31.12.2022
133	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	श्री राम चिकित्सालय परिसर अयोध्या में आवासीय भवनो का निर्माण कार्य	रु0 4.41/	31.12.2022
134	संस्कृति विभाग	अयोध्या शोध संस्थान योजना के अन्तर्गत तुलसी स्मारक भवन का अत्याधुनिकीकरण/ नव निर्माण का कार्य।	16.82	31.12.2022
135	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	अयोध्या में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण	23.08	31.12.2023
(28)– कार्यदायी संस्था का नाम:– यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई–11 अयोध्या				
136	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि0ख0 फैजाबाद के आचार्य नरेन्द्र देव (दालमण्डी वार्ड बेगम मकबरा) में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	0.2398	Jun-21
137	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि0ख0 फैजाबाद के अमानीगंज वार्ड एरिया (अवधपुरी) में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	0.2398	Jun-21
138	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि0ख0 फैजाबाद के पठान टोलिया में सामुदायिक शौचालय निर्माण	0.2398	Jun-21
139	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि0ख0 फैजाबाद के झारखण्डी वार्ड (फतेहगंज दालमण्डी वार्ड) में सामुदायिक शौचालय निर्माण	0.2398	Jun-21
140	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि0ख0 फैजाबाद के मंगल पाण्डेय वार्ड एरिया के म्यूनिसिपल कारपोरेशन फैजाबाद में सामुदायिक शौचालय निर्माण	0.2398	Jun-21

141	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि०ख० फैजाबाद के शाहबगंज में प्राइमरी स्कूल के नवीन भवन का निर्माण	0.0975	Jun-21
142	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि०ख० फैजाबाद के लाल बाग में प्राइमरी स्कूल के नवीन भवन का निर्माण	0.0975	Jun-21
143	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि०ख० फैजाबाद के धारा में प्राइमरी स्कूल के नवीन भवन का निर्माण	0.0975	Jun-21
144	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि०ख० फैजाबाद के म्युनिसिपल काउन्सिल के सेक्रेट्री एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में शौचालय निर्माण	0.011	Jun-21
145	मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान (अल्प संख्या कल्याण)	वि०ख० फैजाबाद के अंगूरीबाग में प्राइमरी स्कूल के नवीन भवन का निर्माण	0.0975	-
146	पर्यटन विभाग	अयोध्या धाम में स्थित गणेशकुण्ड के पर्यटन विकास	2.02	Dec-22
147	पर्यटन विभाग	अयोध्या धाम में स्थित स्वर्णखनी कुण्ड के पर्यटन विकास	1.06	Dec-22
148	पर्यटन विभाग	अयोध्या धाम में स्थित हनुमान कुण्ड के पर्यटन विकास	1.45	Dec-22
(29)– कार्यदायी संस्था का नाम:–यू०पी० नेडा, अयोध्या।				
149	अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग, यूपीनेडा	सोलर रूफ टॉप योजना		31.12.2026

- अयोध्या को नियोजित रूप से विकसित किए जाने हेतु भूमि का विकास लोकल एरिया प्लान तथा टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार कर किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय पोषण प्राधिकरण अपने स्रोतों अथवा राज्य सरकार / हुडकों / बैंकों से ऋण लेकर कर सकता है।
- अयोध्या विजन डॉक्युमेंट – 2047 में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को विकसित किए जाने हेतु वित्तीय पोषण भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न स्कीमों / परियोजनाओं से किया जाना प्रस्तावित है।
- महायोजना तथा अयोध्या विजन डॉक्युमेंट – 2047 के क्रियान्वयन हेतु आने वाले व्यय का पोषण वैल्यू कैप्चर फ़ाईनेन्सिंग / पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

11 ज़ोनिंग रेगुलेशन्स

11.1 परिचय

11.1.1 ज़ोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों तथा आवासीय वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अंतर्गत अनुमन्य आनुषांगिक क्रियाएं (ACTIVITIES) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना संभव नहीं है की अनुज्ञा ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विशेष आनुषांगिक (ANCILLARY / INCIDENTAL) क्रियाओं / उपयोगों का प्राविधान ज़ोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

11.1.2 ज़ोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तुत ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिपेक्ष में अनुक्रियाशील (RESPONSIVE) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गए हैं। ज़ोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं (SALIENT FEATURES) निम्न प्रकार हैं –

- (1) परंपरागत ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (MATRIX) के माध्यम से सर्वग्राही (USER FRIENDLY) बनाया गया है।
- (2) परंपरागत (REGIMENTED) भू-उपयोग पद्धति के स्थान पर (FLEXIBLE) एवं मिश्रित भू-उपयोग कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों की गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।
- (3) मिश्रित भू-उपयोगों की अनुमन्यता, उनकी आनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदंडों पर आधारित की गई है, ताकि परस्पर आश्रित भू-उपयोगों की आपरेशनल एवं आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू-उपयोग ज़ोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।
- (4) ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण / परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
- (5) ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू-उपयोग कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। इसके अनुसार ऐसी क्रियाएं, जो महायोजना ज़ोनल प्लान में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण-अवगुण के आधार पर संबंधित भू-उपयोग ज़ोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(6) प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

11.1.3 विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ :

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की निम्नलिखित अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी :

(क) अनुमन्य उपयोग :

वह क्रियायें / उपयोग , जो सम्बन्धित प्रमुख भू- उपयोगों के आनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग :

वह क्रियायें / उपयोग की कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू- उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध ज़ोनिंग मैट्रिक्स के साथ दी गई हैं।

(ग) विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग :

वह क्रियायें / उपयोग , जो आवेदन किये जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस - पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव , आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध ज़ोनिंग मैट्रिक्स के साथ दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग :

वह क्रियायें / उपयोग , जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग में अनुमन्य नहीं होंगे निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियायें तथा विकास / निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के आनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क) (ख) (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं हैं , की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियायें / उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं परन्तु महायोजना अथवा ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस / टुक / रेल / हवाई टर्मिनल , थोक मार्केट काम्प्लैक्स , सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें तथा विद्युत सब स्टेशन , ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स , इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किये जाने हेतु कई बार अधिनियम के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं / उपयोगों का अनुमन्य हेतु " फ्लोटिंग उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है। (FLOATING USE) फ्लोटिंग उपयोग / क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता / निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (PERFORMANCE STANDARD) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में

अनुमन्य किया जाए। फ्लोटिंग उपयोग कानसेट्ट अपनाये जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में (FLEXIBILITY) रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन कान्फर्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त "फ्लोटिंग" उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (DOMINANT CHARACTER) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले हास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर आवश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण – अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

11.1.5 प्रभाव शुल्क

यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा प्रभाव शुल्क (IMPACT FEE) देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712 / 9-आ 3-2000-26 एल०यू०सी० / 91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 % तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 % होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण / परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग मैट्रिक्स के साथ दी गयी है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :

- (1) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु।
- (2) आवासीय भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध – शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित किये जाने वाले सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक सुविधाओं / क्रियाओं हेतु।
- (3) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं / उपयोगों हेतु।
- (4) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं तथा भू-उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के० वी० ए० क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयाँ / सूचना प्रौद्योगिक पार्क।
- (5) होटल / व्यवसायिक भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोगों में भी होटल की अनुमन्यता हेतु।

11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत मूल उपयोग से इतर क्रिया / उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया / उपयोग सामान्यतः अनुमन्य / सशर्त अनुमन्य / विशेष अनुमति

से अनुमन्य हो) अनुमन्य किये जाने हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति / सुझाव उचित माध्यमों से आमन्त्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों / सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति / अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी ।

विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :

1. उपाध्यक्ष , विकास प्राधिकरण , अयोध्या
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
3. अध्यक्ष , विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा उपरोक्त समिति में आवश्यकतानुसार विशेष आमन्त्री सदस्यों को जोड़ा जा सकता है । जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी ।

11.1.7 अन्य अपेक्षाएं

महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अंतर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास निर्माण उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा । उदाहरणार्थ सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी आनुषांगिक क्रियायें ही अनुमन्य होंगी ।

महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अंतर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीडास्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो ।

यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले आउट प्लान सक्षम अधिकारी स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल / भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा ।

प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अंतर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है ।

11.1.8 परिभाषाएं

- इन रेगुलेशन्स हेतु 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड से है ।
- निर्मित क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में चिह्नित किया गया है ।

11.2 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

11.2.1 आवासीय

- **एकल आवास** – वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हों।
- **समूह आवास** – वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
- **स्टाफ हाउस** – वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाईयाँ का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
- **चौकीदार/गार्ड हाउस** – वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप-उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

11.2.2 वाणिज्यिक

- **फुटकर दुकानें**– वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
- **शो रूम** – वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
- **थोक मंडी** – वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
- **नीलामी बाजार** – ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती हैं। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
- **आटा चक्की** – वह परिसर जहाँ गेहूँ, मसालों इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता है।
- **शीत गृह** – वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
- **रिजार्ट** – प्राकृतिक अथवा कृतिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प/लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती हैं।
- **होटल** – वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।

- **मोटल -** वह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
- **कैटीन -** वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
- **फूड कोर्ट/भोजनालय -** वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
- **सिनेमा -** वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **मल्टीप्लेक्स -** वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा आनुषांगिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
- **पी.सी.ओ./ सेल्यूलर मोबाईल सेवा -** वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश-विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
- **पेट्रोल/डीजल/गैस फिलिंग स्टेशन -** स्टेशन उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
- **गैस गोदाम -** वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
- **गैस बुकिंग कार्यालय -** वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती हो।
- **गोदाम -** वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।
- **कबाड़खाना -** वह परिसर जहां निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा, अर्द्ध - आवृत्त अथवा खुला भंडारण किया जाता हो।
- **सर्विस अपार्टमेंट -** सर्विस अपार्टमेंट्स पूर्णतयः सूसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेंट्स' होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोई-घर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

11.2.3 औद्योगिक

- **सेवा उद्योग / कुटीर उद्योग-** एक उद्योग में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो मुख्य रूप से मूर्त उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके राजस्व अर्जित करती हैं। सेवा

उद्योग कंपनियां खुदरा, परिवहन, वितरण, खाद्य सेवाओं के साथ-साथ अन्य सेवा-प्रधान व्यवसायों में शामिल हैं।

- **सूचना/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क** – एक परिसर जहां सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आई.टी. सक्षम सेवाएं तैयार किए जाते हैं।
- **मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग**– राज्य सरकार के वर्गीकरण के अनुसार मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग।
- **लघु/हल्का उद्योग** – राज्य सरकार के वर्गीकरण के अनुसार लघु/हल्के उद्योग।
- **खनन** – वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
- **तेल डिपो** – वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
- **दुग्ध एकत्रीकरण** – वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।

11.2.4 कार्यालय

- **सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय कार्यालय**– संघ और राज्य सरकारों के कार्यालयों, अर्ध सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकाय कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- **निजी कार्यालय** – वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु कंसल्टेंटी / सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट , अधिवक्ता , चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर , टूर एवं ट्रेवल एजेंट, इत्यादि ।
- **बैंक** – वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
- **वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय** – वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, लाभ कमाने वाले संगठन और अन्य संस्थानों के कार्यालय के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- **श्रमिक कल्याण केन्द्र** – वह परिसर जहां श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **मौसम अनुसंधान केन्द्र** – वह परिसर जहां मौसम और उससे संबंधित आंकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **साईबर कैफे** – वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है।
- **बायोटेक पार्क** – ऐसा औद्योगिक पार्क जहाँ पूर्ण रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास संबंधी क्रियाएं की जाती हैं।
- **कॉल सेंटर** – ऐसा केन्द्र जहाँ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई-कम्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।

- **डाटा प्रोसेसिंग सेंटर** – ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना(डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन साफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
- **बिज़नेस पार्क** – नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यापारिक गतिविधियों/कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते हैं।
- **पेशेवर/व्यक्तिगत/एजेंट कार्यालय**– एक परिसर जहाँ एक व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टूर एंड ट्रेवल एजेंट आदि जैसे पेशेवरों के समूह द्वारा पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **सैटेलाइट/वायरलेस/दूरसंचार केंद्र** – संचार उद्देश्य के लिए टावर की स्थापना के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।

11.2.5 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक

- **गेस्ट हाउस / निरीक्षण गृह**– वह परिसर, जहाँ सरकारी/अर्द्ध-सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
- **लॉजिंग / बोर्डिंग हाउस** – वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराये पर दिए जाते हैं।
- **छात्रावास** – एक परिसर जिसमें "संस्थाओं" से जुड़े कमरे या अन्यथा, छात्रों, प्रशिक्षुओं और श्रमिकों को दीर्घकालिक आधार पर किराए पर दिए जाते हैं।
- **सुधारालय और अनाथालय** – अनाथालय का अर्थ माता-पिता के शोक संतप्त बच्चों के बोर्डिंग के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर होगा। इसमें शैक्षणिक सुविधाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी। सुधारालय का अर्थ अपराधियों के कारावास और सुधार के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर होगा।
- **हैन्डीकैप/डिसेबल चिल्ड्रन हाउस** – वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यापारिक अथवा गैर-व्यापारिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- **शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र** – वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यापारिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- **प्ले और नर्सरी स्कूल** – स्कूल की तैयारी के लिए बच्चों के लिए प्रशिक्षण और खेलने की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- **वृद्धाश्रम** – वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवस्था अथवा गैर-व्यापारिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।

- **प्राथमिक विद्यालय** – एक परिसर जिसमें पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हैं।
- **माध्यमिक विद्यालय / उच्च माध्यमिक विद्यालय** – वह परिसर जहाँ 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **एकीकृत आवासीय विद्यालय** – एक परिसर जिसमें बारहवीं कक्षा तक शैक्षिक और खेल सुविधाएं हों। इसमें छात्रों के लिए बोर्डिंग की सुविधा होगी और संकाय के लिए निवास हो सकता है।
- **व्यावसायिक संस्थान** – अनुशासन के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एक परिसर, कुछ पेशे और व्यापार में रोजगार के लिए हानिकारक। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केंद्र शामिल है।
- **डिग्री/पीजी/पेशेवर (चिकित्सा/इंजीनियरिंग आदि) कॉलेज**– वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **विश्वविद्यालय** – वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **पॉलीटेक्निक** – वह परिसर जहां तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
- **प्रबंधन संस्थान** – वह परिसर जहां प्रबंधन क्षेत्र में शिक्षण / प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **डाकघर** – जनता द्वारा उपयोग के लिए डाक संचार की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- **पुलिस स्टेशन** – वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **पुस्तकालय** – वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
- **स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र** – वह परिसर जहाँ 30 शैयाओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
- **अस्पताल** – वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **ट्रॉमा सेंटर** – ट्रॉमा के तहत रोगियों को तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए विशेष प्रकृति की चिकित्सा सुविधाओं वाला एक परिसर।
- **नर्सिंग होम** – वह परिसर जहाँ शैयाओं और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।

- **क्लिनिक/पॉलीक्लिनिक** – एक परिसर जिसमें बाहरी मरीजों के इलाज की सुविधा एक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। पॉलीक्लिनिक के मामले में, इसका प्रबंधन डॉक्टरों के एक समूह द्वारा किया जाएगा।
- **नैदानिक प्रयोगशाला** – वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **हेल्थ क्लब/जिमनैजियम** – वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
- **विद्युत शवदाह गृह** – वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **शमशान भूमि/शमशान** – शमशान भूमि का अर्थ होगा जलाकर शवों का अंतिम संस्कार करने की सुविधा वाला परिसर। दफ़नाने का मतलब होगा शवों को दफ़नाने की सुविधा वाला परिसर।
- **नृत्य/संगीत/कला केंद्र** – वह परिसर जहां संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
- **सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादित** – वह परिसर जहां घरेलू / लघु / सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
- **फायर स्टेशन** – वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **पुलिस पोस्ट** – एक स्थानीय पुलिस चौकी के लिए एक अस्थायी प्रकृति या पुलिस थाने की तुलना में छोटे पैमाने पर सुविधाओं वाला एक परिसर।
- **अनुसंधान एवं विकास केंद्र** – एक परिसर जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधाएं हों।
- **औषधालय** – वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
- **मेडिकल कॉलेज** – एक परिसर जहां मानव शरीर से संबंधित शिक्षण, उपचार, संचालन और अनुसंधान और विकास किया जाता है।
- **नर्सिंग होम** – वह परिसर जहाँ शैथ्याओं और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
- **सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादित** – वह परिसर जहां घरेलू / लघु / सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
- **ऑडिटोरियम** – वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
- **योग/ध्यान केंद्र** – वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।

- **धार्मिक भवन/केंद्र** – वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
- **सामुदायिक केंद्र** – वह परिसर जहाँ सभा, समाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र** – वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **बारात घर/ बैंकट हाल** – वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
- **अजायब घर** – वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **आर्ट गैलरी / प्रदर्शनी केंद्र** – वह परिसर जहां चित्रकारी , फोटोग्राफी , मूर्तिकला , भित्ति चित्रों , हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **रेडियो व टेलीविज़न केंद्र** – वह परिसर जहा संबंधित माध्यम द्वारा समाचार और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने की सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **टेलीफोन कार्यालय / केंद्र** – वह परिसर, जहां संबंधित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र** – वह परिसर जहां सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
- **समाज कल्याण केंद्र** – वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
- **सम्मेलन/सम्मेलन केंद्र** – एक परिसर जिसमें बैठक, संगोष्ठी, आदि के लिए सभी सुविधाएं हैं, जहां विभिन्न संगठनों के कई लोग भाग लेंगे।
- **ए.टी.एम.** – वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैंकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जात है।
- **जेल** – वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट** – सीवरेज के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली उपचार सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- **सीवरेज पंपिंग स्टेशन** – एक पंपिंग स्टेशन के साथ एक परिसर जिसका उपयोग सीवेज को उच्च ग्रेडिएंट पर पंप करने के लिए किया जाता है।
- **अंडर ग्राउंड टैंक/रेनी वेल** – यांत्रिक साधनों का उपयोग करके भूमिगत स्रोतों से पानी निकालने की प्रणाली। इसमें संचालन और रखरखाव के लिए एक कमरा शामिल हो सकता है।

- **ट्यूबवेल/ओवर हेड टैंक** – एक परिसर जिसमें अपने पड़ोसी क्षेत्रों में पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक होता है। इसमें पंप हाउस शामिल हो भी सकता है और नहीं भी।
- **वाटर वर्क्स** – वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड / भूमिगत रिसरवायर्स, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
- **माइक्रोवेव केन्द्र** – वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
- **तारामंडल** – ग्रहों के अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों के साथ एक परिसर।
- **पीसीओ** – भुगतान के आधार पर स्थानीय, एसटीडी और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को टेलीफोन से फोन कॉल करने की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- **इंटरनेट/सूचना केंद्र** – संचार उद्देश्यों के लिए इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाने वाला एक परिसर।
- **ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र** – एक परिसर जहां ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, यंत्रवत्/विद्युत रूप से संसाधित किया जाता है और पुनः उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है।
- **इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन** – बिजली के वितरण के लिए विद्युत स्थापना और परिवर्तन वाला एक परिसर।

11.2.6 यातायात और परिवहन

- **खुली पार्किंग** – वह परिसर जो आकाश में खुला हो, जिसका उपयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाता है।
- **कवर्ड/मल्टी-लेवल पार्किंग** – वाहनों की पार्किंग के लिए एक या अधिक स्तरों का कवर्ड परिसर।
- **टैक्सी/ऑटो स्टैंड** – वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- **साइकिल रिक्शा स्टैंड** – रिक्शा और साइकिल पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक परिसर।
- **ट्रक टर्मिनल/परिवहन नगर** – अल्पावधि या दीर्घकालिक आधार पर ट्रकों की पार्किंग के लिए एक परिसर। इसमें एजेंसी कार्यालय, कार्यशालाएं, ढाबे, स्पेयर पार्ट की दुकानें, गोदाम, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होटल और प्राधिकरण द्वारा तय की गई ऐसी अन्य परिचालन सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
- **बस स्टैंड/आश्रय** – बस स्टैंड या बस शेल्टर यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए कम समय अवधि के लिए कैरिज-वे से बसों को पार्क करने के लिए सड़क पर एक निर्दिष्ट स्थान है।
- **बस डिपो** – सार्वजनिक परिवहन एजेंसी या ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा बसों की पार्किंग, रखरखाव और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर। इसमें कार्यशाला शामिल हो भी सकती है और नहीं भी।

- **बस टर्मिनल** – सार्वजनिक या निजी परिवहन एजेंसी द्वारा बसों को छोटी अवधि के लिए पार्क करने के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर। इसमें यात्रियों के लिए रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होटल और ऐसी अन्य परिचालन सुविधाएं शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी।
- **मोटर गैराज/सर्विस गैराज/कार्यशाला** – ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए एक परिसर।
- **ट्रैफिक पार्क/चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क/प्रशिक्षण केंद्र** – पार्क के रूप में एक परिसर जिसमें यातायात और सिग्नल के बारे में जनता/बच्चों को परिचित कराने और शिक्षित करने की सुविधा है। प्रशिक्षण केन्द्र में वाहन चलाने के प्रशिक्षण की सुविधा होगी।
- **धर्मकाँटा** – वह परिसर जहां भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।

11.2.7 पार्क, खेल / खुले स्थल

- **पार्क** – मनोरंजक अवकाश गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परिसर। इसमें भूनिर्माण, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय, बाड़ आदि से संबंधित हो सकते हैं। इसमें लॉन, खुले स्थल, हरा आदि जैसे पर्यायवाची शब्द शामिल होंगे।
- **गोल्फ कोर्स** – गोल्फ खेल खेलने के लिए निर्धारित क्षेत्र जो अनिवार्य रूप से खुला है और साथ ही न्यूनतम निर्मित स्थान जो खेल का समर्थन करता है।
- **रेस कोर्स** – दौड़ के समर्थन के लिए न्यूनतम निर्मित स्थान के साथ रेसिंग के लिए निर्धारित क्षेत्र।
- **स्टेडियम** – पवेलियन भवन के साथ आउटडोर खेलों के लिए एक परिसर और दर्शकों के बैठने के लिए स्टेडियम की संरचना जिसमें संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं।
- **खेल का मैदान** – बाहरी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर। इसमें भूनिर्माण, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय आदि हो सकते हैं।
- **खेल प्रशिक्षण केंद्र** – एक परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा है। इसमें शारीरिक शिक्षा केंद्र भी शामिल होगा।
- **खेल परिसर** – पवेलियन भवन, स्टेडियम और संबंधित सुविधाओं के साथ आउटडोर और इनडोर खेलों के लिए एक परिसर।
- **कारवां पार्क** – ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिये कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते हैं। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे- यात्री टेन्ट, खान-पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
- **पिकनिक स्पॉट** – पर्यटक/मनोरंजन केंद्र के भीतर एक परिसर जो मनोरंजन या छुट्टी के उद्देश्य के लिए कम अवधि के ठहरने के लिए उपयोग किया जाता है।

- **ट्रैफिक पार्क** – पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- **मनोरंजन क्लब** – सभी संबंधित सुविधाओं के साथ सामाजिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के समूह को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक परिसर।
- **स्वीमिंग पूल** – एक परिसर जिसमें तैराकी और दर्शकों के बैठने की सुविधा है, जो मानक और उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग होंगे।
- **चिड़िया घर** – वह परिसर जिसका उपयोग सभी संबंधित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जंतुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान / पार्क / जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
- **शूटिंग रेंज** – वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स / बंदूकों को चलाने, निशान साधने इत्यादि के प्रशिक्षण / प्रैक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।

11.2.8 कृषि

- **बाग/पौधा नर्सरी/सामाजिक वानिकी** – बाग का अर्थ फलों के पेड़ों की घनी वृद्धि वाला परिसर होगा। इसमें फलों के पेड़ों वाला बगीचा भी शामिल हो सकता है। पौध नर्सरी का अर्थ एक ऐसा परिसर होगा जिसमें युवा पौधों के पालन और बिक्री की सुविधा होगी। वानिकी का अर्थ सामाजिक वानिकी सहित घने प्राकृतिक वनस्पतियों वाला एक परिसर होगा, जिसमें आंशिक प्राकृतिक वनस्पति और आंशिक मानव निर्मित वनस्पति हो सकती है।
- **फार्म हाउस** – वह परिसर जहां फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
- **डेयरी फार्म/कुक्कुट फार्म** – डेयरी/कुक्कुट उत्पादों के पालन और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं वाला एक परिसर। इसमें गायों / पक्षियों के शेड के लिए अस्थायी संरचनाएं हो सकती हैं।
- **धोबी घाट** – वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
- **कुक्कुटशाला (पॉल्ट्री फार्म)** – वह परिसर जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शेड हो सकते हैं।⁶⁶
- **कृषि उपकरण कार्यशाला / सेवा केंद्र** – ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर आदि जैसे कृषि उपकरणों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर।

11.2.9 अस्थायी क्रियाएं

- **वेंडिंग ज़ोन** – वह क्षेत्र जहां पर पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थायी रूप से लघु व फुटकर सामान / पदार्थों के विक्रय सामाग्री व्यावसायिक गतिविधियां वेंडर द्वारा की जाती हैं।

11.3 प्रमुख भू-उपयोग जोनेस में सशर्त अनुमान्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध

कोड संख्या.	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध
1	भूतल पर चौकीदार / संतरी आवास
2	भूतल को छोड़कर ऊपरी मंजिलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल का 5%
4	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10% अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10% केवल संबंधित कर्मचारियों के लिए
5	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
6	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
9	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
11	केवल महायोजना में चिह्नित सीमांकित वाणिज्यिक केंद्र / स्थलों के अंतर्गत
12	केवल दुर्बल/निम्न आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, विनाशकारी और आपातकालीन वस्तुओं के अलावा अन्य मर्दों का भंडारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हॉर्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
16	ROW के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हॉर्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अंतर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25% अथवा 100 वर्ग मीटर, दोनों में से जो भी कम हो की अनुमति है
20	केवल आनुषंगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले क्षेत्र के रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से संबंधित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर केवल तीन स्टार तक
24	10 हॉर्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)
25	महायोजना की नीतियों के अनुसार
26	केवल भूतल एवं प्रथम तल पर
27	द्वितीय तल एवं उसके ऊपर

11.4 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता

संकेत																			
क्र.सं.	क्रिया	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	मि.भू.	उद्योग	कार्य०	सा० सुवि०	ऐ. स्था.	धा. स्थ.	या० परि०	ब.अ.	पा०	मे. ऊ.	ग्र० व०	गा० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ० जे०
1	आ०	आवासीय	7	ग्र० व०	ग्रोन वर्ज/हरित पट्टी	11	बा० क्षे०	बाजार क्षेत्र											अनुमन्य
2	व्य०	व्यावसायिक	8	ग्र० आ०	ग्रामीण आबादी/भावी विस्तार	12	नि०	निर्मित क्षेत्र											निषिद्ध
3	कार्य०	कार्यालय	9	एच०एफ०जे	हाइवे फैसिलिटी जोन	13	मे. ऊ.	मेला एवं											सशर्त अनुमन्य
4	सा० सुवि०	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं	10	कृ० क्षे०	कृषि क्षेत्र	14	ब.अ.	बस अड्डा											विशेष अनुमति से
5	ऐ. स्था.	ऐतिहासिक स्थान	11	पा०	पार्क एवं खुले स्थल		मि. भू.	मिश्रित भू-उपयोग											
6	धा. स्थ.	धार्मिक स्थल	12	या० परि०	ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी														
1	एकल आवास																		
1.1	एकल आवास					27	3												
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाउजिंग)		27		27	27	3	4											
1.3	संबंधित स्टाफ/गार्ड/चौकीदार आवास				1	1	1	3		1	1	1	1	1				1	
2	व्यावसायिक																		
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)				5								3						
2.2	शोरूम (ऑटोमोबाइल शोरूम को छोड़ कर)	5		26		26		26											
2.3	ऑटोमोबाइल शोरूम/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स दुकान		7					19				19							
2.4	थोक मंडी/थोक व्यापार				7														
2.5	नीलामी बाजार				6		6												
2.6	बेकरी एवं कनफेक्शनरी, आटा चक्की (10 एच.पी. तक)			5			5												
2.7	कोयला तथा लकड़ी के ताल	6			6	27	6										5		
2.8	कृषि उपज के विक्रय केंद्र				10	10													
2.9	शीत गृह				10														
2.10	रिज़ॉर्ट																		
2.11	होटल	23		23			6							3					
2.12	मोटल/वे साइड रेस्तरां (दाबा)				6	6						7							

	क्रियाएं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	मि.भू.	उद्योग	कार्य०	सा० सवि०	ऐ. स्था.	धा. स्थ.	या० परि०	ब.अ.	पा०	मे. ऊ.	ग्र० व०	ग्र० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ० जेड०
2.13	भोजनालय/जलपान गृह/कैन्टीन/ फूड कोर्ट			5	5	5	5	5	5			5	3						
2.14	सिनेमा / मल्टीप्लेक्स		6	6															
2.15	पी.सी.ओ./ सेल्यूलर मोबाईल सेवा											3							
2.16	पेट्रोल / डीजल/सी.एन.जी./इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन	6	6	6								3					5		
2.17	गैस गोदाम																		
2.18	गैस बंकिंग कार्यालय	6	6	6			6												
2.19	भण्डारण/गोदाम/ वेयर हाउस/ संग्रहण केन्द्र/ कबाड़खाना				13	13	7				13	3,13							
2.20	सर्विस अपार्टमेन्ट				27	27	3	4	3										
3	औद्योगिक																		
3.1	सेवा/ कुटीर उद्योग	15	15	12															
3.2	सूचना प्रौद्योगिक/ साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	6	6		7	7		7											
3.3	लघु उद्योग				24	24													
3.4	वृहद उद्योग/ शुगर मिल/ राइस मिल/ फ्लोर मिल/ कृषि उपज आधारित उद्योग																		
3.5	संकट पूर्ण / खतरनाक/ प्रदूषणकारक उद्योग																		
3.6	खनन/ ईट/ चूने का भट्ठा/ क्रैशर																		
3.7	तेल डिपो/ एच०पी०जी० रिफिल प्लान्ट																		
3.8	दूध प्रोसेसिंग यूनिट/ दूध एकत्रिकरण/ डेयरी																		
3.9	विद्युत उत्पादन संयन्त्र केन्द्र																		
3.10	उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी में परिभाषित लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाईयाँ																		
4	कार्यालय																		
4.1	राजकीय/ अर्ध-राजकीय/ स्थानीय कार्यालय इत्यादि	5	5	6			6		20			20	20						
4.2	निजी कार्यालय/ एजेन्ट कार्यालय इत्यादि			6					20			20	20						
4.3	बैंक	5	5																
4.4	वाणिज्यिक/ व्यापारिक कार्यालय	5	5																
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र																		
4.6	पी०एस०सी० पुलिस लाइन																		
4.7	मौसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलेस केन्द्र/ वेधशाला																		
4.8	साईबर कैफे			5									3						
4.9	बायें टेक पार्क																		
4.10	बी०पी०ओ०																		
4.11	कॉल सेन्टर																		
4.12	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर																		
4.13	बिज़नेस पार्क																		

	क्रियायें	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	मि.भू.	उद्योग	कार्य०	सा० सवि०	ऐ. स्था.	धा. स्थ.	या० परि०	ब.अ.	पा०	मे. ऊ.	ग्र० व०	गा० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ० जेड०
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधायें तथा उपयोगिताएँ																		
	5.1 अतिथि गृह/ निरीक्षण गृह		5				6	5					3				5		
	5.2 धर्मशाला/ रेन बसेरा/ लॉजिंग/ बोर्डिंग हाउस	5	5	5									3				5		
	5.3 आश्रम	5	5														5		
	5.4 छात्रावास	5	5	5													5		
	5.5 अनाथालय/सधारालय																		
	5.6 हैन्डीकैपडिसेबल चिल्ड्रन हाउस	5		5													5		
	5.7 शिक्षा गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र							19											
	5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																		
	5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	5		5															
	5.10 उच्च/माध्यमिक स्कूल/ इण्टर महाविद्यालय	5	7	6													6	6	
	5.11 कॉलेज			6													6	6	
	5.12 विश्वविद्यालय																		
	5.13 पॉलीटेक्निक/आईटीआई/मेडिकल /डेंटल /इंजीनियरिंग कॉलेज																		
	5.14 प्रबन्ध संस्थान /विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																		
	5.15 डाकघर/ टेलीफोन एक्सचेंज	5		5															
	5.16 पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी/ अग्नि शमन केन्द्र	5		6									3						
	5.17 पुस्तकालय/ वाचनालय	5		5															
	5.18 स्वास्थ्य केन्द्र/ परिवार कल्याण केन्द्र/ डिस्पेन्सरी	8																	
	5.19 अस्पताल/ट्रामा सेंटर	9	9	9			9	9									9		
	5.20 नर्सिंग होम/क्लिनिक/पॉली क्लिनिक	8		9			9	9									8		
	5.21 नैदानिक प्रयोगशाला																	10	
	5.22 हेल्थ क्लब, जिम्नेजियम/ क्लब																		
	5.23 विद्युत शवदाह गृह/ शमशान / कब्रिस्तान																		
	5.24 संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	5	7	5													5		
	5.25 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादित		7	19															
	5.26 ऑडिटोरियम /नाट्यशाला/ थियेटर		7	6			6											21	21
	5.27 योग मन्दिर/ अध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	5	7	6														21	21

	क्रियायें	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	मि.भू.	उद्योग	कार्य०	सा० सुवि०	ऐ. स्था.	धा. स्था.	या० परि०	ब.अ.	पा०	मे. ऊ.	ग० व०	गा० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ० जेड०
5.28	धार्मिक भवन/प्रतिष्ठान	5																	
5.29	सामुदायिक केन्द्र/ सांस्कृतिक केन्द्र	5		6	6	6						6					6		
5.30	बारात घर/ बैंकट हाल				6	6													
5.31	कान्फ्रेंस/मीटिंग हाल	5																	
5.32	अजायब घर																		
5.33	आर्ट गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र	21		6			19							21	21	21		19	
5.34	रेडियो व टेलीविजन, टेलीफोन कार्यालय /केन्द्र																		
5.35	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र						19												
5.36	समाज कल्याण केन्द्र																		
5.37	पर्यटक सुविधा केन्द्र												3						
5.38	फिल्म सिटी																		
5.39	नॉलेज पार्क																		
5.40	ए.टी.एम.																		
5.41	जेल																		
5.42	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड इत्यादि						14		14										
5.43	ट्युब वेल/ओवर हैंड रिजरवायर/विद्युत केन्द्र/सब स्टेशन																		
5.44	वाटर वर्क्स																		
5.45	माइक्रोवेव केन्द्र																		
5.46	कम्प्यूटर केन्द्र																		
5.47	पशुवध शाला																		
6	यातायात एवं परिवहन																		
6.1	पार्किंग स्थल											16							
6.2	टेक्सी/टैम्पो/रिक्शा आदि के स्टैण्ड											16				21			
6.3	ट्रान्सपोर्ट नगर/बस डिपो																		
6.4	बस स्टैण्ड	6		7	7	7	6		6								6		
6.5	बस टर्मिनल				10														
6.6	मोटर गैराज/सर्विस गैराज तथा वर्कशाप																5		
6.7	मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र															21			
6.8	लोडिंग/अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधायें	6			6	6	6					6				21	6		
6.9	रेलवे गोदाम/रेलवे यार्ड साइडिंग /टर्मिनल																		

	क्रियायें	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	मि.भू.	उद्योग	कार्य०	सा० सवि०	ऐ. स्था.	धा. स्थ.	या० परि०	ब.अ.	पा०	मे. ऊ.	ग्र० व०	गा० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ० जेड०
6.10	धर्मकाटा				10		7										6		
6.11	एयरपोर्ट																		
7	पार्क, क्रिडा/खले स्थल																		
7.1	पार्क/क्रीडा स्थल/खेल का मैदान																		
7.2	बहुउद्देशीय खले स्थल	6		7													7		
7.3	गोल्फ/ रेस कोर्स																		
7.4	स्टेडियम /खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र																		
7.5	कारवां पार्क/पिकनिक स्थल/शिविर केन्द्र												21	21	21				
7.6	ट्राफिक पार्क																		
7.7	मनोरंजन पार्क	5																	
7.8	क्लब/ स्वीमिंग पूल	5		6													6		
7.9	चिड़िया घर/जीवशाला/वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल																		
7.10	फ्लाईंग क्लब/ हेली पैड								21										
7.11	शटिंग रेंज																		
8	कृषि																		
8.1	बागवानी/पौधशाला/उद्यान/वन/बोटनिकल गार्डन																		
8.2	फार्म हाउस																		
8.3	चारागाह/दूधशाला (डैरी फार्म)/केटिल कालोनी																		
8.4	धोबी घाट																		
8.5	सूअर/मत्स्य/कुक्कुट/मधुमक्खी पालन/पशु संवर्धन एवं प्रजनन केन्द्र																		
8.6	कृषि उपकरण की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप																		
9	फ्लोटिंग उपयोग																		
9.1	सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें																		
9.2	व्यावसायिक				11	11													
9.3	यातायात एवं परिवहन																		
9.4	सेवा एवं कटौत उद्योग			12															
9.5	विशेष उद्योग (खतरनाक/प्रदूषणकारी/क्रिटिकल)																		
10	अस्थायी क्रियायें																		
10.1	वेन्डिंग जोन																		
10.2	साप्ताहिक बाजार			6															
10.3	अस्थायी सिनेमा/सर्कस/प्रदर्शनी /मेला स्थल			7	7	7			7										

11.5 भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण

भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण										
संकेत										
प्रभाव शुल्क से छूट				प्रभाव शुल्क लागू नहीं						
गैर व्यावसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएं / उपयोग	1			प्रभाव शुल्क देय नहीं						
सेवा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग	2			प्रभाव शुल्क देय						
संबंधित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3									
				भू-उपयोग जोन्स						
				विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)						
क्रियाएं (Activities) / उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)				1	2	3	4	5	6	7
				कृषि, नगरीय कृषि, हॉटल, पार्क, क्रीडास्थल	सार्वजनिक सुविधाएं	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय (ग्रामीण आबादी सहित)	कार्यालय	व्यावसायिक
क्र.सं.										
1	कृषि, नगरीय कृषि, हरित पट्टी(ग्रीन बर्ज), पार्क, क्रीडास्थल									
2	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं			0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन			0.30	0.10			0.25		
4	औद्योगिक			0.40 (2)	0.25(1)	0.25 (2)		0.50		
5	आवासीय			0.50	0.40	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय			1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यावसायिक			1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी :- 1. विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।

2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन संबंधित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा।

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखंड का क्षेत्रफल * सकल रेट * प्रभाव शुल्क गुणांक * 0.25

2.2 विशेष अनुमति एवं विशेष अनुमति से सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखंड का क्षेत्रफल * सकल रेट * प्रभाव शुल्क गुणांक * 0.5

2.3 होटल को विभिन्न भू उपयोगों में अनुमन्य किए जाने हेतु कोई भी प्रभाव शुल्क आरोपित नहीं होगा।

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सकल रेट के आधार पर किया जाएगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण -1

विभिन्न आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर

प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = ₹ 2000 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल * सेक्टर रेट * "प्रभाव शुल्क गुणांक" * 0.25

अर्थात् $350 * 2000 * 0.25 * 0.25 = ₹ 43,750$

उदाहरण- 2

कृषि भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर

कृषि भूमि का सकल रेट = ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = $500 * 200 * 1.5 * 0.5 = ₹ 75,000$

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची :

(श्रमिकों की संख्या अधिकतम दो)

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध , ब्रेड , मक्खन , अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान , बीड़ी , सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर / क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाईपिंग , फोटोस्टेट , फैक्स आदि
10. किताबे / मैगजीन / अखबार आदि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी ० सी ० ओ ०
13. रेडीमेड गारमेन्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई , बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी ० वी ० संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकाने
25. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकाने

आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची
(10 हार्स पावर तक)

1. लाण्डी , ड्राई - क्लीनिंग
2. टी ० वी ० रेडियो आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद , घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार , मोटर साइकिल , स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
- 8 जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन , चश्मे की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी , कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की मरम्मत (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योग

(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरधा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी / तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बाँस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज - सज्जा सामान
19. घरेलू विधुत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो , टी . वी . बनाना
21. पेन , घड़ी , चश्मे की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियाँ एवं प्यूजेज
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियाँ बनाना
25. दरियाँ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत

29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरलाइज्ड वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू - क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. कैंची का निर्माण
42. कपड़ा प्रिंटिंग का कार्य
43. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक - 4

अयोध्या महायोजना - 2001 में प्रस्तावित भू उपयोग जिनको अयोध्या महायोजना -2031 में संशोधित कर नए भू उपयोग प्रस्तावित किए गए

अयोध्या महायोजना - 2001 में प्रस्तावित भू उपयोग जिनको अयोध्या महायोजना -2031 में संशोधित कर नए भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं जिनका विवरण निम्नवत है तथा उक्त स्थलों को मानचित्र पर चिह्नित किया गया है :-

क्रम सं.	भू – उपयोग – (महायोजना – 2001)	प्रस्तावित भू-उपयोग – (महायोजना – 2031)
1	मेला स्थल उपवन	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं
2	धार्मिक	आवासीय (निर्मित क्षेत्र)
3	व्यवसायिक	आवासीय (निर्मित क्षेत्र)
4	आवासीय , पर्यटक सुविधा केंद्र , मेला उपवन स्थल , धार्मिक	धार्मिक
5	व्यवसायिक	आवासीय
6	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं , आवासीय
7	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	पार्क एवं खुले क्षेत्र
8	स्टेडियम	आवासीय
9	औद्योगिक	आवासीय
10	औद्योगिक	आवासीय
11	औद्योगिक	आवासीय
12	मेला स्थल उपवन	आवासीय
13	बस अड्डा	आवासीय
14	आवासीय	आवासीय (निर्मित क्षेत्र)
15	आवासीय	आवासीय (निर्मित क्षेत्र)

कुंडों का विवरण

क्रम सं०	नाम	गाँव	तहसील	जनपद
1	दंत धावन कुण्ड	बरहटा	अयोध्या	अयोध्या
2	क्षीर सागर	बरहटा	अयोध्या	अयोध्या
3	रुक्मणि कुण्ड	जलवानपुर	अयोध्या	अयोध्या
4	वशिष्ठ कुण्ड	अवधखास	अयोध्या	अयोध्या
5	सागर कुण्ड	कोट रामचन्द्र	अयोध्या	अयोध्या
6	विभीषण कुण्ड	अवधखास	अयोध्या	अयोध्या
7	सप्तसागर	मीरापुर डेरावीबी	अयोध्या	अयोध्या
8	सुग्रीव कुण्ड	बरहटा	अयोध्या	अयोध्या
9	हनुमान कुण्ड	बरहटा	अयोध्या	अयोध्या
10	स्वर्णखनि कुण्ड	बरहटा	अयोध्या	अयोध्या
11	सीता कुण्ड	बासूपुर सिरसा	अयोध्या	अयोध्या
12	अग्नि कुण्ड	बासूपुर सिरसा	अयोध्या	अयोध्या
13	विद्या कुण्ड	बासूपुर सिरसा	अयोध्या	अयोध्या
14	खर्जू कुण्ड	बासूपुर सिरसा	अयोध्या	अयोध्या
15	गणेश कुण्ड	काजीपुर चितावां	अयोध्या	अयोध्या
16	दशरथ कुण्ड	हैवतपुर	अयोध्या	अयोध्या
17	कौशल्या कुण्ड	वाग विजयसी	अयोध्या	अयोध्या
18	सुमित्रा कुण्ड	वाग विजयसी	अयोध्या	अयोध्या
19	कैकेयी कुण्ड(भरत)	जियनपुर	अयोध्या	अयोध्या
20	दुरभरसर कुण्ड	रानोपाली	अयोध्या	अयोध्या
21	महाभरसर कुण्ड	रानोपाली	अयोध्या	अयोध्या
22	बृहस्पति कुण्ड	वाग विजयसी	अयोध्या	अयोध्या
23	धनयक्ष कुण्ड	अवधखास	अयोध्या	अयोध्या
24	उर्वशीकुण्ड	रानोपाली	अयोध्या	अयोध्या
25	बह्मकुण्ड	अवधखास	अयोध्या	अयोध्या
26	वैतरणी कुण्ड	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
27	सूर्य कुण्ड	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
28	नर कुण्ड	नरियावां	अयोध्या	अयोध्या
29	नारायण कुण्ड	कछौली	अयोध्या	अयोध्या
30	रति कुण्ड	कुशमाहा	अयोध्या	अयोध्या
31	कुसुमायुधकुण्ड	कुशमाहा	अयोध्या	अयोध्या
32	दुर्गा कुण्ड	कुशमाहा	अयोध्या	अयोध्या

33	गिरजा कुण्ड	जौनौरा	अयोध्या	अयोध्या
34	श्रीसरोवर	लालबाग	अयोध्या	अयोध्या
35	शीतलादेवी	देवकाली	अयोध्या	अयोध्या
36	निर्मली कुण्ड	कैंट क्षेत्र	अयोध्या	अयोध्या
37	योगिनीकुण्ड	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
38	शक्रकुण्ड	माझा जमथरा	अयोध्या	अयोध्या
39	त्रिपूरारी जी	तिहूरा	अयोध्या	अयोध्या
40	पुण्यहरि	खानपुर	अयोध्या	अयोध्या
41	हनुमान कुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
42	विभीषण कुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
43	सुग्रीव कुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
44	रामकुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
45	सीता कुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
46	भैरव कुण्ड	तारोमाफी	बीकापुर	अयोध्या
47	श्रवण क्षेत्र	खिहारन	मिल्कीपुर	अयोध्या
48	पराशर आश्रम	देवराकोट	सोहावल	अयोध्या
49	च्यवनाश्रम	कुंदुर्खा कला	मिल्कीपुर	अयोध्या
50	गौतमाश्रम	रुदौली नगर	रुदौली	अयोध्या
51	मानस तीर्थ	बीबीपुर	सोहावल	अयोध्या
52	पिशाचमोचन	बीबीपुर	सोहावल	अयोध्या
53	गया कुण्ड	नंदीग्राम	सोहावल	अयोध्या
54	भरतकुण्ड	नंदीग्राम	सोहावल	अयोध्या
55	जटाकुण्ड	नंदीग्राम	सोहावल	अयोध्या
56	शत्रुघ्न कुण्ड	दोस्तपुर	सोहावल	अयोध्या
57	अजिताश्रम	कैल	सोहावल	अयोध्या
58	आस्तिकाश्रम	पूरेडीहबीरबल	मिल्कीपुर	अयोध्या
59	धृताची कुण्ड	सरजुपुर	सोहावल	अयोध्या
60	जन्मेजय कुंड	सिड़सिड़	मिल्कीपुर	अयोध्या
61	चिड़िया तालाब		मिल्कीपुर	अयोध्या
62	हाजीपुर तालाब		सोहावल	अयोध्या
63	खोजनपुर तालाब 1	खोजनपुर	अयोध्या	अयोध्या
64	खोजनपुर तालाब 2	खोजनपुर	अयोध्या	अयोध्या
65	खोजनपुर तालाब 3	खोजनपुर	अयोध्या	अयोध्या
66	खोजनपुर तालाब 4	खोजनपुर	अयोध्या	अयोध्या
67	खोजनपुर तालाब 5	खोजनपुर	अयोध्या	अयोध्या
68	शिवनगर तालाब		अयोध्या	अयोध्या

69	फतेगंज तालाब	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
70	तालाब स्टेशनरोड	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
71	लाल डिग्गी	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
72	नई कॉलोनी, अयोध्या		अयोध्या	अयोध्या
73	धरमदासपुर झील		अयोध्या	अयोध्या
74	बनबीरपुर झील	बनबीरपुर	सोहावल	अयोध्या
75	अब्बू सराय तालाब	अब्बू सराय	अयोध्या	अयोध्या
76	अब्बू सराय तालाब 2	अब्बू सराय	अयोध्या	अयोध्या
77	तकपुरा 1	तकपुरा	अयोध्या	अयोध्या
78	मक़बरा फैज़ाबाद	जनौरा	अयोध्या	अयोध्या
79	अचारी का सगरा	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
80	चाँदपुर हरबंस	चाँदपुर हरबंस	अयोध्या	अयोध्या
81	रानोपाली 1	रानोपाली	अयोध्या	अयोध्या
82	रानोपाली 2	रानोपाली	अयोध्या	अयोध्या
83	नंदपुर तालाब	नंदपुर	अयोध्या	अयोध्या
84	कुढ़ा केशवपुर 1	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
85	कुढ़ा केशवपुर 2	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
86	कुढ़ा केशवपुर 3	कुढ़ा केशवपुर	अयोध्या	अयोध्या
87	मिर्जापुर माफी	मिर्जापुर माफी	अयोध्या	अयोध्या
88	गद्दोपुर 1	गद्दोपुर	अयोध्या	अयोध्या
89	गद्दोपुर 2	गद्दोपुर	अयोध्या	अयोध्या
90	मलिकपुर 1	मलिकपुर	अयोध्या	अयोध्या
91	मलिकपुर 2	मलिकपुर	अयोध्या	अयोध्या
92	हांसापुर 1	हसनपुर	अयोध्या	अयोध्या
93	हांसापुर 2	हसनपुर	अयोध्या	अयोध्या
94	जनौरा 1	जनौरा	अयोध्या	अयोध्या
95	जनौरा 2	जनौरा	अयोध्या	अयोध्या
96	मेवतीपुरा	जनौरा	अयोध्या	अयोध्या
97	तकपुरा 2		अयोध्या	अयोध्या
98	आशापुर		अयोध्या	अयोध्या
99	सहनवा		अयोध्या	अयोध्या
100	धर्मपुर	धर्मपुर	अयोध्या	अयोध्या
101	गंजा	गंजा	अयोध्या	अयोध्या
102	देवकाली गांव 1	देवकाली	अयोध्या	अयोध्या
103	देवकाली गांव 2	देवकाली	अयोध्या	अयोध्या
104	मनुमुनि	काजीपुर चितावां	अयोध्या	अयोध्या

105	फतेगंज 2	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
106	महाजनी टोला	फैजाबाद	अयोध्या	अयोध्या
107	नारायणपुर झील	नारायणपुर	अयोध्या	अयोध्या
108	वाग विजयसी तालाब	वाग विजयसी	अयोध्या	अयोध्या



अयोध्या विकास प्राधिकरण

अयोध्या, उत्तर प्रदेश

नगर एवं ग्राम नियोजन खण्ड, अयोध्या

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.

